Monday, 27 March, 1967

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित सस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th LOK SABHA
DEBATES

[पहला सत्र
First Session]

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

सत्यमेव जयते

(खंड 1 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. I contains Nos. 1—10)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price: One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 7 सोमवार, 27 मार्च 1967/6 चैत्र, 1889 (शक)

No. 7, Monday, March 27, 1967 / Chaitra 6, 1889 (Saka)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	**Members Sworn**	279
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**Oral Answers to Questions**	279-300
ता. प्र. संख्या		
S. Q. Nos.		
विषय	**SUBJECT**	**पृष्ठ/PAGE**
56. आकाशवाणी से व्यापार सम्बन्धी प्रसारण	Commercial Broadcasts by A. I. R.	279-281
57. टेलीविजन व्यवस्था का विस्तार	Expansion of T. V.	281-284
58. प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा टायरों की खरीद	Purchase of Tyres by Ministry of Defence.	284-289
73. प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा टायरों की खरीद	Purchase of Tyres by Ministry of Defence	284-289
60. चुनाव समाचारों का प्रसारण	Broadcast of Election Bulletins	291-293
61. भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान बी० बी० सी० द्वारा प्रसारण	B. B. C. Broadcasts during Indo-Pak Conflict.	293-295
62. कपड़ा तैयार करने वाले आयुध कारखाने	Ordnance Clothing Factories	293-295
63. दलाई लामा को भारत का समर्थन	India's Support to Dalai Lama.	295-298
अल्प-सूचना प्रश्न	Short Notice Question.	
2. आसाम मेल का पटड़ी से उतर जाना	Derailment of Assam Mail.	298-300
प्रश्नों के लिखित उत्तर		300-319
तारांकित प्रश्न संख्या		
S. Q. Nos.		
59. चीन की संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जाना	China's Admission to United Nations.	300
64. चीनी और पाकिस्तानी सेनाओं का जमाव	Concentration of Chinese and Pak Troops	300-301
65. प्रेस सूचना विभाग के बारे में चंदा समिति की रिपोर्ट	Chanda Commitee Report on Press Information Bureau.	301
66. बर्मा में देशभक्त भारतीयों का स्मारक	Memorial for Indian Patriots in Burma.	301

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूंछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the questiorn was actually asked on the floor of the House by him.

67 सैनिक साज समान तथा युद्ध सामग्री	Defence Material and Equipment	301-302
69 भारत बर्मा सीमा करार	India Burma Boundary Agreement	302
70. अमरीका द्वारा भारत को दी जाने वाली सैनिक सहायता में गतिरोध	Deadlock on U.S. Military Aid to India	302-303
71. छोटे समाचारपत्र जाँच समिति	Small News papers Enquiry Commitee	303-304
72. परमाणु वैज्ञानिको की बैठक	Nuclear Scientists' Meet.	304
74. भूटान तिब्बत सीमा पर चीनी सेनाओं का जमाव	Concentration of Chinese Troops on Bhutan Tibet Border.	304
75. अन्तरिक्ष की खोज	Space Research.	305-306
76. सैनिक अधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण	Training of Military Officers in Foreign Countries.	306
77. स्टेट्समैन समाचार पत्र का गुप्त सैनिक संवाददाता	Secret Military Correspondent of the 'Statesmen'	307
78. नागा प्रतिनिधिमंडल के लिये सुविधाएँ	Facilities for Naga Delegation	307

अतारांकित प्रश्न संख्या
Unstrred Q. No.

35. आकाशवाणी, नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	Seheduled Castes Employees in A. I. R. New Delhi.	307-308
36. उड़ीसा के लिये रेडियो सेट	Radio Sets for Orissa.	308
37. सामुदायिक रेडियो सेट	Community Sets	
38. राजनयिक दूतावासों में प्रमुखों के रूप में जननेताओं (पब्लिकमैन)की नियुक्ति	Publicmen as Heads of Diplomatic Missions.	309
39. लंदन में इंडिया सेन्टर'	India Centre in London.	309
40. लंदन में भारत का उच्चायुक्त	Indian High Commissioner in London	309
41. दिल्ली में जवानों का स्मारक	Memorial for Jawans in Delhi.	310
42. सागौन में भूतपूर्व भारतीय महावाणिज्य दूत द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में जाँच	Enquiry re. the Statement by Former Indian Consul General in Saigon	310 310
43. युगोस्लाविया से सैनिक शिष्टमंडल	Militatry Mission of Yugoslavia	310
44. सैनिक कर्मचारियों के परिवारों की आवास समस्या	Housing Problem of the families of Armed Personnel.	311
45. कीनिया से बमहर निकाले गये भारत मूलक व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabiiltation of persons of Indian Origin deported from Kenya.	311
46. पडोसी देशों के साथ भारत के सम्बन्ध	India's relation with neighbouring Countries.	311-312
47. भारतीय वायुसेना के विमान का दुर्घटना-ग्रस्त होना	I. F. A. Studio in Orissa.	312

48. उड़ीसा में फिल्म स्टुडियो	Film Studio in Orissa.	312
49. परादीप पत्तन में नाविक प्रशिक्षण संस्था	Naval Training Institute at Paradeep Port.	312-313
50. मद्रास आकाशवाणी केन्द्र से घोषणाएं	Announcements from A. I. R. Madras	313
51. प्रतिरक्षा कर्मचारियों को पेंशन का स्टर्लिंग में भुगतान	Payment of Pensions to Defence Personnel in Sterling.	313-314
52. राष्ट्रीय रक्षा कोष	Notional Defence Fund.	314
53 नागाओं की शत्रुतापूर्ण गतिविधियाँ	Hostile Activities of Nagas	314-315
54. अहमदनगर स्थित मोटरगाड़ी मरम्मत डिपो संस्थान को अवाड़ी (मद्रास) ले जाना	Shifting of Vehicles Research and Development Establishment, Ahmednagar to Avadi (Madras)	315-316
55. यूनेस्को से जन संचार के लिए सहायता	Assistance from UNESCO for Mass Communication.	316
56. जुनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों (जे० सी० ओ०) तथा अन्य पदों के सैनिकों के परिवारों के लिए मकानों की व्यवस्था	Family Accommoation for J. C. Os, and O. Rs.	316-318
57. शंघाई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास की इमारत	Building of Indian Consul General in Shanghai	318-319
58. जर्मन लोकतन्त्रामक गणराज्य के प्रकाशनों में भारत चीन सीमा	India China Boundary iu G. D. R. Publications	319
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	319-320
टैलीग्राफिस्टों द्वारा आरम्भ किया गया 'नियम के अनुसार काम' आन्दोलन तथा तारों का डाक द्वारा भेजा जाना	Work-to-rule campaign by telegraphists and sending of telegrams by post.	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	
डा. राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subagh Singh	
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege	320
हिन्दुस्तान टाइम्स द्वारा विशेषाधिकार का कथित भंग किया जाना	Alleged Breach nf Privilege by Hindustan Times	320-321
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	321
वित्तीय समितियां 1965-66 (एक समीक्षा)	Financial Committees 1965-1966 (A Review)	
सदस्य द्वारा त्यागपत्र	Resignation of Member	322
परमाणु अस्त्रों के फैलाव पर रोक के बारे में वक्तव्य	Statement Re-Non-proliferation of Nuclear Weapons	323-325
श्री मु०क० चागला	Shri M. C. Chagla	
सभा का कार्य	Statement Re. Business of the House	

डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh	326
टाइम्स आफ इंडिया विवाद के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Times of India Dispute	
श्री हाथी	**Shri Hathi**	326
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Member	326-328
ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में	Re. Calling Attention Notice	328
समितियों के लिये निर्वाचन	Elections to Committees	328-331
(1) प्रक्कलन समिति	(i) Estimates Committee.	
(2) लोक लेखा समिति	(ii) Public Aceounts Committee.	
(3) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी	(iii) Public Undertakings Committee, and	
(4) बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय का कोर्ट	(4) Court of Banaras Hindu University	
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (राजस्थान) 1966-67	Demands for Supplementary Grants (Rajasthan), 1966-67	331
राजस्थान आय-व्ययक 1967-68- **प्रस्तुत**	Rajasthan Budget, 1967-68 presented	331-334
श्री मोरारजी देसाई :	Shri Morarji Desai	
सामान्य आय व्ययक -सामान्य चर्चा :	General Budget-General Discussion	334-349
श्री योगेन्द्र शर्मा	Shri Yogendra Sharma	
श्री पें वेंक्टा सुब्बैया	Shri P. Venkatasabbaiah	
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	
श्री उमानाथ	Shri Umanath	
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1966-67 पुरःस्थापित तथा पारित	Appropriation (Vote on account) Bill, 1967	349-350
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1966-67	Demands for Supplementary Grants (General) 1966-67	350-373
श्री के. पी. सिंह देव	Shri K. P. Singh Deo	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	
श्री बेदव्रत बरूआ	Shri Bedabrata Barua	
श्रीमती सुशीला गोपालन	Shrimati Suseela Gopalan	
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerji	
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani	
श्री कृ०चं० पन्त	Shri K. C. Pant	
विनियोग विधेयक, 1967 पुरःस्थापित तथा पारित	Appropriation Bill, 1967 Introduced and passed	374-375
लेफ्टिनेंट जनरल कोल की' दि अनटोल्ड स्टोरी' नामक पुस्तक के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour discussion re. "The Untold Story" by Lt. Gen. Kaul	375-383
श्री अ० क० गोपालन	Shri A. K. Gopalan	
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	

लोक सभा
LOK SABHA

सोमवार, 27, **मार्च** 1967 / 6 **चैत्र**, 1889 (**शक**)
Monday, March 27, 1967 / **Chaitra**, 6, 1889 (**Saka**)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair.*]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण
MEMBERS SWORN

श्री बी० एन० सिंह (हजारीबाग) *[हिन्दी]
श्रीमती विजय राजे (छतरा) [हिन्दी]
श्रीमती ललिता राज्य लक्ष्मी (धनबाद) [हिन्दी]
श्री हुमायून् कबिर (बसीरहाट) [बंगला]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

आकाशवाणी से व्यापार सम्बन्धी प्रसारण

*56. **श्री सेझियान** :
श्री सी० सी० देसाई :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी से व्यापार सम्बन्धी विज्ञापनों का प्रसारण आरम्भ करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ;

---

*सदस्य के नाम के आगे दी गई भाषा इस बात की द्योतक है कि सदस्य ने उसी भाषा में शपथ ली थी ।

*The language shown against the name of a Member indicates that he took oath in that language.

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) विज्ञापनों से कितनी आय होने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हाँ। सरकार ने आकाशवाणी से व्यावसायिक विज्ञापनों का प्रसारण सीमित रूप से आरम्भ करने का सिद्धान्त रूप से निर्णय किया है।

(ख) और (ग) इसके प्रभाव तथा व्यौरों का विस्तार से अध्ययन किया जा रहा है। इससे कितनी आय होगी। यह आंकना इस मरहले पर संभव नहीं है।

श्री सेझियान : सरकार ने क्योंकि आकाशवाणी से व्यावसायिक विज्ञापनों के प्रसारण का निश्चय कर लिया, इसलिये मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह कार्यक्रम चान्दा समिति की सिफारिशों के अनुसार 'विविध भारती' तक ही सीमित रखा जायेगा, या अन्य कार्यक्रमों में भी इसे स्थान दिया जायगा ?

श्री के० के० शाह : चन्दा समिति की सिफारिश 'विविध भारती' तक ही सीमित नहीं अपितु 'देहाती कार्यक्रम' तथा 'विदेशों के लिये कार्यक्रम' के लिये भी है और व्यावसायिक विज्ञापन इन सभी कार्यक्रमों में प्रसारित किये जायेंगे।

श्री सेझियान : समिति ने अपने प्रतिवेदन की कन्डिका 736 में कहा है :

"हमारे विचार में संस्था में परिवर्तन किये बिना कुछ कार्यक्रमों में व्यावसायिक विज्ञापनों को सम्मिलित कर लेने से वे प्रयोजन सिद्ध नहीं होंगें, जो हमारे ध्यान में हैं अथवा आकाशवाणी को अन्य ऐसे प्रसारण संगठनों में, जो स्वतंत्रता और सामाजिक दायित्व के साथ अपने समुदायों के लिए इतना अच्छा काम करते हैं, अपना स्थान लेने के योग्य नहीं बनायेगा।"

उनके विचार में इन परिवर्तनों को कार्यान्वित करने से पूर्व आकाशवाणी को निगम बना देना चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने आकाशवाणी की बी० बी० सी० और ऐसी अन्य सेवाओं की तरह निगम बनाने के बारे में कोई विशेष निश्चय किया है।

श्री के० के० शाह : यह बात अभी विचाराधीन है।

Shri Yashpal Singh : I would like to know whether any Code of Conduct has been prescribed for this or who so ever will pay, will get his advertisement broadcasted.

श्री के० के० शाह : एक आचार संहिता पहले ही बना ली गई है और उसका अनुमोदन भी हो चुका है।

Shri K. N. Tiwary : Whether it is a fact that by Commercial advertisement, newspapers would be at loss and this has not so far been introduced only for the same reason ? If so, what is going to be done by the Government in this direction and what steps Government intends to take for the purpose ?

श्री के० के० शाह : व्यावसायिक विज्ञापन से समाचार-पत्रों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर विचार किया जा रहा है। कुल प्रभाव का पता चल जाने पर इस बारे में कुछ निश्चय किया जायेगा।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : प्रश्न का अनुपूरक उत्तर देते समय माननीय मन्त्री ने बताया था कि आकाशवाणी का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया जायेगा। यदि यह बात ठीक है तो क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि क्या मन्त्री महोदय यह जानते हैं कि विशेष रूप से प्रसारित किये जाने वाले देहाती कार्यक्रमों में, जिनमें कृषि उत्पादन की चर्चाएँ की जाती हैं, उनमें कृषि उत्पादन के आधुनिक तरीके से किसानों को अवगत कराने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यदि यह बात ठीक है तो क्या मंत्री महोदय आकाशवाणी के सम्पूर्ण पुनर्गठन के समय इस दिशा में कोई प्रभावपूर्ण कार्यवाही करेंगे ?

श्री के० के० शाह : इस दिशा में कुछ कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है और कुछ विचाराधीन है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : इस बात को जानते हुए कि यह प्रश्न सभा में पूछे जाने वाला है, मंत्री महोदय ने तीन दिन पहले ही बम्बई में इस का उत्तर पत्रकारों को दे दिया है। क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि क्या यह बात इस सभा के प्रक्रिया के नियमों के अनुकूल है कि इन्होंने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही पत्रकारों को दे दिया ?

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ।

श्री हेम बरुआ : 'आल इण्डिया रेडियो' का यह नाम विदेशी शासकों ने रखा था और यह नाम हमारी स्वाधीनता के संदर्भ में अराजकता का द्योतक है। इसलिये क्या हमारी सरकार आल इण्डिया रेडियो का नाम बदल कर 'रेडियो इण्डिया' रखने पर विचार कर रही है जैसा कि संसार के अन्य भागों में है।

श्री के० के० शाह : इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है।

टेलीविजन व्यवस्था का विस्तार

+

*57. **डा० कर्णी सिंह जी** :
श्री सी० सी० देसाई :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित टेलीविज़न बनाने वाले कारखाने का विस्तार करने तथा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में टेलीविज़न कारखाने स्थापित करने के प्रस्तावों पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इनकी क्रियान्विति किस अवस्था में हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने देश में टेलीविज़न व्यवस्था का विस्तार करने के लिये विदेशों से सहयोग स्वीकार किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) जी हाँ।

(ख) योजना आयोग की सलाह से दिल्ली के टेलीविज़न यूनिट के विस्तार और बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में टेलीविज़न केन्द्र खोलने के प्रस्तावों को चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में अन्तिम रूप दिया गया है। अभी वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है।

(ग) भारत में टेलीविज़न के विस्तार के लिये अभी तक कोई विदेशी सहयोग स्वीकार नहीं किया गया है। इस मन्त्रालय ने मेसर्स भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि० को यह अधिकार दिया था कि वह टेलीविज़न स्टूडियो और भारत में ट्रांसमिटर के सामान बनाने में सहायता के लिये विदेशी निर्माताओं से कोटेशन मंगाये। उनके प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं और विचाराधीन हैं।

डा० कर्णी सिंह जी : देश में टेलीविज़न की सुविधाओं के लिए सरकार की आर्थिक कठिनाईयों के कारण क्या सरकार द्वारा आगामी कुछ वर्षों में 'अर्ली बर्ड' और 'तेलस्तार' जिनसे भारतीय टेलीविज़न सेवाओं की दूरी निर्धारित होती है, प्रयोग करने की कोई योजनाएँ बनाई गई है।

श्री के० के० शाह : मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्व सूचना चाहिये।

डा० कर्णी सिंह जी : सभी विकासशील देशों के मुख्य भागों में टेलीविज़न को अनुदेश और शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम के रूप में अपनाया गया है इसलिये क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या हमारे देश में भी टेलीविज़न को अभूतपूर्व उच्चतम प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री के० के० शाह : यह बात साधनों पर निर्भर करती है; वैसे इसे उच्च प्राथमिकता मिलनी ही चाहिये।

श्री स्वेल : अमरीका जैसे प्रगतिशील राष्ट्रों में भी सामाजिक जीवन पर टेलीविज़न का कितना घातक प्रभाव पड़ा है, क्या इससे सम्बन्धित समाचारों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ? इस कठिन आर्थिक स्थिति के संदर्भ में क्या सरकार देश में टेलीविज़न की सुविधाओं के प्रसार के समस्त प्रस्ताव पर पुनः विचार करेगी ?

श्री के० के० शाह : टेलीविज़न का प्रसार तो शीघ्र से शीघ्र होना चाहिये क्योंकि उसका प्रयोग सामाजिक तथा अन्य उद्देश्यों के लिये जनता को शिक्षित करने के लिए किया जा सकता है। जहाँ तक देश में सामाजिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ने की बात है, इसका ध्यान रखा जायगा।

Shri Randhir Singh : The present speed at which the development of TV system is being made, how many years it will take to reach the hands of villages and especially when the poor people would make use of Television System ?

Dr. Karni Singhji : If the Congress Government remains in power.

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय के उत्तर से यह प्रतीत होता है कि अभी वित्तीय मन्जूरी नहीं दी गई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में ये एकक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में स्थापित हो जायेंगे और यदि नहीं तो किस योजना में होंगे।

श्री के० के० शाह : चतुर्थ योजना में इस काम को पूरा करने के लिए भरसक प्रयत्न किए जाएंगे।

श्री वाई० गाडिलिंगान गौड : क्या मैं पूछ सकता हूं कि टेलीविजन के प्रसार के प्रस्ताव में हैदराबाद का नाम क्यों नहीं रखा ?

श्री के० के० शाह : पहले बड़े नगरों में यह काम होगा। इसमें कुछ राजस्व अर्जित करने का भी प्रश्न है। ज्यों-ज्यों हमारे साधनों में वृद्धि होगी, त्यों-त्यों हम इसका निश्चय ही विकास करेंगे।

श्री लीलाधर कटकी : प्रश्न के (क) भाग के उत्तर में मन्त्री महोदय ने बताया था कि सरकार ने विदेशी सहयोग के लिए आवेदन-पत्र निमन्त्रित किये हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि सी० ई० ई० आर० आई, पिलानी में किसी देशी तकनीकी जानकारी का विकास हुआ है और यदि हाँ, तो सरकार विदेशी सहयोग प्राप्त करने का प्रयास क्यों कर रही है और देश में तकनीकी जानकारी के विस्तार को क्यों नहीं प्रोत्साहन देती ?

श्री के० के० शाह : पिलानी संस्था में तकनीकी जानकारी का विकास हुआ है और दो भारतीय फर्मों ने यह जानकारी खरीद ली है। उन्होंने पहले ही लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र भेज दिया है और उन्हें लाइसेंस देने का प्रश्न विचाराधीन है। इसलिए हमारे माननीय मित्र को इस बात की शंका नहीं होनी चाहिये कि अपने देश में जानकारी होते हुए भी हम इस उद्देश्य के लिए विदेशों से सहयोग प्राप्त करेंगे।

श्री एस० एस० कोठारी : क्या हम बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में लगाये जाने वाले टेलीविजन एककों की लागत पूछ सकते हैं ? बजट में कितनी धन-राशि का उपबन्ध है और इन पर कितना धन खर्च करने का विचार है।

श्री के० के० शाह : कुल लागत रु० 1.50 करोड़ होगी। यदि माननीय सदस्य इसका ब्योरा चाहते हों तो मैं अलग से सूचना प्राप्त होने पर इस बारे में बता सकूंगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी : माननीय मन्त्री ने बताया कि पिलानी में जानकारी उपलब्ध थी। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि देश में जानकारी उपलब्ध होते हुए भी हम विदेशी सहयोग प्राप्त करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं जो खतरे से खाली नहीं ?

श्री के० के० शाह : जितनी जानकारी यहां उपलब्ध होगी उसका प्रयोग किया जायगा और उसके लिए उन्होंने लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र पहले ही भेजे हुए हैं। परन्तु हमें कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए जानकारी की आवश्यकता है और उसी के लिए बी० ई० एल से निवेदन किया गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मन्त्री महोदय हमें यह बतायेंगे कि इसमें विदेशी मुद्रा के रूप में कितनी लागत आयेगी।

श्री के० के० शाह : इसके लिए पृथक सूचना देने की आवश्यकता है।

श्री हेम बरुआ : विदेशी मुद्रा की वर्तमान कठिनाइयों और वर्तमान कठिन आर्थिक स्थिति के विचार से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कटौती की जाने वाली है। जब यह कटौती की जायगी तो क्या टेलीविजन के विस्तार की योजना समाप्त हो जायगी ?

श्री के० के० शाह : जहां तक मुझे ज्ञात है, ऐसा नहीं होगा।

श्री बाबू राव पटेल : क्या टेलीविजन ऐसे देश में इतना अनिवार्य है जहां लाखों व्यक्ति भूखे मर रहे हो ? क्या हम इस धन का किन्हीं और अच्छे उद्देश्यों के लिए प्रयोग नहीं कर सकते ?

श्री० के० के० शाह : यदि टेलीविजन का ठीक प्रकार से उपयोग किया जाय तो इससे और कई साधन उपलब्ध हो सकते हैं।

श्री के० लाक्कप्पा : क्या मैसूर राज्य में बंगलौर में टेलीविजन एकक की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ?

अध्यक्ष महोदय : हम एक-एक राज्य के बारे में पृथक रूप से कुछ नहीं कह सकते।

Shri Tulshidas Jadhav : When there is shortage of foreign exchange for other essential items then what is the propriety of using foreign exchange for such items.

श्री के० के० शाह : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ।

Shri Madhu Limaye : There is large scale famine in Bihar and Eastern U. P. and other areas in the country and machines for digging the wells could not be provided and there is acute shortage of Pumping Sets. Will the Hon'ble Minister consider this proposal that all the capital likely to be incurred in private or public sector on Air-conditioning or Television sets during the next 15-20 years may be converted to this side so that the work of digging wells and installation of pumping sets could be accomplished.

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में मन्त्री महोदय इतने बड़े प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकेंगे।

Shri Madhu Limaye : Or any other senior Minister may. reply.

अध्यक्ष महोदय : बजट की मांगों की चर्चा के समय यह प्रश्न किया जाये। वे इस पर विचार करेंगे।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Mr. Chagla is there and S. Swaran Singh is also there, atleast some one should answer the query.

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न सं 58.

श्री स०मो० बनर्जी : प्रश्न सं० 73 भी इस प्रश्न के साथ सम्बद्ध है। इसलिए इसे भी साथ में ही ले लिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : क्या इन दोनों को इकट्ठा लिया जा सकता है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भक्त) : हां जी, यदि आप इससे सहमत हो।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

प्रतिरक्षा मन्त्रालय द्वारा टायरों की खरीद

*73. **श्री मधु लिमये :**

डा० राम मनोहर लोहिया

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक लेखा समिति के चौंसठवें प्रतिवेदन में उल्लिखित स्टाक में से डिपो द्वारा कुल कितने टायरों के लिए सीधे अथवा संभरण निपटान महानिदेशालय के माध्यम से क्रयादेश दिये गये थे;

(ख) इन टायरों को खरीदने में कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया था;

(ग) ये क्रयादेश स्टैण्डर्ड टायरों के लिए थे अथवा 'क्रास कन्ट्री' टायरों के लिए;

(घ) क्या यह सच है कि इन टायरों को मंजूर करने से पहले इनका निरीक्षण अथवा परीक्षण नहीं किया गया था;

(ङ) क्या इस मामले में सम्बन्धित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है; और

(च) यदि हां, तो क्या इन टायरों की खरीद और स्वीकृति के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) मलाद में सेंट्रल आर्डनेंस डिपो ने 4400 टायरों के लिये सीधे और 7100 टायरों के लिये संभरण निपटान महानिदेशालय के माध्यम से क्रियादेश दिये थे ।

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित क्रियादेशों के विरुद्ध वास्तव में केवल 9,910 टायर प्राप्त हुए थे । इन 9,910 टायरों के लिए 34,78,734 रुपये का कुल भुगतान किया गया था ।

(ग) सेन्ट्रल आर्डनेंस डिपो ने सीधे "स्टैण्डर्ड ट्रेड" के प्रकार के टायरों के लिये क्रियादेश दिये थे । संभरण निपटान महानिदेशालय द्वारा ये क्रियादेश ट्रक हार्ड रोड सर्व प्रयोनार्थ टायरों के लिये दिये गये थे ।

(घ) निरीक्षकों ने केवल देखकर ही निरीक्षण किया था । कोई परीक्षण नहीं किया गया था ।

(ङ) और (च) मामले की अभी जांच की जा रही है ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, the hon. Minister has just informed the House that no orders were issued from the Army headquarter.

Shri B. R. Bhagat : Yes, please.

Shri Madhu Limaye : No orders were issued that the tyres should be sent to the forward areas. Am I correct ?

Shri B. R. Bhagat : Yes, please.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, I have got information of the three letters of the Central government. I am going to mention their numbers : They are as follows :—

1. Army Hqr letter No. 025660 SOE dt. 17 July, 1963
2. Joint Secretary to the Government of India, No. 22 (20/632697/D) dt. 22 July, 1963 and
3. Army Order No. 375/57.

So far as I know, it has been mentioned in those letters that these were faulty tyres and they should not be used in forward areas because it might prove a great danger to the country. Inspite of these orders, these tyres were sent to the forward areas. With your kind permission I want to place this list on the table of the House. The total number of tyres comes to between 1000 and 1100. I want to know from the hon. minister whether he is prepared to place these three letters on the table of the House so that the House might know whether he was correct or incorrect.

In addition to that I want to know whether the government would take some solid action against those officers whether they are in military or in the ministry, against disobeying the orders.

अध्यक्ष महोदय : आपने इसको पहले ही पढ़ दिया है।

Shri Madhu Limaye : I have got the details like issue of voucher, date to when issued, quantity etc. It is very important.

Shri B. R. Bhagat : Hon. Mr. Speaker, this matter was also raised in the Public Accounts Committee. They have also given their recommendations on it. The matter was also discussed in this light. We would have an enquiry into the matter and an appropriate action would be taken in this regard. We are considering the recommendations given by the Public Accounts Committee and we want to give an assurance to the House that whoever might be, whether he might be an officer, the appropriate legal action would be taken on its recommendations.

Question No. 58 and 73 contd.

Shri Madhu Limaye : I have not received reply for any of my questions. These facts were not before the Public Accounts Committee. Public Accounts Committee was not aware that instead of the orders not to send the tyres to the forward areas, the tyres were sent. It is not a new information. I have read the P.A.C. report.

Shri B. R. Bhagat : We would take any action after taking into consideration the information received from these three letters.

Shri Madhu Limaye : Whether you will place them on the table of the House. First you do not say any thing, but when we give the information regarding the number and dates etc...

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

Shri Madhu Limaye : Then why it has been said that no orders were issued like that ? My second question is....

श्री स० मो० बनर्जी : कृपया सभा पटल पर रख दें।

Shri Madhu Limaye : I have already informed the House that I would place it on the Table of the House. Public Accounts Committee has mentioned several things in its Report and out of those one is very serious. When it was decided that these tyres should not be sent to the forward areas—first of all the decision that the useless tyres should be sent, whether it is forward areas or backward areas, is altogether wrong. They should not have been purchased for the army. I think that the lakhs of rupees have been misappropriated by the officers. There is one Mr. Singh in Malad, he is the Commanding Officer. He has been relieved from the army. If the government do not take any action against him before the expiry of six months, no action could be taken legally against him afterwards.

Similary, there is one big officer Mr. Gupta in the Directorate General. What action has been taken against him ? The decision of the Army headquarters was not enforced for about seven or eight days and the reason for this was told that a copy of the decision had been asked from the Ministry of Home Affairs. You should have sent the copy to the Home Ministry and should have issued a circular which was not done. After that Mr. Krishnamachari was the Co-ordination Minister.

अध्यक्ष महोदय : यह तो सब आप इतिहास बता रहे हैं। आप अपना प्रश्न पूछिये।

Shri Madhu Limaye : This is not history. No reply has been received in this regard. Whether any Committee like the Committee on Steel is going to be appointed in

connection with all these matters. I want to know whether any committee would be appointed to investigate these matters or is this suggestion under consideration that there should be standing committees of the House to look after the defence ministry and other ministries similar to the system prevailing in the Senate or the House of Representatives in America ?

Shri B. R. Bhagat : The last thing that the hon. member has mentioned is under consideration. What actions could be taken against the officers whose names have been mentioned by the hon. member, is under investigation. There have been complaints against several other officers, whose names have also been mentioned by the Public Accounts Committee. I assure the House that proper action would be taken against them. We are seriously considering the recommendations given by the Public Accounts Committee and proper action would be taken.

Shri Yashpal Singh : We have to go for help to S.T.C. and other organisation. Whether we have not got workshops and Military equipments for our defence purposes. Can we not make the army self sufficient in this regard ?

Shri B. R. Bhagat : It was a question of tyres. We have not yet started manufacturing tyres in any of our ordinance factories. We could have taken only those which had been manufactured in our country. But these tyres were not being manufactured at that time in our country and we had to purchase them from outside.

Dr. Ram Manohar Lohia : If you kindly permit me I would like to read two paras from the Public Accounts Committee's report.

अध्यक्ष महोदय : परन्तु, यह तो प्रश्न काल है।

Dr. Ram Manohar Lohia : One is at page 52.

श्री कृ० कु० चटर्जी : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ। प्रश्न काल की अवधि में, वह केवल प्रश्न पूछ सकते हैं। वह यह कैसे पढ़ रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह लोक लेखा समिति की रिपोर्ट का एक भाग है जिसके सम्बन्ध में सदस्य महोदय प्रश्न पूछ रहे हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia : The question could not be asked without being read. The House is not aware what the Public Accounts Committee have mentioned in its report.

Shri Sheo Narain : It has already been laid on the table of the House.

अध्यक्ष महोदय : यदि इसी प्रकार प्रत्येक सदस्य पढ़ना आरम्भ कर देगा तो प्रश्न काल शीघ्र ही समाप्त हो जायेगा।

Dr. Ram Manohar Lohia : But it has not been read by all the members.

"It has been stated in the note that the delay in conveying the decision of the Ministry to the D.G.O.F. and the D.G.S.D. was largely because the file was taken by the Ministry of Home Affairs for investigation on 29th April, 1963 and appears to have been received back on 25th June, 1965."

The committee have expressed the following opinion in a note.

"The Committee are unable to appreciate the type of attitude on the part of D.G.S.D. . . . ."

What is that attitude ?

"The consequence of the tyre going off while a defence vehicle is on the road are serious. Obviously this fact escaped the notice of the officer concerned, who passed the order" (interruptions).

I do not know whether the people want reformation in the country or not. It is a question of country's defence. Faulty tyres have been purchased. Its record is in their books itself. After all there should be some prestige. I want to know who are the Officers of the Home Ministry and Defence Ministry concerned with the misappropriation of money which is in lakhs. One Major Singh has been relieved from the Army. There is a rule in the army that no action could be taken against any body six months after he is being relieved. I want to ask the Minister whether (1) Major Singh would be called back to the army and an effort would be made to take an action against him ? (2) Whether any Parliamentary or any other Committee would investigate the matter because the matter is not only connected with the misappropriation of money, but with the murders of armymen ?

Shri B. R. Bhagat : So far as the question of Major Singh is concerned, it is true that he has gone on leave. Action could be taken against him, but what type of action is possible, is under investigation. The question of calling him back does not arise.

Dr. Ram Manohar Lohia : He has not gone on leave, but he has been relieved for good. No action could be taken against him after six months. I hope that the hon. Minister would not reply in an excited way like the other ministers. He would reply with great confidence because I think he has a great patriotic spirit in him.

Shri B. R. Bhagat : So far as Major Singh is concerned, he is on leave preparatory to retirement. What legal action could be undertaken against him, is under consideration ? If he has been indulged in that, and that has been proved, legal action could be taken against him. Investigation would be made in this regard. Legal action could only be taken after taking into consideration the evidences made by them and others.

When any direction is issued by the P.A.C. regarding delaying of the files and the actions to be taken to avoid further delay in future, attention of the concerned persons is always invited to that direction.

So far as the question of appointing a parliamentary Committee is ooncerned it does not arise at present because P.A.C. have examined all these matters and it is connected with several ministries i.e. D.G.S.D., S.T.C., Department of Commerce and Defence etc.

ज्योतिमय बसु : हमें इस पर संक्षिप्त में विचार करना चाहिये । प्रश्न यह है कि क्या वह निवृत होने से पहले की छुट्टी पर गये या उन्हें मुक्त कर दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । क्योंकि प्रश्न लम्बा था अतः उसका उत्तर भी लम्बा ही होना चाहिये था ।

Shri B. R. Bhagat : All the concerned ministries are taking actions on the recommendations of the P.A.C. So it does not appear necessary to appoint a parliamentary or other Committee.

Shri Atal Behari Vajpayee : I request you, that as an Speaker you can appoint a Committee.

The other method is that, that you can give directions to the new Public Accounts Committee to be formed, to investigate the matter fully and to submit its report before the House. All the facts in this regard must be brought before the House, and I think that the government would not have any objection to it.

अध्यक्ष महोदय : यह उचित विचार है । हमें इस पर विचार करना चाहिये । अब हमें नये प्रश्न लेना चाहिये ।

Shri B. R. Bhagat : May I suggest about the procedure ? The hon. member has suggested that the new Committee should look after it. The report of the Committee is submitted. The new Committee can always examine the report of the proceedings. It is a question of procedure.

अध्यक्ष महोदय : यह एक आवश्यक प्रश्न है। परन्तु इसकी विस्तार से जानकारी देना कठिन है। मैं यह समझता हूँ कि यह एक आवश्यक प्रश्न है और इसलिये यह स्वाभाविक ही है कि लोक लेखा समिति इसकी स्वाभाविक जांच करेगी और इसका व्योरा अधिक विस्तार से देगी।

श्री ही० ना० मुकर्जी : लोक लेखा की रिपोर्ट सरकार के पास लगभग 5 महीने से थी फिर भी मंत्री महोदय ने इस विषय पर कोई सन्तोषजनक विवरण नहीं दिया। और एक व्यक्ति जिसको इससे सम्बन्धित कहा जाता है सेवा निवृति से पहले मिलने वाली छुट्टी या इसी प्रकार की छुट्टी चला गया है।

अतः समस्त मामला इतना अनिश्चित है कि हमें कुछ न कुछ अभी अवश्य करना चाहिये केवल कल्पित आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। जहां तक नई लोकलेखा समिति द्वारा नये सिरे से मामले की जांच करने का सम्बन्ध है, इसका अभिप्राय समय को नष्ट करना और व्यर्थ परेशान होना होगा।

अध्यक्ष महोदय : केवल जानकारी के आधार पर निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि यह ध्यान में रखते हुए कि लोक लेखा समिति की सिफारिशों में इस सौदे पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है, इस पर कार्यवाही करने में इतनी देर क्यां हो रही है।

श्री ब० रा० भगत : इस मामले में विलम्ब नहीं हुआ है। माननीय सदस्य इस सदन के बहुत पुराने तथा वरिष्ठ सदस्य हैं। संसदीय समिति की प्रक्रिया निर्धारित है। यह विभिन्न विभागों, रक्षामन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय तथा सम्भरण मन्त्रालय से सम्बन्धित है। उनकी सिफारिशों पर ही कार्यवाही की जाती है और समिति को इसकी रिपोर्ट दी जाती है। इसलिये मैंने कहा था कि लोक लेखा समिति हमेशा इसको विचार में रखती है और जो उचित समझती है करती है। इस प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से प्रश्न काल में इससे अधिक विस्तार से चर्चा नहीं हो सकती। इसके लिये शायद और कोई उपाय अपनाने चाहिये। यह बहुत आवश्यक प्रश्न है। अब हम दूसरे प्रश्न पर विचार करते हैं।

'BROADCAST OF ELECTION BULLETINS'

*60. **Sri Prakash Vir Shastri** :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the All India Radio adopted partial attitude in broadcasting election results :

(b) whether it is also a fact that numbers of votes polled in favour of some of the prominent Opposition leaders were not announced while the counting was going on, whereas the numbers of votes cast for prominent Congress leaders were announced several times a day, and

(c) if so, the reasons therefor and the action proposed to be taken in the matter ?

Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) and (b). The A.I.R. tried to be absolutely impartial. It is difficult to go through all the news bulletins. If any specific case is brought to the notice of the Government, it will be investigated.

(c) Does not arise.

Shri Prakash Vir Shastri : I want to know whether the All India Radio had already decided some policy regarding the announcement of election results and if so, whether it was a part of their policy to announce the election results of certain persons continuously for two days and in other cases to broadcast the results hardly once or so ?

श्री के० के० शाह : सभी रिकार्डों की जांच करने के पश्चात् मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिला सकता हूँ और मैं इस बात का प्रमाण देने के लिये भी तैयार हूँ कि आकाशवाणी ने चुनाव परिणामों के प्रसारण के मामले में पूर्णतः निष्पक्षता दिखाई है। इस सम्बन्ध में कई उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनमें से एक विशिष्ट उदाहरण यह है कि 23 झलकियों (फ्लैशेज) में से जो कि मेरे पास यहां हैं, 12 झलकियों में विजयी हुई 12 कांग्रेसी उम्मीदवारों के और 11 विरोधी दल के उम्मीदवारों के जो कि विजयी हुए थे, चुनाव परिणाम घोषित किये गये थे।

Shri Randhir Singh : Sir, my complaint is the results of the opposition candidates were announced whereas it was not done so in the case of Congress candidates, I want to know the reasons therefor ?

Shri Prakash Vir Shastri : Sir, it is not proper to take individual cases, however, as the hon. Minister has given an example, I would also like refer to my own case. The A.I.R. announced that I had won by a margin of about 40,000 votes, whereas the factual position in this behalf was that I had won by a margin of over 48,000 votes. Will the hon. Minister please look into the cases of this nature ?

श्री के० के० शाह : मैं इस बारे में जाँच करूँगा।

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know whether it is not a fact that the A.I.R. did not at all mention the fact that Shri Vajpayee, the Leader of our party, was leading, while the counting was going on ? The same agency, on the other hand, released bulletins after every one hour regarding the progressive lead by Shrimati Indira Gandhi, other ministers and so many other prominent Congress leaders. What I want to know about is whether the Minister would make inquiries about the cases where such partial attitude was adopted, if the facts regarding them were furnished to him.

श्री के० के० शाह : जहां तक मेरे मित्र, श्री वाजपाई के सम्बन्ध में ध्यान दिलाने की बात है, मैं समझता हूँ वह आकाशवाणी में भी गये थे और वहां उन्होंने यह बात बताई थी। इस बारे में तथ्य मेरे सामने हैं। मैं 23 फरवरी, 1967 के स्टेट्समैन समाचार पत्र से उद्धरण दे रहा हूं जिससे तुलनात्मक स्थिति का पता लग जायेगा। उक्त समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार इस प्रकार था :

"श्री अटल बिहारी बाजपाई तथा श्रीमती सुभद्रा जोशी के बीच 600 मतों के अन्तर से बराबर-बराबर की टक्कर चल रही है।"

आकाशवाणी से प्रसारित समाचारों में यह कहा गया था :

"श्री अटल बिहारी बाजपाई तथा श्रीमती सुभद्रा जोशी के बीच करीब-करीब बराबर का मुकाबला चल रहा है।"

इसके बाद मैं 25 तारीख की सुबह के उन तीन बुलेटिनों को पेश करता हूँ—जबकि परिणाम घोषित हो चुका था—जिनमें मुख्य रूप से यह कहा गया था कि श्री बाजपाई जीत गये हैं। इन बुलेटिनों में, जो कि मेरे पास यहाँ मौजूद हैं, चुनाव परिणाम का समूचा ब्यौरा दिया गया था।

Shri Kanwar Lal Gupta : I can quote so many examples where it was announced by the A.I.R. that 'X' was leading by 15,000 votes and 'Y' by 20,000 and so on so forth. I want to know from the Minister whether the cases of this nature will be investigated.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे व्यक्तिगत मामले न उठायें। मन्त्रियों तक ने शिकायत की है। 24 तारीख की शाम तक तो मेरे बारे में भी कुछ नहीं बताया गया था क्योंकि उनको कोई सूचना नहीं मिल पाई थी, समाचारपत्रों ने यह खबर दी कि मुझे कम मत मिल रहे हैं और मैं पीछे हूं जब कि वस्तुतः मैं आगे बढ़ रहा (लीड) था। उन्हें इसकी सूचना नहीं मिली इसलिये उन पर अब दोष लगाना बेकार है।

भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान बी० बी० सी० द्वारा प्रसारण

+

*61 **श्री स० चं० सामन्त** : **श्री प्र० कु० घोष** :
श्री नि० च० चटर्जी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1965 में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बारे में बी० बी० सी० द्वारा अपने प्रसारणों में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाये जाने के सम्बन्ध में क्या भारत सरकार ने कोई विरोध-पत्र भेजा था;

(ख) यदि हां, तो ब्रिटिश सरकार अथवा बी० बी० सी० ने क्या उत्तर दिया है; और

(ग) बी० बी० सी० की विदेश सेवाओं के निदेशक के हाल के भारत दौरे का क्या तात्पर्य था तथा गत भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान बी० बी० सी० द्वारा अपनाये गये रवैये के बारे में उन्होंने क्या स्पष्टीकरण दिया है।

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां। लंदन में हमारे हाई कमीशन ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बारे में बी० बी० सी० के कई कार्यक्रमों के भारत-विरोधी रूझान के खिलाफ विरोध प्रकट किया और उसके प्रति हमारा खेद और निराशा व्यक्त की।

(ख) बी० बी० सी० का कहना था कि, उसके प्रसारण निष्पक्ष थे और उनका आधार ऐसी रिपोर्टें थीं जो उन्हें प्राप्त हुई थी। भारतीयों से प्राप्त शिकायत-पत्र प्रसारित किये गये और बी० बी० सी० ने हमारे हाई कमिश्नर और डिप्टी हाई कमिश्नर को तीन मौकों पर रेडियो पर हमारा दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिये निमंत्रित किया।

(ग) उनका उद्देश्य नई दिल्ली में बी० बी० सी० का कार्यालय देखना था। सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही तरह के अधिकारियों ने उनकी उपस्थिति के अवसर पर बी० बी० सी० द्वारा भारत-पाक संघर्ष के दौरान अपनाए गये रवैये पर बातचीत की।

उन्होंने कहा कि बी० बी० सी० के ख्याल से उनके प्रसारण निष्पक्ष थे और पाकिस्तान ने भी शिकायत की थी।

श्री स० चं० सामन्त : माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि बी० बी० सी ने अपने ख्याल से निष्पक्ष प्रसारण किया। क्या भारत-पाकिस्तान संघर्ष तथा भारत-चीन संघर्ष के दौरान दोनों ही मामलों में, बी० बी० सी० ने केवल ब्रिटिश सरकार की राय का प्रसारण किया था ?

श्री मु० क० चागला : हमारा दृष्टिकोण सदैव यही रहा है कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान बी० बी० सी० से प्रसारित समाचार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र नहीं थे और उ में पाकिस्तान की ओर झुकाव था। किन्तु बी० बी० सी० का कहना यह है कि उसने निष्पक्षता दिखाई। इस विवादास्पद विषय को हम और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं ? जहां तक भारत-चीन संघर्ष का सम्बन्ध है यद्यपि इस प्रश्न का इससे सम्बन्ध नहीं है, तथापि उसने जो कुछ प्रसारण किया, वह हमारे लिये सन्तोषजनक नहीं हो सकता था।

श्री हेम बरूआ : जब कि लन्दन स्थित हमारे हाई कमीशन ने बी० बी० सी० के अधिकारियों से यह विरोध प्रकट किया था कि उनके प्रसारण निष्पक्ष नहीं थे, बी० बी० सी० का कहना था कि उनके प्रसारण निष्पक्ष थे और उनका आधार लड़ाई की ऐसी रिपोर्टें थी जो कि उन्हें भारत तथा पाकिस्तान दोनों देशों से अलग-अलग प्राप्त हुई थी चूँकि पाकिस्तानी रिपोर्टों में गलत बयानी के अलावा और कुछ भी नहीं था—उदाहरणार्थ पाकिस्तानी रिपोर्टों में यह कहा गया था कि पाकिस्तानी बम-वर्षक विमानों ने गोहाटी स्थित तेल शोधन कारखाने तथा ब्रह्मपुत्र नदी पर पंडू स्थित पुल पर बम गिराये और उन्हें तहस-नहस कर दिया—बी० बी० सी० ने इन वक्तव्यों का बिना जांच किये प्रसारण किया—क्या सरकार ने इस मामले में जांच करने की कोशिश की और यदि हां, तो क्या उसने बी० बी० सी० के अधिकारियों से कहा है कि स्वतंत्र तथा निष्पक्ष प्रसारण के लिये उन्हें खुद अपने सम्वाददाता नियुक्त करने चाहिये थे ताकि उन्हें पाकिस्तानी रिपोर्टों पर निर्भर न रहना पड़ता ?

श्री मु० क० चागला : इस सम्बन्ध में उनसे ज्यादा से ज्यादा जोरदार शब्दों में सब कुछ कहा गया। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया है, कि हाई कमिश्नर तथा डिप्टी हाई कमिश्नर को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी गई थी और मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि जब वे बी० बी० सी० में गये तो उन्होंने बी० बी० सी० द्वारा लिये गये दृष्टिकोण के प्रति कड़ा विरोध प्रकट किया।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या सरकार को इस बात से सन्तोष है कि लन्दन स्थित हमारे हाई कमीशन के सूचना अभिकरणों ने ठीक से काम किया और भारत स्थित जनता को उपलब्ध सभी जानकारी ब्रिटिश तथा अन्य प्रसारण अभिकरणों तथा समाचारपत्रों को उपलब्ध कराई गई थी ? क्या सरकार ने इस बारे में जांच की है और वह इस बात से सन्तुष्ट है कि वहां स्थित हमारे अभिकरणों ने बिलकुल ठीक ढंग से काम किया है, और उन्हें सब सामग्री उपलब्ध कराई थी ?

श्री मु० क० चागला : जी, हां, भारत-चीन संघर्ष के दौरान मैंने उस कार्यालय में काम किया था। भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान मैं वहां नहीं था। मैं इस सभा को विश्वास

दिला सकता हूँ कि हम अपने प्रत्येक दूतावास को प्रति दिन दो-दो या तीन-तीन बार प्रसारण भेजते थे। उन समाचारों को समाचार एजेंन्सियों तथा प्रसारण एजेन्सियों को देना दूतावास का काम है। ऐसी बात नहीं है कि बी० बी० सी० ने पूरी जानकारी न होने के कारण निष्पक्ष रूप से प्रसारण नहीं किया था। मैं सभा को यकीन दिला सकता हूं कि, जहां तक हाई कमीशन का सम्बन्ध है, उसने देश में हो रही घटनाओं का सही-सही रूप देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। गलती तो ब्रिटेन के समाचार अभिकरणों की है किन्तु वे इस बात को मानेंगे नहीं; हां पाकिस्तान की बात को जरूर मान लेंगे और पक्षपातपूर्ण समाचार प्रसारित करेंगे।

श्री पं वेंकन्टासुब्बया : क्या माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि इस बात के अतिरिक्त कि ब्रिटेन की सरकार के विचार पड़ौसी देशों के साथ हमारे सम्बन्धों के बारे में विपरीत हैं, एक और बात यह भी है कि हमारी समाचार एजेन्सियां तथा ब्रिटिश हाई कमीशन पर्याप्त रूप से समाचार नहीं देती हैं, साथ-ही-साथ पाकिस्तान से हमारे संघर्ष के दौरान जो विदेशी सम्वाददाता यहां थे, उन्होंने दुहरा रवैया अपनाया था ?

श्री मु० क० चागला : यह सच नहीं है। मुझे इसका अनुभव है। ब्रिटेन के समाचार पत्र में कोई विशेष समाचार छपता है। मैं इस बात को उच्च आयुक्त के रूप में प्राप्त अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। हम शीघ्र ही उसका खण्डन करते हैं और हम जब उनसे इसका प्रतिवाद प्रकाशित करने के लिये कहते हैं, वे इस प्रतिवाद को नहीं छापेंगे। ऐसी स्थिति में क्या किया जाये ? इसके बाद हम वहां की सरकार को लिखते हैं और जवाब में यह आता है कि "प्रेस स्वतंत्र है; हम कुछ नहीं कर सकते", इसलिये, झूठ तब प्रकट होता है जब उसका प्रतिवाद तथा खण्डन करने को कहा जाता है। अमरीका में भी प्रायः ऐसा ही होता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि बी० बी० सी० ब्रिटेन की सरकार की सरकारी प्रसारण अभिकरण है और-और पाकिस्तान के हक में बात कहना उसके लिये कोई नई चीज नहीं है—1947 से ऐसा चलता आ रहा है—क्या हमारी सरकार को वास्तव में यह आशा थी कि बी० बी० सी० निष्पक्ष प्रसारण करेगा ? इसलिये ऐसा होने पर उसे धक्का क्यों पहुँचा ?

श्री मु० क० चागला : मुझे हमेशा ही, जब कभी न्याय और औचित्य का गला घोटा जाता है, धक्का पहुँचता है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि दुर्भाग्यवश ब्रिटेन का झुकाव हमेशा ही पाकिस्तान के पक्ष में रहता है और पिछले संघर्ष में उसने भारत तथा पाकिस्तान को समान दर्जा देने का प्रयत्न किया था। लेकिन, इस बात के होते हुये भी, हर एक को दुख होता है क्योंकि ब्रिटेन की सरकार से यह आशा की जाती है कि वह निष्पक्षता तथा न्याय की भावना का रुख अपनायेगी।

कपड़ा तैयार करने वाले आयुध कारखाने

+

*62. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रति रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा तैयार करने वाले आयुध कारखानों में काम काफी मात्रा में घट गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन कारखानों को और अधिक काम देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) (क) जी हां, आयुध वस्त्र कारखानों में कार्य भार की पर्याप्त कमी हुई है ।

(ख) वस्त्रों में अधिकतर कमी 1963 और 1964 में पूरी करली गई थी । उसके पश्चात् के वर्षों के लिए आवश्यकताएं काफी कम हैं ।

(ग) आयुध वस्त्र कारखानों की क्षमता को काम में लाए रखने के लिए वस्त्र सिलाने के आर्डर केन्द्रीय सरकार के विभागों, राजकीय क्षेत्र के उपक्रमों सहकारी क्षेत्र इत्यादि से प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि कपड़ा तैयार करने वाले आयुध कारखानों में काम कम होने का कारण यह था कि आयुध कारखानों में जो चीजें बनाई जाती थी, गैर-सरकारी क्षेत्र को दे दी गई है और यदि हां, तो क्या वह काम आयुध कारखानों में किया जायेगा और गैर-सरकारी क्षेत्र को कोई काम नहीं दिया जायेगा जिससे आयुध कारखानों को नुकसान हो ?

श्री ब० रा० भगत : क्या माननीय के कहने का अभिप्राय यह है कि आयुध कारखानों का काम गैर-सरकारी क्षेत्र को दिया जा रहा है ?

श्री स० मो० बनर्जी : मेरी जानकारी यह है कि जब श्री हाथी मंत्री थे, तो वे बड़े व्यापार-गृहों से बात कर रहे थे और 20 हजार चीजें, जो कपड़ा तैयार करने वाले आयुध कारखानों में बनाई जाती थीं, गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंप दी गई थीं । इसलिये मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूँ कि कोई भी काम, जो आयुध कारखाने करने में सक्षम हैं, गैर-सरकारी क्षेत्र को दिया जायेगा जिससे कि आयुध कारखानों को नुकसान हो ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नों के घण्टे में कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न यह है कि आयुध कारखानों में काम कम होने का कारण यह है कि आयुध कारखानों में जो चीजें बनाई जाती थीं, वे गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंप दी गई हैं ?

श्री ब० रा० भगत : वास्तव में हम अन्य विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से ऐसे काम, जो वे गैर-सरकारी क्षेत्र को दे रहे हैं, इन कारखानों को देने के लिये बातचीत कर रहे हैं ताकि अप्रयुक्त क्षमता प्रयोग में लाई जा सके । इसलिये मुझे आश्चर्य होगा कि आयुध कारखानों में तैयार की जाने वाली चीजों का निर्माण गैर-सरकारी क्षेत्र को दिया जा रहा है । मैं इसका ठीक-ठीक पता लगाऊँगा ।

श्री मं० रं० कृष्ण : आयुध कारखानों में ऐसा कौन-सा विशेष कपड़ा तैयार किया जाता है, जो गैर-सरकारी फर्में नहीं बना सकती हैं ?

श्री ब० रा० भगत : इस समय इसका उत्तर मुझे नहीं देना है, यहां प्रश्न यह है कि कपड़ा तैयार करने वाले आयुध कारखानों की पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि सेना की संधारण आवश्यकता कम होगी और उनकी क्षमता का क्या प्रयोग हो रहा है । हम भरसक

प्रयत्न कर रहे हैं और जो काम किया जा रहा है, उसे गैर-सरकारी क्षेत्र को देने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि इस प्रकार काम के कम हो जाने के कारण ऑर्डनेन्स क्लोदिंग फैक्टरी, शाहजहांपुर, पैराशूट फैक्टरी, कानपुर और क्लोदिंग फैक्टरी, कानपुर में लगभग 5,000 कर्मचारियों को फालतू घोषित कर दिया गया है और उन्हें नीचे पदों पर भेज दिये जाने अथवा छंटनी कर दिये जाने की संभावना हैं, यदि हां, तो इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है कि उनकी छंटनी न की जाये बल्कि उन्हें उनके पद के बराबर दूसरा काम दे दिया जाये और अन्य सरकारी विभागों से, जैसे रेलवे, काम प्राप्त किया जाये।

श्री ब० रा० भगत : यदि यह प्रश्न मूल प्रश्न के रूप में पूछा गया होता, तो मैं आंकड़े इकट्ठा कर सकता था; लेकिन हमारा प्रयास है कि अप्रयुक्त क्षमता को प्रयोग किया जाये और यदि हो सके तो कर्मचारियों की छंटनी न की जाये।

दलाई लामा को भारत का समर्थन

\+

*63. **श्री क० ना० तिवारी** :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री राम सिंह :
श्री ई० के० नयानर :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 मार्च 1967 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "दलाई लामा सीक्स इंडियाज् पोलीटिकल सपोर्ट" (दलाई लामा भारत का राजनैतिक समर्थन प्राप्त करने के उत्सुक) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार से किस प्रकार का राजनैतिक समर्थन देने को कहा जा रहा है अथवा कहा गया है; और

(ग) भारत सरकार उनकी राजनैतिक तौर पर किस हद तक सहायता करने को सहमत हुई हैं ?

विदेश मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां। उसमें उल्लिखित वक्तव्य में दलाई लामा के विचार हैं और उन्होंने वह वक्तव्य हमारी स्वीकृति के बगैर जारी किया था।

(ख) और (ग) दलाई लामा ने हमसे कोई विशेष प्रस्ताव नहीं किया है। हमने तिब्बत के लोगों के मूलभूत अधिकार और स्वतंत्रता के निरंतर उल्लंघन के बारे में संयुक्तराष्ट्र में एक प्रस्ताव का समर्थन किया है। दलाई लामा ने यह आशा व्यक्त की है कि भारत "तिब्बती लोगों के मानवीय अधिकार और मूलभूत स्वतंत्रता की पुनः प्राप्ति" के लिए संयुक्त राष्ट्र में निरंतर ऐसा समर्थन देता रहेगा जैसी कि आवश्यकता होगी। भारत सरकार को तिब्बत के लोगों से उनकी वर्तमान दुरवस्था से सहानुभूति है और वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप तिब्बतियों के मूलभूत अधिकार और स्वतंत्रता की पुनः प्राप्ति के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र में रखे प्रस्तावों का बराबर समर्थन करती रहेगी।

Shri K. N. Tiwary : The hon. Minister said that he would land support to all moves aimed at restoration of fundamental rights of the Tibetan people and make efforts for the same. What steps have been taken or are proposed to be taken in this direction ?

श्री मु० क० चागला : जैसा माननीय सदस्य को मालूम है कि चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित संकल्पों की ओर ध्यान नहीं देता है। यह कहना बहुत कठिन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित संकल्प को मानने के लिये चीन को बाध्य करने के हेतु इस समय क्या कार्यवाही की जा सकती है।

Shri K. N. Tiwary : Is it a fact that Dalai Lama had sought the permission of the Government to a visit U.S.A. and other foreign countries to plead the case of liberation of his land and the same was refused ; if so, the reasons therefor ?

श्री मु० क० चागला : जी, नहीं, जहां तक मुझे मालूम है दलाई लामा भारत और अन्य एशियाई देशों की यात्रा करना चाहते थे। हमने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, यदि वे देश उन्हें आमंत्रित करते हैं, हम यह देखेंगे कि उन्हें, जहां भी वे जाते हैं, वहां सभी सुविधायें दी जाती हैं। उन्हें अनुमति नहीं देने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री ई० के० नयानर : भारत सरकार द्वारा पहले दिये गये इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए कि दलाई लामा को राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेने दिया जायेगा क्या सरकार इस पर दृढ़ रहेगी और दलाई लामा से कहेगी कि वे सभी राजनीतिक गतिविधियों से अलग रहें ? क्या दलाई लामा का राजनीतिक समर्थन करने के लिये सरकार पर कोई दबाव डाला जा रहा है और यदि हां, तो कौन-सी सरकार दबाव डाल रही है ?

श्री मु० क० चागला : इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है कि दलाई लामा का राजनीतिक समर्थन करने के लिये कोई देश दबाव डाल रहा है। हमने एक आश्वासन दिया है और हम उस पर दृढ़ हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : माननीय मंत्री ने अभी कहा कि उन्होंने यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया है। क्या भारत सरकार ने मानव अधिकार आयोग में इस विषय पर चर्चा के समय तिब्बत में आजकल के हालात बताये हैं और यदि हां, तो उस पर मानव अधिकार आयोग की कोई प्रतिक्रिया हुई ?

श्री मु० क० चागला : केवल इस बात से कि संकल्प भारी बहुमत से पारित हुआ था, यह स्पष्ट हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र को यह विश्वास हो गया था कि मानवीय अधिकारों की न केवल अवहेलना होगी बल्कि कुचला जायेगा और मूलभूत स्वतन्त्रता नहीं दी जा रही थी और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का उल्लंघन किया जा रहा था।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया।

श्री मु० क० चागला : हमें प्राप्त रिपोर्टें, अधिकृत तथा सरकारी, से पता चलता है कि वास्तव में हालात दयनीय हैं। उनकी प्राचीन संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है; उनके धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है। तिब्बत में आज जो हो रहा है, उसे देखकर हम भयभीत हो जाते हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या दलाई लामा को यहाँ पर एक प्रवासी सरकार के रूप में काम करने के लिये अनुमति देने के हेतु दलाई लामा की ओर से भारत सरकार से कोई प्रार्थना की गई थी ?

श्री मु० क० चागला : जी, नहीं ।

श्री बलराज मधोक : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तिब्बत का सदा से स्वयं अपना एक अन्तर्राष्ट्रीय अस्तित्व रहा है और तिब्बत पर बलपूर्वक कब्जे के परिणामस्वरूप भारत और चीन के बीच सीधी सैनिक मुठभेड़ हुई, क्या भारत सरकार ने तिब्बत को मुक्त कराने के लिये कोई कार्यवाही की है क्योंकि तिब्बत का प्रश्न मानवीय अधिकारों का ही प्रश्न नहीं है अपितु एक स्वतंत्र देश की स्वतंत्रता को कुचलने का प्रश्न भी है ? इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री मु० क० चागला : माननीय सदस्य को मालूम है कि हमने यह स्थिति स्वीकार की थी कि तिब्बत चीन का भाग है......

श्री बलराज मधोक : ऐसा कभी नहीं था ।

श्री मु० क० चागला : मैं अब भी यही मानता हूँ । जब हमने यह स्थिति स्वीकार की कि तिब्बत चीन का भाग है, हमने चीन को स्पष्ट कर दिया कि चीन तिब्बत की स्वायत्तता का आदर करेगा और यथासंभव स्वायत्तता प्रदान करेगा । अब माननीय सदस्य चाहते हैं कि हम अपनी नीति पूरी तरह बदल दें । यह वास्तव में कार्यवाही करने का सुझाव है । यदि सभा चाहे, तो हम अपनी नीति पर पुनः विचार करेंगे । लेकिन अब तक, इतने वर्षों तक सरकार की नीति यह रही है कि तिब्बत चीन का अभिन्न अंग है, लेकिन उनके मूलभूत अधिकारों तथा मानवीय अधिकारों का आदर करने के लिये, जिनके लिये सभी नागरिकों को अधिकार है, तिब्बत को यथासंभव स्वायत्तता देने के लिये चीन बाध्य है ।

श्री तुलशीदास जाधव : मंत्री महोदय ने कहा कि चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है । इस प्रश्न को हल करने में कितना समय लगेगा ? स्थिति यह है कि चीन संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है और संयुक्त राष्ट्र संघ उसे लेना नहीं चाहता है । यह कब तक चलता रहेगा और यह प्रश्न कब हल होगा ?

श्री मु० क० चागला : जब संयुक्त राष्ट्र एक संकल्प पारित करता है तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कि यह केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों तक ही सीमित होता है । जो इसके सदस्य नहीं हैं, वे इसका पालन करने से इन्कार कर दें, लेकिन एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा, विशेष रूप से मानवीय अधिकारों के बारे में पारित संकल्प एक ऐसा संकल्प है जो सारे विश्व पर लागू होता है और यदि चीन अन्तर्राष्ट्रीय मत के लिये कोई आदर रखता है, तो उसे संयुक्त राष्ट्र के दृष्टिकोण का आदर करना चाहिये ।

श्री प्र० के० देव : 1954 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐल सलवाडोर ने यह प्रश्न, अर्थात् तिब्बत पर चीन का अवैध कब्जा, उठाया, तो भारत ने इस पर चर्चा किये जाने का विरोध किया था । क्या नई सरकार उसी नीति को मानती है अथवा तिब्बत पर चीन के अवैध कब्जे के बारे में दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन हुआ है ?

श्री मु० क० चागला : मेरे माननीय मित्र बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं। भारत ने पिछले अनेक अधिवेशनों में दलाई लामा के कहने पर रखे गये मानवीय अधिकारों सम्बन्धी संकल्पों का समर्थन किया है। दलाई लामा स्वयं एक विशेष संकल्प रखवाना चाहते थे और भारत ने उसका समर्थन किया।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

आसाम मेल का पटड़ी से उतर जाना

\+
*2. **श्री हेम बरुआ :** **श्री यशपाल सिंह :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री ज्योतिमय बसु :**
श्री राम किशन गुप्ता : **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के सोनपुर गोरखपुर सेक्शन के सीतलपुर स्टेशन के निकट अप आसाम मेल के 6 डिब्बों के पटड़ी से उतर जाने के कारण बहुत से यात्री घायल हुए और कुछ की मृत्यु हो गई;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारण क्या हैं;

(ग) घायल तथा मृत यात्रियों की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) इस दुर्घटना के कारण रेलवे सम्पत्ति को कुल कितनी हानि हुई ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ग) 18.3.1967 को पूर्वोत्तर रेलवे के नयागाँव और सीतलपुर स्टेशनों के बीच जो गाड़ी पटरी से उतर गयी थी, वह असम मेल नहीं, बल्कि 9 अप कानपुर एक्सप्रेस थी। इस दुर्घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन 18 व्यक्तियों को चोटें आयीं। इनमें से 17 व्यक्ति दुर्घटना-स्थल पर मरहम पट्टी के बाद अपनी यात्रा पर रवाना हो गये।

(ख) दुर्घटना के कारण की जाँच की जा रही है।

(घ) रेल सम्पत्ति को लगभग 28,000/-रुपये की हानि का अनुमान है।

श्री हेम बरुआ : जैसे ही दुर्घटना हुई क्या घटना स्थल पर कोई प्रारम्भिक जांच की गई थी और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : सम्बन्धित अधिकारियों ने तुरन्त जांच आरम्भ कर दी थी और यह पाया गया कि कुछ फिश-प्लेट निकाल ली गई थीं और लाइन के साथ छेड़छाड़ की गई मालूम दी। आगे जांच हो रही है।

श्री हेम बरुआ : जब भी कोई दुर्घटना होती है तो रेलवे लाइनों का निरीक्षण करने में निरीक्षण कर्मचारियों की लापरवाही की ओर ध्यान दिये बिना रेलवे मंत्री की यह कहने की आदत हो गई है कि यह तोड़फोड़ की घटना होगी। क्या सरकार को इस बारे में भी यही कहानी सुनानी है—अर्थात् इसका कारण कुछ फिश-प्लेटों का हटाया जाना था—अथवा इसके बारे में सरकार कुछ कहानी सुनाना चाहती है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जांच पूरी हो जाने पर हम ठीक बता सकेंगे कि क्या कारण था ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी . मन्त्री महोदय के उत्तर से यह स्पष्ट नहीं हुआ कि ये जांच किसने की थी, जिससे यह साबित हुआ कि फिश-प्लेट निकाली गई थीं । क्या सरकार के पास इसका कोई सबूत है, क्या सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है, क्या उनका पता लग गया है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट आफ आपरेशन्स, सेफटी घटनास्थल पर गये थे और कुछ प्रारम्भिक जांच की थी । पुलिस भी मामले की जांच कर रही है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या दुर्घटना में हताहत यात्रियों को किस प्रकार का बीमा देने पर सरकार विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यात्रियों के लिये बीमे की राशि ।

श्री चे० मु० पुनाचा : इस समय ऐसा नहीं है ।

श्री नम्बियार : क्या यह सच है कि जब भी कोई दुर्घटना होती है, तो हम तोड़-फोड़ का बहाना सुनते हैं ? इन दुर्घटनाओं के असली कारण का पता लगाने के लिये यात्रियों के पास और क्या रास्ता है ताकि भविष्य में ये दुर्घटनायें न हों और तोड़-फोड़ की दलील न रखी जाये?

श्री चे० मु० पुनाचा : जांच पूरी हो जाने पर हम पूरा ब्यौरा सब के समक्ष रख सकेंगे । ऐसा नहीं है कि प्रत्येक दुर्घटना तोड़-फोड़ के कारण होती है । अभी मैं पिछले एक दिन दूसरी सभा में कुछ जानकारी रख रहा था, थोड़ी सी अवधि में 225 दुर्घटनायें हुई, जिनमें से केवल 2 तोड़-फोड़ से सम्बन्धित थी जबकि शेष मनुष्यों की गलती अथवा मशीनी खराबी आदि कारणों से हुई थी । ऐसा नहीं है कि प्रत्येक मामले को तोड़ फोड़ की कार्यवाही समझ लिया जाता है ।

श्री हेम बरुआ : मेरे अनुपूरक प्रश्न का प्रयोजन कर्मचारियों की गलती तथा इसे रोकने और यात्रा सुरक्षित बनाने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही जानना था । मन्त्री महोदय ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा ।

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं । इसी क्षेत्र से पहले दो गाड़ियां गुजरी थी । पहली गाड़ी में तथा दूसरी गाड़ी के बीच 45 मिनट का अन्तर था । रेलवे लाइन पर गश्त लगाई गई थी परन्तु फिर भी इस थोड़े समय में दुर्घटना हो गई...

श्री हेम बरुआ : फिर यह तोड़-फोड़ की कार्यवाही नहीं हो सकती ।

श्री चे० मु० पुनाचा : तुरन्त जांच की गई और हमें पता लगा कि रेलवे लाइन तोड़ फोड़ने का सबूत था । यह एक तथ्य है ।

श्री हेम बरुआ : यदि 45 मिनट के बीच में गश्त लगाई जा रही थी, तो लोग फिश-पलेट किस तरह हटा सकते थे ?

Shri Randhir Singh : Mr. Speaker, I think that the number of accidents taking place in India is highest in the world ; what is the reason ? Is it due to inefficiency or there is some other reason ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने सारी बात बता दी है। माननीय सदस्य उसे दोहराने के लिये कह रहे हैं। मंत्री महोदय ने कहा कि मानवीय गलती, मशीनों की खराबी आदि के कारण बहुत सी दुर्घटनायें हुई हैं। यदि माननीय मंत्री माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो उन्हें सारी बात को दोहराना पड़ेगा।

श्री श्रीचन्द गोयल : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे भूतपूर्व रेलवे मंत्री चुनाव हार गये, जिसका एक कारण यह भी बताया जाता है कि बहुत सी रेल दुर्घटनायें हुई और उनमें त्याग-पत्र देने का साहस नहीं था, जैसा कि श्री लाल बहादुर शास्त्री ने किया था, क्या सरकार कोई दोष-मुक्त प्रबन्ध करेगी ताकि वर्तमान रेलवे मंत्री को ऐसी स्थिति का फिर से सामना न करना पड़े ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जाना

59 **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाये जाने के सम्बन्ध में सरकार के रवैये में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या उन अन्य महत्वपूर्ण देशों के रवैये में कोई परिवर्तन हुआ है जो कि चीन को इस विश्व निकाय का सदस्य बनाये जाने का विरोध करते रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस विवेचनीय परिवर्तन का क्या स्वरूप है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) महासभा के 21वें सत्र (1966) में जिस ढंग से मतदान हुआ उसकी 20वें सत्र (1965) में किए गए मतदान की तुलना करने से यह पता चलता है कि इस प्रश्न पर कुछ देशों के रुख में विशेष परिवर्तन हुआ है। एक ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

[**पुस्तकालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०** 100/67]

CONCENTRATION OF CHINESE AND PAK. TROOPS

*64. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) whether there has been any decrease in the heavy concentration of the Chinese and Pakistani troops on the border of India;

(b) whether there had been any provocations also by them on the borders during the last three months ; and

(c) If so, where and the action taken in this regard ?

The Minister of Defence (Sardar Swaran Singh) : (a) As far as we are aware there has been no significant change in the positions and the Chinese as well

as Pakistani troops continue to remain in strength along our borders with Tibet and Pakistan and across the Ceasefire line in Jammu and Kashmir.

(b) and (c) There have been no major provocations during the last three months. There have been cases of violations of the Ceasefire Agreement by Pakistan in Jammu and Kashmir and isolated cases elsewhere and appropriate action was taken in each case.

प्रेस सूचना विभाग के बारे में चंदा समिति की रिपोर्ट

*65 **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंदा समिति ने प्रेस सूचना विभाग के बारे में अपनी रिपोर्ट में यह शिकायत की है कि सरकार की प्रचार नीति शिथिल रही है जैसा कि भारत पर चीन और पाकिस्तान के आक्रमण के दौरान देखा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपनी प्रचार नीति को नया रूप देने तथा प्रेस सूचना विभाग का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) रिपोर्ट में संकट कालीन प्रचार व्यवस्था में समुचित सुधार करने आदि की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। साथ में कुछ और सिफारिशें भी की गई हैं।

(ख) चन्दा समिति की रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। सूचना कार्यालय की कार्यपद्धति को उतना जरूर पुनर्गठित किया जाएगा जितना आवश्यक समझा जाएगा।

बर्मा में देशभक्त भारतीयों का स्मारक

*66 **श्री च० चु० देसाई** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा में मांडले में भारतीय देशभक्तों की स्मृति में एक स्मारक बनाने के प्रस्ताव के बारे में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : मांडले जेल में लोक-मान्य तिलक की यादगार में एक स्मारक हाल बनाया गया है। बर्मा सरकार ने इस हाल के अन्दर भारत के अन्य राष्ट्रीय नेताओं के संबंध में फलक लगाना सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है। अभी इसका विवरण तैयार नहीं किया गया है।

सैनिक साज सामान तथा युद्ध सामग्री

*67. **श्री श्रीचन्द गोयल** :

क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत भारत पाकिस्तान संघर्ष में क्षतिग्रस्त हुए सैनिक उपकरणों तथा अन्य सामान की मरम्मत करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) सैनिक साज सामान को आधुनिक रूप देने के लिए चालू वर्ष में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) सैनिक साज सामान तथा युद्ध सामग्री बनाने के लिए यदि चालू वर्ष में कोई कारखाने खोले गये हैं, तो कितने तथा देश में साज सामान बनाये जाने की दर का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत दो वर्षों में अन्य देशों से सैनिक साज सामान प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) रक्षा साज़ सामान और अन्य सामान जिसमें कम मरम्मत दरकार थी, फील्ड वर्कशापों द्वारा मरम्मत करके काम में लाया गया है। ऐसे साज़सामान की मरम्मत जिसमें भारी मरम्मत दरकार थी, इस उद्देश्य के लिए बनाए गए मरम्मत कार्यक्रम के अनुसार बेस वर्कशापों में की जा रही है। ऐसे साज़सामान को, फाल्तु पुर्जे प्राप्त करने के लिए, रद्द कर के तोड़ा फोड़ा जाएगा, कि जिसे आर्थिक दृष्टि से मरम्मत से परे समझा गया है।

(ख) सेवाओं के साज़सामान का आधुनिकीकरण, इस उद्देश्य के लिए बनाई गई योजना के अनुसार हो रहा है। विस्तार देना लोकहित में न होगा।

(ग) चालू वर्ष में तीन कारखाने औपचारिक रूप से खोले गए थे। इन कारखानों का उत्पादन दर या क्षमता देना लोकहित में नहीं होगा।

(घ) विदेशी मुद्रा बचाने की आवश्यकता के संबंध में, सेवाओं के साज़सामान और अन्य सामान की फोरी आवश्यकताएं केवल तभी विदेशों से उपलब्ध की गई हैं/की जा रही हैं, जब वह देशीय साधनों से प्राप्त नहीं हो सकती। विस्तार देना लोकहित में न होगा।

भारत-बर्मा सीमा करार

*69. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय : श्री सूपकर :**
श्री दी० चं० शर्मा श्री नाथ पाई

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और बर्मा ने दोनों देशों के बीच सीमा का परिसीमन करने के लिये हाल में रंगून में एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला : (क) जी हां।

(ख) दोनों पक्षों द्वारा करार का सत्यांकन करने के बाद जल्दी ही विदेश मंत्री इस विषय पर संसद में एक वक्तव्य देंगे।

अमरीका द्वारा भारत को दी जाने वाली सैनिक सहायता में गतिरोध

*70. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा भारत को दी जाने वाली सैनिक सहायता में गतिरोध उत्पन्न हो गया है ;

(ख) क्या अमरीकी सरकार द्वारा भारत की परमाणु संभाव्यता के प्रति खतरे का दृष्टिकोण अपनाया गया है, और

(ग) यदि हां, तो अमरीका की इस चिंता के प्रति भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) किसी गतिरोध की बात करना भ्रामक है। स्थिति यह है कि सितम्बर 1965 से भारत को अमरीका की सैनिक सहायता रुकी हुई है। हालांकि फरवरी 1966 से हमारे लिए नगद या उधार कुछ गैर-घातक सैन्य उपकरण खरीदने की छूट रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

छोटे समाचारपत्र जांच समिति

*71. **श्री अनन्तराव वि० पाटिल** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे समाचारपत्र सम्बन्धी जाँच समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या अवमूल्यन के पश्चात् छोटे समाचारपत्रों, विशेषकर भाषाई समाचार-पत्रों की स्थिति बिगड़ गई है; और

(ग) यदि हां, तो इन छोटे समाचारपत्रों को राहत देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) छोटे समाचार-पत्रों की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में 145 सिफारिशें की हैं। इनमें से 30 सिफारिशों के बारे में निर्णय लिये जा चुके हैं और वे सदन के मेज पर रख दिये गये हैं। 81 सिफारिशों के संम्बन्ध में जो निर्णय किये गये हैं उनके विवरण का एक वक्तव्य सदन की मेज पर रखा जाता है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 101/67]

शेष 34 सिफारिशों पर सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, समाचार-पत्र संगठनों आदि के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रयत्न किये जाते हैं कि उनकी दशा नहीं बिगड़े।

(ग) अवमूल्यन के कारण आयातित अखबारी कागज की कीमतें बढ़ जाने के परिणामस्वरूप समाचार-पत्रों को राहत देने के लिये निम्नलिखित कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है;

(1) आयात शुल्क और नियामिक शुल्क हटा लिये गये हैं।

(2) 1 अगस्त 1966 से सरकारी विज्ञापनों पर 10 प्रतिशत अधिभार स्वीकार कर लिया गया है।

(3) अखबारी कागज के आयात में उदारता बरतने की दृष्टि से कनेडा से 15,257 मीटरी टन अतिरिक्त अखबारी कागज मंगाने की व्यवस्था की गई है।

परमाणु वैज्ञानिकों की बैठक

*72. **श्री० प्र० के० देव :** **श्री के० पी० सिंह देव :**
श्री जी० सी० नायक : **श्री ए० दीपा :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैनेवा में हाल में हुई परमाणु वैज्ञानिकों की बैठक में भारत ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो परमाणु हथियारों के प्रसार तथा उनके भारी खतरे के प्रश्न पर भारत के क्या विचार हैं; और

(ग) क्या उन देशों की सुरक्षा के पहलू पर विचार कर लिया गया है, जिनके पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार हैं ?

प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के निमंत्रण पर डा० साराई ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत में जनेवा में सलाहकारी विशेषज्ञों की नामिका की एक मीटिंग में भाग लिया जिसका उद्देश्य परमाणु शस्त्रों के तमाम पहलुओं के प्रभावों तथा पहलुओं के परिणामों पर रिपोर्ट तैयार करना था। मीटिंग में भाग लेने वाले सब बारह वैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत हैसियत से ही भाग लिया।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भूटान-तिब्बत सीमा पर चीनी सेनाओं का जमाव

*74. **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूटान-तिब्बत सीमा पर चीनी सेनाओं का भारी जमाव है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने तिब्बत से भूटान सीमा तक सड़क बना ली है;

(ग) क्या यह भी सच है कि चीनियों के भय से तिब्बत के लोग भारत में घुस रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) चीनी सैनिक, जिस प्रकार दूसरे सेक्टरों में हैं, भूटान-सिक्किम सीमा के साथ-साथ भी बड़ी संख्या में जमे हुए हैं। लेकिन उनका कोई नया जमाव देखने में नहीं आया है।

(ख) ऐसा पता चला है कि पिछले तीन वर्षों में चीनी अधिकारियों ने भूटान सीमा तक जाने वाली कुछ सड़कें बनाई हैं और उनमें सुधार किया है।

(ग) जी हां। 1 जनवरी 1967 से 144 तिब्बती शरणार्थी तिब्बत में चीनियों के अत्याचार से बचकर भारत में आ गये हैं।

(घ) सरकार सभी आवश्यक उपाय बरत रही है।

अन्तरिक्ष की खोज

*75. **श्री सी० सी० देसाई** :

श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अन्तरिक्ष की खोज करने का कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री तथा अणु-शक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) जी हां। एक विवरण सदन के सभा पटल पर है।

विवरण

भारत में अन्तरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के मुख्य अंग निम्नलिखित हैं :

(एक) त्रिवेन्द्रम के समीप थुम्बा नामक स्थान में उपकरणों से भली प्रकार सुसज्जित विषुवदीप राकेट प्रक्षेपण केन्द्र का विकास तथा देख भाल करना। संग्रह, उड़ानों से पूर्व की तैयारी तथा राकेटों को छोड़ने, राडार की सहायता से रास्ते का पता लगाने, ऋतुविज्ञान सम्बन्धी सहायता, इलैक्ट्रानिक गणक की सहायता से आंकड़े तैयार करने, किश्ती तथा हैलीकाप्टर द्वारा संचार के साथ-साथ सर्वेक्षण करने की व्यापक सुविधायें देना। इस रैंज को राष्ट्र संघ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय रैंज का संरक्षण प्रदान किया गया है और फ्रांस, अमरीका, संयुक्त समाजवादी सोवियत गणराज्य के सहयोग से इसका विकास किया गया है।

(दो) त्रिवेन्द्रम में थुम्बा के समीप वेली हिल पर एक अन्तरिक्ष विज्ञान तथा तकनीकी केन्द्र की स्थापना करना जिसमें आजकल राकेटों तथा गुब्बारों के प्रयोग से वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्यक्रम की सहायता के लिये सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। ये सुविधाएँ विश्व-विद्यालयों तथा अन्य अनुसंधान कार्य करने वाली संस्थाओं में भारतीय अनुसंधाताओं को उपलब्ध हैं। (ग) फ्रांस के सहयोग से दो खण्डों वाले सैंटोर राकेट तैयार करना। विदेशों से राकेटों के आयात के बिना अन्तरिक्ष अनुसंधान कार्य करने के लिये राकेट के साथ साथ प्रणोदकों के निर्माण करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

(तीन) अन्तरिक्ष विज्ञान तथा तकनीकी केन्द्र में रोहिणी प्रायोजना के अन्तर्गत पूर्ण स्वेदशी सामान का प्रायोग करके सैंटोर राकेटों से अच्छा काम करने वाले राकेटों के डिजायन तथा टैस्ट करने के कार्य का विकास। सांउडिंग राकेटों के परीक्षणों तथा टैस्ट सुविधाओं के लिये आवश्यक इलैक्ट्रानिक तथा अन्य उपकरणों का विकास।

(चार) ऋतुविज्ञान सांउडिंग राकेटों की सहायता से 80 किलोमीटर की ऊँचाई तक वायुमण्डल में वायु और तापमान की जाँच।

(छ) सैंटोर (फ्रेंच) अथवा नाइक-ऐप्के (संयुक्त राज्य अमरीका) के दो खण्डों वाले साउंडिंग राकेटों का प्रयोग करके 80 से 180 किलोमीटर की ऊँचाई पर प्राकृतिक हवाओं के साथ-साथ वायुमण्डल के आयनीकृत अंगों की रचना, घनत्व तथा ताप की जाँच। क्योंकि विषुवद

रेखा पर वायु विज्ञान के वैज्ञानिक महत्व का अध्ययन करने के लिये यह क्षेत्र निर्धारित किया गया था इसलिये यहाँ आयनमण्डल में 100 किलोमीटर की ऊँचाई पर चुम्बकीय विद्युतधारा, जो कि बहुत अधिक घनत्व वाली धारा है, के अध्ययन के लिये सभी सुविधायें उपलब्ध हैं।

(पाँच) वायुविज्ञान के कार्यक्रम में वैज्ञानिक आयभारों का अध्ययन करने के लिये भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, देहली, और टाटा मूल अनुसंधान संस्थान तथा भारतीय ऋतुविज्ञान विभाग के प्रायोजना वैज्ञानिक शामिल हैं। अन्तरिक्ष कार्यक्रम के लिये बहुत से वैज्ञानिक आयभार अब भारत में भारतीय सामान से तैयार किये जाते हैं।

(छः) उपग्रह संचार तकनीक में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिये प्रयोगिक उपग्रह संचार केन्द्र की स्थापना कार्य प्रगति पर है। यह स्टेशन 1 अगस्त 1967 से कार्य आरम्भ कर देगा।

(सात) उपग्रहों के प्रकाशीय मार्गों का पता लगाने का कार्य उत्तर प्रदेश की राज्यकीय वैध-शाला अमरीका की समिथसोनियन तारा-भौतिकी वैध-शाला के सहयोग से करती है। उपग्रह परीक्षणों के टैलीमीटर संकेतों को ग्रहण करने तथा उपग्रह के रेडियो मार्ग का पता लगाने का कार्य भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद द्वारा किया जाता है।

(आठ) उपग्रहों से प्राप्त संकेतों का प्रयोग करके आयनमंडल के प्रसार की अवस्थाओं का अध्ययन राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, देहली, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद, रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला हैदराबाद और थुम्बा विषुवदीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र त्रिवेन्द्रम में किया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Training of Military Officers in Foreign Countries

*76. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that Government had arranged for special training of certain military Officers in foreign countries after incurring huge expenditure thereon ;

(b) whether it is also a fact that these officers left services shortly after returning to India on the completion of their training ;

(c) whether it is also a fact that offer of jobs carrying better pay scales in private sector was the reason for their leaving military service ; and

(d) if so the steps Government propose to take to prevent such a situation arising in future ?

The Minister of Defence (Sardar Swaran Singh) : (a) to (c) : Normally military officers are deputed to foreign countries to under go training in special courses of instruction in subject for which training facilities do not exist in our country. Generally a period of two years must elapse after the return of the officers from abroad before any request for premature retirement or resignation can be considered and retirements or resignation are generally permitted only under compassionate circumstances. Several hundred officers have gone out for training during the last two years and as for as it has been possible to ascertain within the time available no such instance as alleged has come to notice. If the hon. Member will give some definite clue, I am prepared to make inquiries.

(d) Does not arise.

"स्टेट्समैन" समाचारपत्र का गुप्त सैनिक संवाददाता

*77. **श्री मधुलिमये :**

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जनरल चौधरी द्वारा हाल में लिखी गई एक पुस्तक की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि वह कई वर्ष तक "स्टेट्समैन" के गुप्त सैनिक संवाददाता रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का इस मामले में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पहला लेख, 15 वर्षों से अधिक हुए, लिखा गया था। जनरल चौधरी का दावा है कि उन्होंने यह लेख लिखने के लिये व्यापक अनुमति ले रखी थी। ऐसा सिद्ध करने के लिए कुछ प्रमाण हैं कि, उन्होंने वह अनुमति ले रखी थी। इन लेखों का उद्देश्य, सहज समझ आने वाली भाषा में साधारण जनता में सैनिक मामलों के प्रति रूचि पैदा करना बताया गया था।

(ग) चूंकि लेख सरकार की अनुमति से लिखे गये थे, कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

नागा प्रतिनिधिमण्डल के लिये सुविधाएँ

* 78. **श्री वी० चं० शर्मा :**

श्री हेम बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक नागा प्रतिनिधिमंडल ने श्री ए० पिजी जेड० से विचार-विमर्श करने के लिये ब्रिटेन जाने की सुविधाएँ मांगी हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जब 5 जनवरी 1967 को छिपे नागाओं का प्रतिनिधिमंडल प्रधान मंत्री से मिला, तब उन्होंने उनसे यह अनुरोध किया कि उनके प्रतिनिधि को लंदन जाकर श्री पिजो के साथ सलाह-मशविरा करने की इजाजत दी जाये।

(ख) उन्हें सूचित किया गया कि समस्या का शान्तिपूर्ण समाधान पाने के समान लक्ष्य को आगे बढ़ाने में भारत सरकार सामान्य सुविधाएँ देने को तत्पर रहेगी। छिपे नागाओं के प्रतिनिधियों से अभी तक औपचारिक तौर पर कोई प्रार्थना नहीं आई है। इस तरह किसी निर्णय का प्रश्न ही नहीं उठता।

आकाशवाणी, नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

* 35. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

31 दिसम्बर, 1966 को आकाशवाणी के नई दिल्ली स्थित केन्द्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने स्टाफ कलाकार तथा अन्य कर्मचारी थे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : 31 दिसम्बर, 1966 को आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र में अनुसूचित जाति के नियमित कर्मचारियों की संख्या 32 और स्टाफ आर्टिस्टों की संख्या 2 थी । अनुसूचित आदिम जाति का स्टाफ आर्टिस्ट केवल एक था । दिल्ली केन्द्र पर अनुसूचित आदिम जाति का कोई नियमित कर्मचारी नहीं था ।

उड़ीसा के लिये रेडियो सेट

* 36. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

दिसम्बर, 1966 के अन्त तक उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये कितने रेडियो सेट दिये गये ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : दिसम्बर, 1966 के अन्त तक उड़ीसा के गाँवों में दिये गये रेडियो सेट की संख्या 9380 थी ।

सामुदायिक रेडियो सेट

37. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि संघ राज्य-क्षेत्रों को दिये गये सामुदायिक रेडियो सेट अधिकांश समय बेकार ही पड़े रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी उचित देख-भाल के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं । उपलब्ध जानकारी के अनुसार अनुमान सही नहीं है । 31-12-1966 को समाप्त होने वाली तिमाही में संघ प्रशासित 4 क्षेत्रों के बारे में ब्यौरा इस प्रकार है :—

संघ प्रसाशित क्षेत्र का नाम	क्षेत्र में सेटों की संख्या	काम में न आ रहे सेटों का प्रतिशत	टिप्पणी
1. दिल्ली	269	5 प्रतिशत (लगभग)	
2. पांडिचेरी	235	21 प्रतिशत	50 सेट बैटरियां न होने के कारण बेकार पड़े हैं
3. गोआ, दमण और दीव	153	10 प्रतिशत	
4. दादर और नगर हवेली	10	शून्य	

अन्य संघ प्रशासित क्षेत्रों के बारे में नवीनतम जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है :

(ख) पंचायती सैटों के रख-रखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकारों / संघ प्रशासित क्षेत्रों की है । फिर भी, उनके मार्ग-दर्शन के लिए नमूने की एक योजना भेजी गई है । उस योजना के अनुसार उचित रख-रखाव संगठन बनाने के महत्व के बारे में उनका ध्यान दिलाया जाता है ।

राजनयिक दूतावासों में प्रमुखों के रूप में जननेताओं (पब्लिकमैन) की नियुक्ति

38. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारी विदेश सेवाओं में राजनयिक दूतावासों में प्रमुखों के रूप में सरकारी सेवाओं से लिये गये राजनयिकों तथा जननेताओं की नियुक्ति में वर्तमान अनुपात क्या है : और

(ख) हमारे विदेश-स्थित दूतावासों के प्रमुखों के रूप में जननेताओं में से लिये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) आजकल सरकारी सेवा के 50 राजनयिक और गैर-सरकारी सेवा के 16 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हे एक या इससे अधिक देशों में मिशन प्रमुखों के रूप में नियुक्त करके भेजा गया है। गैर-सरकारी सेवा के 16 व्यक्तियों में गैर-सरकारी कर्मचारी गैर-भारतीय विदेश सेवा पदाधिकारी और रक्षा सेवाओं के रिटायरशुदा पदाधिकारी हैं।

(ख) सरकार विदेशों में मिशन प्रमुखों की नियुक्ति अनुभव और योग्यता के आधार पर करती है। किसी अन्य वृत्ति की तरह, राजनय में भी, वृतिक लोगों को, अगर वे सुयोग्य हों और सुलभ हों, मुख्य रूप से इस तरह के पदों के लिये चुना जाता है, हालांकि सरकार मुक्त रूप से विशिष्ट राजनयिक पदों के लिये अन्य क्षेत्रों के विशिष्ट जननेताओं को चुन सकती है; स्वतंत्रता के बाद से ऐसा होता रहा है :

'India Centre' in London

39. **Shri Atal Behari Vajpayee : Will the Minister of External Affairs be pleased** to state :

(a) whether Government have received suggestions to the effect that an "India Centre" should be set up in London ; and

(b) if so, the reactions of Government thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) (a) and (b) The information is being collected.

Indian High Commissioner in London

40 **Shri Atai Behari Vajpayee :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the post of Indian High Commissioner in London is still lying vacant; and

(b) if so, the time by which appointment to the said post is likely to be made ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir.

(b) The new appointment is likely to be announced at an early date.

दिल्ली में जवानों का स्मारक

41. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री 25 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 24 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत पाकिस्तान संघर्ष में शहीद हुए जवानों की स्मृति में दिल्ली में एक स्मारक बनाने की योजना पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) **तथा** (ख) योजना के विस्तार, इस उद्देश्य के लिए स्थापित की गई समिति द्वारा निर्धारित किये जा रहे हैं ।

सागौन में भूतपूर्व भारतीय महावाणिज्यदूत द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में जांच

42. **श्री हुकमचन्द कछवाय :**

क्या **वैदेशिक**-कार्य मन्त्री 7 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 697 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व भारतीय महावाणिज्यदूत द्वारा अमरीकी बम-वर्षा के बारे में दक्षिण वियतनाम में दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में जांच पूरी हो चुकी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके जांच पूरी हो गई है और संबद्ध अधिकारी के विरुद्ध समुचित कार्रवाई कर दी गई है ।

युगोस्लाविया से सैनिक शिष्टमंडल

43, **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1967 में युगोस्लाविया से एक सैनिक शिष्टमंडल देहरादून आया था और उसने गोरखा प्रशिक्षण केन्द्र तथा भारतीय सैनिक अकादमी का निरीक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह दल भारत सरकार के निमंत्रण पर आया था ;

(ग) वह शिष्टमंडल यहां कितने समय तक ठहरा ; और

(घ) क्या उसका खर्च भारत सरकार ने उठाया था ?

प्रतिरक्षा मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) प्रश्न के पहले भाग का उत्तर हां है और उत्तरोक्त भाग का 'न' ।

(ख) जी हां :

(ग) 12 जनवरी से 28 जनवरी 1967 तक ।

(घ) जी हां ।

सैनिक कर्मचारियों के परिवारों की आवास समस्या

44. **श्री स० चं० सामन्त :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने सैनिक कर्मचारियों के परिवारों की मकानसम्बन्धी **समस्या** को हल करने के लिए उन्हें सहायता देने की दिशा में क्या प्रयत्न किये हैं ; और

(ख) क्या राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में समुचित सहायता देने के लिए कहा गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) रक्षा मंत्रालय के स्वतः प्रेरण पर दिल्ली में एक सैनिक सहकारी भवन निर्माण समिति स्थापित की गयी है। एक वृहत् आवास योजना की पहली प्रावस्था के लिए देश भर में 60 स्थानों का चयन किया गया है। देहरादून और गोआ में सैनिक आवास उपनिवेश के लिए भूमि खरीदी जा चुकी है। पंजाब में लुधियाना और जलंधर में और उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में भूमि की अधिप्राप्ति के लिए लिखा पढ़ी प्रगतिशील है।

(ख) जी हां। राज्य सरकारों को अपने प्रस्तावित आवास उपनिवेशों में सेवा कर रहे और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 15 प्रतिशत भूमिक्षेत्र सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है, और उनमें से बहुतों ने ऐसा करना स्वीकार कर लिया है।

मुख्यायुक्त द्वारा चण्डीगढ़ में रक्षा सेनाओं के सदस्यों के लिए एक उपनिवेश प्रायोजित किया गया है।

कीनिया से बाहर निकाले गये भारत मूलक व्यक्तियों का पुनर्वास

45 **श्री च० चु० देसाई :** **श्री रा० बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीनिया से बाहर निकाले गये भारत-मूलक व्यक्तियों को इस बीच फिर से बसा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या-क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) पिछले वर्ष भारतीय मूल के आठ व्यक्ति कीनिया से निकाले गये थे। इनमें से केवल चार को भारत भेजा गया था। इन चार में से दो व्यक्ति यहाँ पहुँचने के लगभग तत्काल बाद यूनाइटेड किंगडम के लिये रवाना हो गये। बाकी दो में से किसी ने भी पुनर्वास के सम्बन्ध में हमसे कोई सहायता नहीं माँगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पड़ौसी देशों के साथ भारत के सम्बन्ध

46. **श्री श्रीचन्द गोयल :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका तथा अन्य पड़ौसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण तथा अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिये यदि सरकार ने कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री म० क० चागला) : पाकिस्तान और चीन को छोड़कर हमारे पड़ोसी देशों के साथ विशेषकर आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्रों में कई कदम उठाये गये हैं और उनके साथ वर्तमान निकट सम्बन्धों को और समुन्नत करने के लिए ऊँचे स्तर पर लोग आये-गये है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी यह कहा गया है कि "सरकार एशियाई पड़ोसी देशों के साथ भारत के सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील रहेगी।'

भारतीय वायुसेना के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

47. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **प्रति रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8 मार्च, 1967 को खेरिया हवाई अड्डे से उड़ने के थोड़ी देर के बाद भारतीय वायुसेना का एक प्रशिक्षण विमान आगरा से लगभग दस मील की दूरी पर भांदई गांव के पास एक खेत में टूट कर गिर गया और उसमें आग लग गई; और

(ख) यदि हाँ, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) आगरा से 8 मील दक्षिण में एक स्थान पर 8 मार्च, 1967 को प्रातः 8 बज कर 20 मिनट पर एक आई० ए० एफ० विमान की दुर्घटना हो गई। विमान को इतनी क्षति पहुँची थी कि आर्थिक दृष्टि से वह मरम्मत के योग्य न रहा।

(ख) दुर्घटना की जांच के लिए एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी को आदिष्ट कर दिया गया है, और उसके सम्पूर्ण हो जाने पर सदस्य महोदय को वांछित सूचना दे दी जाएगी।

उड़ीसा में फिल्म स्टुडिओ

48. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में उड़ीसा में एक फिलम स्टुडियो खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में उड़ीसा राज्य सरकार से भी कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ग) इस कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार का कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) उड़ीसा में फिल्म स्टुडियो खोलने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

परादीप पत्तन में नाविक प्रशिक्षण संस्था

49. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में परादीप पत्तन में एक नाविक प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने का निश्चय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रशिक्षण कार्य कब से आरम्भ हो जायेगा;

(ग) इस पर कितना खर्च आने का अनुमान है ; और

(घ) क्या इस परियोजना के बारे में कार्य आरम्भ हो चुका है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) परादीप की नौसैनिक प्रशिक्षण की एक वर्तमान सिद्धबन्दी को स्थानान्तरित करने सम्बन्धी एक सुझाव विचाराधीन है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

मद्रास आकाशवाणी केन्द्र से घोषणाएं

50. **श्री एस० के० सम्बन्धम् :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य के लोगों से कोई ऐसा अभ्यावेदन मिला है जिसमें सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह "आल इंडिया रेडियो" को यह निदेश दे कि "आकाशवाणी" शब्द के स्थान पर "वनोली" शब्द बोला जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) तथा (ख): मद्रास राज्य के कुछ लोगों की यह मांग है कि आकाशवाणी के नाम को तामिल शब्द 'वनोली' में बदल दिया जाए। 'आकाशवाणी' शब्द आल इण्डिया रेडियो का माना हुआ पर्याय है और सभी भारतीय भाषाओं के प्रसारणों में प्रयोग किया जाता है। भूतपूर्व मैसूर रेडियो से कन्नड़में संकेत ध्वनि के रूप में इसी शब्द का प्रयोग किया जाता था। सरकार को रेडियो शब्द का बोध कराने वाले अन्य किसी शब्द का जो उनकी प्रादेशिक भाषा में प्रचलित है; प्रादेशिक या स्थानीय उद्देश्य के लिये प्रयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके बारे में आवश्यक आदेश पहिले ही मौजूद हैं। इसके अनुसार आकाशवाणी के तिरुची तथा मद्रास केन्द्रों से जहां भी उचित समझा जाता है, 'वनोली' शब्द प्रयोग किया जा रहा है।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों की पेंशन का स्टर्लिंग में भुगतान

51. **श्री अ० क० गोपालन :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने प्रतिरक्षा कर्मचारियों को इस समय पेंशन स्टर्लिंग में मिल रही है ;

(ख) वर्ष 1965-66 में इन पेंशनों के देने में कुल कितना व्यय हुआ ;

(ग) क्या अवमूल्यन के पश्चात् सरकार इन पेंशनों को विनिमय की नई दर पर देने के लिये सहमत हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस निर्णय के परिणामस्वरूप इन पेंशनों पर प्रति वर्ष कितना अतिरिक्त खर्च आयेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) 341

(ख) लगभग 10.65 लाख रुपये।

(ग) सरकार ने निर्णय किया है, कि रक्षा सेवाओं के उन अफसरों और सेविवर्ग की हालत में, जो पौन्डों में पेन्शन पाने के अधिकारी थे, और जिनके सम्बन्ध में 30 अप्रैल 1957 से पहले पौन्डों में ही पेन्शनों की अदायगी करने के लिये आदेश जारी किये गये थे, पेन्शनें, पौन्डों में अभिव्यक्त पेन्शन की स्वीकृत राशि अवमूल्यन के पश्चात् नए विनिमय दर पर परिवर्तित करके अदा की जायेंगी।

(घ) अनुमान लगाया गया है कि अदायगी का अतिरिक्त खर्च लगभग 5.62 लाख रुपये वार्षिक होगा, अगर रक्षा सेवाओं के सभी उपरोक्त अफसरों और सेविवर्ग से सम्बन्धित पेन्शनें नये विनिमय दर से परिवर्तित की जाएँ। तदपि, चूंकि सरकारी निर्णय ऐसे अफसरों के केवल कुछ ही वर्गों पर लागू होता है, अन्तर्ग्रस्त अतिरिक्त खर्च कुछ कम ही होगा। इस सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय रक्षा कोष

52. **श्री राम चन्द्र उलाका : श्री यशपाल सिंह :**
श्री धुलेश्वर मीना

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) राष्ट्रीय रक्षा कोष में अब तक राज्यवार कितना सोना प्राप्त हुआ है और कितनी नकद राशि प्राप्त हुई है;

(ख) अब तक इसमें से देश की सुरक्षा के लिए कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(ग) शेष राशि का उपयोग किस प्रकार किए जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 102/67]

(ख) अब तक 27. 27 करोड़ रुपया रक्षा उपकरण की खरीद के लिए व्यय किया गया है।

(ग) शेष राशि रक्षा प्रयत्नों की उन्नति करने और फौजी कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के कल्याण की व्यवस्था करने के लिए इस्तेमाल की जायगी।

नागाओं की शत्रुतापूर्ण गतिविधियां

53. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों के दौरान नागालैन्ड में नागाओं द्वारा की गई हिंसात्मक तथा विद्रोहात्मक कार्यवाहियों का ब्योरा क्या है; और

(ख) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : 28 फरवरी 1967 को समाप्त होने वाले तीन महीनों के दौरान नागालैंड राज्य में छिपे नागाओं द्वारा हिंसात्मक कारवाई किए जाने की कोई रिपोर्ट नहीं है। लेकिन अपहरण करने, धन छीनने और

हथियारबंद छिपे नागाओं के आने-जाने के बारे में रिपोर्ट मिली हैं जिससे युद्ध-विराम से संबद्ध करार की शर्तों का उल्लंघन हुआ है ।

28 फरवरी 1967 को समाप्त होनेवाले तीन महीनों में नागालैंड में हुई घटनाओं का एक ब्योरा सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

नागाओं ने 1 दिसंबर 1966 से 28 फरवरी 1967 तक नागालैंड में जो हिंसा की और शत्रुतापूर्ण कार्यवाईयां की हैं (घटनाओं की संख्या में) ।

महीना	अपहरण	हथियार लेकर चलना	धन इकट्ठा करना	अन्य घटनाएं
दिसंबर, 66	–	9	–	–
जनवरी, 67	24 व्यक्ति	–	1	3
फरवरी, 67	21 व्यक्ति	7	3	–

राज्यसरकार ने उन शिकायतों पर समुचित कार्रवाई की है, जो उन्हें प्राप्त हुई हैं । इस प्रकार की घटनाओं को फिर न होने देने के लिए कारगर उपाय बरते जा रहे हैं । नागालैंड में जो शान्ति प्रेक्षक दल काम कर रहा है, उसकी सहायता भी इस उद्देश्य के लिए मांगी गई है कि युद्ध-विराम से संबद्ध करार की शर्तों का उल्लंघन न होने पाए ।

अहमदनगर स्थित मोटर गाड़ी मरम्मत डिपो संस्थान को अवाड़ी (मद्रास) ले जाना

54. **श्री अनन्तराव वि० पाटिल :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने मोटरगाड़ी मरम्मत डिपो संस्थान को अहमदनगर से हटा कर अवाड़ी (मद्रास) ले जाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस संस्थान के हटाये जाने के कारण बड़ी संख्या में कर्मचारी विस्थापित हो जायेंगे

प्रतिरक्षा मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) लड़ाका गाड़ियों के निर्माण के लिए आवड़ी में एक भारी गाड़ियों का कारखाना लगाया गया है । 1960 में जब आवड़ी के भारी गाड़ियों के कारखाने के संबन्ध में स्थान का निर्णय किया जा रहा था, यह भी निर्णय किया गया था, कि तत्कालीन (गाड़ियों के लिए) तकनीकी विकास सिव्वंदी का आर० तथा डी० विभाग भी, अभिकल्पन तथा लड़ाका गाड़ियों के विकास से संबंधित कार्य की सुविधाओं के लिए, आवड़ी में स्थित किया जाए । सेवाओं द्वारा

इस संबंध में दिए गए प्राथमिक कार्य तभी शीघ्रता से सम्पन्न हो सकते हैं जब उसका भारी गाड़ियों के कारखाने से निकट और निरन्तर सहयोग हो

(ग) अफसरों और कर्मचारिगण की संख्या 700 है, इस में 300 चतुर्थ कर्मचारी और औद्योगिक श्रेणी के कर्मचारी शामिल हैं, अगर वह आवड़ी में जाने को रजामन्द न हुए, तो यथा संभव अधिकाधिक चतुर्थ श्रेणी और औद्योगिक कर्मचारिगण को महाराष्ट्र में निकटवर्ती संस्थानों में खपाने का हर प्रयत्न किया जाएगा। शेष (लगभग 400) कर्मचारी प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणियों के हैं, और उन के लिए भारत में कहीं भी सेवा की देयता है। और इन में से भी कर्मचारिगण तुरन्त ही स्थानान्तरित नहीं किये जाएंगें, बल्कि उपयुक्त प्रावस्थाओं में लगभग 250 कर्मचारिगण इस वर्ष के अन्त तक दो प्रावस्थाओं में स्थानान्तरित किए जाएंगे। शेष बाद में स्थानान्तरित किए जाएंगे।

यूनेस्को से जन संचार के लिए सहायता

55. **श्री बी० चं० शर्मा** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को से जन संचार (मास कम्युनिकेशन) के लिये हाल में कोई सहायता प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) इसका उपयोग किस प्रकार करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह): (क) : जी हाँ।

(ख) तथा (ग) : 1965-1966 की अवधि में यूनेस्को ने जून 1966 से भारतीय जन सम्पर्क संस्थान के लिये एक वर्ष के लिये एक सलाहकार दिया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने इसी दौरान संस्थान को 15000 डालर का साज-सामान देना भी स्वीकार किया है। कुछ सामान पहुँच चुका है और आशा है कि शेष यथा-समय पहुँच जायेगा। संस्थान को जो साज-सामान प्राप्त हुआ है उसमें मुख्यतः दृश्य श्रव्य तथा फोटोग्राफी का सामान है जैसे सिनेमा मशीन जन-संभाषण यंत्र, सिनेमा का पर्दा, कैमरा आदि। इस सामान से जन-सम्पर्क की व्यावहारिक शिक्षा देने में सहायता ली जा रही है।

1967-1968 में, यूनेस्को ने संस्थान को एक जन सम्पर्क विशेषज्ञ तथा 20,000 डालर के मूल्य का सामान देना भी स्वीकार किया है।

जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों (जे० सी० ओ०) तथा अन्य पदों के सैनिकों के परिवारों के लिये मकानों की व्यवस्था

56. **श्री हुकम चन्द कछवाय** :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शान्ति-स्थिति वाले क्षेत्रों में नियुक्त किये जाने पर शत-प्रतिशत सैनिक अधिकारी तथा जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी अपने परिवारों को अपने साथ रख सकते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि शान्ति-स्थिति वाले क्षेत्रों में अन्य पदों के सैनिक कर्मचारी अपने परिवारों को अपने साथ रख सकते हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो सेना में भिन्न-भिन्न शाखाओं में काम कर रहे अन्य पदों के सैनिकों के लिए इस सम्बन्ध में कितनी प्रतिशतता निर्धारित की गई है ; और

(घ) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो शान्ति-स्थिति वाले क्षेत्रों में नियुक्त अन्य पदों के सैनिकों को अपने साथ अपना परिवार रखने की रियायत न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) जी हां । इस उद्देश्य के लिये 'कुटुम्ब' की परिभाषा संवद्ध विनियमों में की गई है ।

(ख) और (ग) : जी हां स्वीकृत एस्टेब्लिश्मेंटों के लिए निम्न प्रतिशत दरों पर विवाहित वास्य स्थान स्वीकृत किए गए हैं :—

(1)	पशु परिवहन यूनिटों के क्वार्टरमास्टर और ट्रूप दफादार	100%
(2)	शिल्पी (केवल सहायक फोर्मेन और चार्ज हैंड)	100%
(3)	डाक सेवा और ए० एस० सी० सप्लाई के हवालदार (जी० डी०/जी० डी० (एस० डी) क्लर्कों सहित)	100%
(4)	ए० ओ० सी०, ई० एम० ई० के हवालदार और आर० वी० एफ० सी० के दफादार / क्लर्क	100%
(5)	धार्मिक अध्यापक	100%
(6)	एन० सी० ओ० इंस्ट्रक्टर्ज, ए० बी० सी० और ए० पी० टी० सी० हवालदार तथा भर्ती संघ के लड़ने वाले क्लर्क ।	100%
( )	सभी न लड़ने वाले कर्मचारी (भर्ती किये हुए) और वे लड़ने वाले कर्मचारी (बिना भर्ती किये हुए) जिनके नाम अधिकृत संस्थान की सूची में हैं और जिन्हें कार्य स्थल के निकट रहना पड़ता है ।	100%
(8)	उपर्युक्त (2) में उल्लिखित कर्मचारियों के अलावा शिल्पी ।	60%
(9)	बम्बई इन्जीनियर ग्रुप के मुख्यालय के अ-राजादिष्ट अधिकारी तथा अन्य श्रेणियां ।	50%
(10)	डाक सेवा की अन्य श्रेणियां ए० ओ० सी०, ई० एम० ई०, आर० वी० एफ० सी० और ए० एस० सी० सप्लाई के अन्य श्रेणियों के क्लर्क [जी० डी०/जी० डी० (एस० डी०) क्लर्कों को मिलाकर] परन्तु इनमें एम० टी० ड्राईवर शामिल नहीं हैं।	33.1%
(11)	मद्रास इन्जीनियर ग्रुप के मुख्यालय के अ-राजादिष्ट अधिकारी तथा अन्य श्रेणियां (यूनिटों, रीएनफोर्समेंटों और रंगरूटों को मिलाकर)	27%
(12)	प्रशिक्षण केन्द्रों में यूनिटों को छोड़कर गोर्खा यूनिटों के अ-राजादिष्ट अधिकारी तथा अन्य श्रेणियां ।	27%
(13)	बम्बई इन्जीनियर ग्रुप में यूनिटों के अ-राजादिष्ट अधिकारी तथा अन्य श्रेणियां (रीएनफोर्समेंटों और रंगरूटों को छोड़कर)	24%

(14) राष्ट्रपति के बाडी गार्ड के अ-राजादिष्ट अधिकारी तथा अन्य श्रेणियां 15%

(15) सशस्त्र सेना की सभी यूनिटें अर्थात इन्फेंट्री, कवलरी, आर्टी, आर्मर्ड-कोर, इन्जीनियर, सिग्नल्स, गोर्खा ट्रेनिंग यूनिटें, डी० एस० सी०, ए० एम० सी०, सी० एम० पी०, आर० वी० एफ० सी०, इन्टेलीजेंस कोर, पायनियर कोर, ए० एस० सी० (उपर्युक्त (1), (3), (10) में उल्लिखित कर्मचारियों और बम्बई इन्जीनियर ग्रुप के रीएनफोर्स-मेंटों और रंगरूटों को छोड़कर) 14%

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

शंघाई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास की इमारत

57. **श्री श्रीचन्द गोयल :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शंघाई (चीन) स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास की इमारत कब और कितने मूल्य पर खरीदी गई थी ;

(ख) क्या पूरी कीमत चुका दी गयी थी ;

(ग) इस करार की शर्तें क्या थीं और भारत चीन की ओर से किन-किन अधिकारियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किये थे ;

(घ) क्या चीन ने इस इमारत को उन्हें वापस सौंपने के लिए कहा है और यदि हां, तो पत्र की तारीख क्या है और उसका स्वरूप क्या है ;

(ङ) क्या चीन की इस मांग से उपरोक्त करार का उल्लंघन होता है ; और

(च) यदि हां, तो इस करार को लागू रखने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला): (क) : 28 मार्च 1957 को 1,35,000 रुपए में।

(ख) जी हां।

(ग) बिल्डिंग की बिक्री से संबद्ध करार में इस आशय का एक उपखंड है कि जिस जमीन पर वह बिल्डिंग खड़ी है, वह चीन सरकार के कब्जे में है। उसी दिन के एक और करार में यह जमीन भारत सरकार को 99 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई। पट्टानामे में यह व्यवस्था है कि उक्त संम्पत्ति का उपयोग "पट्टाधारी राजनयिक, कोंसली तथा अपने अन्य उद्देश्यों और उससे संबद्ध उद्देश्यों के लिए करे, किन्हीं अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। इसमें यह व्यवस्था भी है कि पट्टाधारी द्वारा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर करार स्वतः समाप्त हो जायेगा; पट्टादाता विशेष कारणों से लिखित नोटिस देकर करार को समाप्त कर सकता है। दोनों करारों पर भारत के राष्ट्रपति की ओर से शंघाई-स्थित भारत गणराज्य के प्रधान कोंसल ने चीन लोक गणराज्य के शंघाई हाउस और लैंड ब्यूरो के प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किये थे।

(घ) जी हां। 27 फरवरी 1967 को चीन लोकगणराज्य के विदेश मन्त्रालय ने शंघाई म्यूनिसिपल रीयल एस्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरो की ओर से चीन लोक गणराज्य के विदेश मंत्रालय ने राजदूतावास को एक नोटिस दिया था। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि दिसम्बर 1962 से, जबसे प्रधान कोंसलावास बंद हुआ है, जमीन का प्लाट और बिल्डिंग का उपयोग नहीं हुआ है और यह पट्टानामे के विरुद्ध है। उन्होंने यह भी कहा है कि शंघाई म्यूनिसिपल कारपोरेशन को इस सम्पत्ति की जरूरत है। लेकिन उन्होंने हमें समुचित मूल्य देने की पेशकश की है।

(ङ) और (च) इस प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के प्रकाशनों में भारत-चीन सीमा

58 **श्री रा० बरुआ :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य में प्रकाशित दि एटलस फॉर ज्योग्राफी (भौगोलिक मानचित्र) तथा इसी प्रकार के अन्य प्रकाशनों की ओर दिलाया गया है जिनमें चीन और भारत के बीच सीमाएं पीकिंग की इच्छा के अनुकूल दिखाई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) : सरकार का ध्यान जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य में प्रकाशित "वर्ल्ड-एटलस-स्टेटस एंड इकानामी" नामक प्रकाशन की ओर आकर्षित किया गया है। नक्शे में बताई गई चीन-भारत सीमा को टूटी रेखा से दिखाया गया है और वह भारत अथवा चीन की स्थिति के अनुसार नहीं है। नक्शे में इस उक्ति का उल्लेख है "सीमा का रेखांकन चीन लोक गणराज्य और भारत के बीच बातचीत के जरिये स्पष्ट किया जाएगा।"

(ख) : वर्तमान विनियमों के अनुसार इन प्रकाशनों और किन्हीं अन्य प्रकाशनों के आयात पर, जिनमें भारत की सीमाओं को ठीक तरीके से नहीं दिखाया जाता है, पाबन्दी लगी हुई है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

टेलीग्राफिस्टों द्वारा आरम्भ किया गया 'नियम के अनुसार काम' आंदोलन तथा तारों का डाक द्वारा भेजा जाना

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): इस विषय पर ध्यान दिलाने वाली सूचना तब स्वीकार की गई है जब यह मामला हल हो चुका है। इसका उत्तर उस समय दिया जाना चाहिये था जबकि यह मामला चल रहा था।

अध्यक्ष महोदय : जब इसे स्वीकार किया गया था तब यह महत्वपूर्ण प्रश्न था। हो सकता है कि इस दौरान में इसे हल कर लिया गया हो।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I call the attention of Minister of Parliamentary Affairs and Communications to the following matter of Urgent Public Importance and request that he may make a statement thereon :--

"Work to rule' campaign launched by the telegraphists of the Posts and Telegraphs Department and sending of telegrams by post.

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh) : The chairman and Secretary of the union met me on 22nd March, 1967 and told me that they had agreed to withdraw the "work to rule" agitation. The agitation was withdrawn half an hour thereafter. I lay a statement on the table of the House in that connection. (Placed in Library See No.. LT-99/67)

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
Re : Question of Privilege

अध्यक्ष महोदय : अब हम "हिन्दुस्तान टाइम्स" के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न लेंगे । इसकी सूचना श्री मधुलिमये ने दी थी ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : Sir I have to move an adjournment motion regarding Mrs. Svetlana. Her life is in danger. Some thing should be done in this matter. I have a letter from her. We should not only allow her to come to India, but we should also request her to do so.

अध्यक्ष महोदय : पत्र मुझे दे दिया जाये । मैं इस पर विचार करूँगा । यदि माननीय सदस्य इसे पटल पर रखना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु इसे पढ़ना नहीं है ।

Dr. Ram Manohar Lohia : It is no use if I dont read. I lay it on the Table.

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे अभी नहीं ले रहा हूँ । मैं इस मामले पर विचार कर रहा हूँ ।
*

हिन्दुस्तान टाइम्स द्वारा विशेषाधिकार का कथित भंग किया जाना
ALLEGED BREACH OF PRIVILEGE BY THE HINDUSTAN TIMES

अध्यक्ष महोदय : मुझे सर्वश्री मधुलिमये और जार्ज फरनेन्डीज से हिन्दुस्तान टाइम्स के विरुद्ध विशेषाधिकार का उल्लंघन करने की एक सूचना प्राप्त हुई है क्योंकि उक्त समाचारपत्र ने 24 मार्च, 1967 को अमरीकी गुप्तचर-विभाग की गतिविधियों पर आधे घंटे की चर्चा के दौरान सभा में श्रीमती तारकेशवरी सिन्हा के भाषण को गलत छापा था ।

उस समाचार में कहा गया है :

"श्रीमती सिन्हा ने आरोप लगाया कि संयुक्त समाजवादी दल के नेता जार्ज फरनेन्डीज ने सी० आई० ए० के संसाधनों का उस समय लाभ उठाया जबकि उनका सम्बन्ध हिन्द मजदूर

---

* अध्यक्ष महोदय द्वारा बाद में आवश्यक अनुमति न दिए जाने के कारण पत्र सभापटल पर रखा गया नहीं माना गया ।

* The speaker not having subsequently accorded the necessary permission the letter was not treated as laid on the table.

सभा से था। तथापि उन्होंने यह स्वीकार किया कि अब श्री फरनेन्डीज का हिन्द मजदूर सभा से कोई सम्बन्ध नहीं है।"

सर्वश्री मधु लिमये तथा जार्ज फरनेन्डीज का कहना है कि श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने ऐसी बात बिलकुल नहीं कही।

इस सम्बन्ध में प्रक्रिया यह है कि सम्बन्धित समाचारपत्र के सम्पादक को कहा जाता है कि यदि वह इस मामले में कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। यदि सभा सहमत हो तो इस मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई जायेगी। उत्तर मिलने पर इस मामले में निर्णय किया जायेगा।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

फिल्म फाइनेन्स कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा समीक्षा

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत फिल्म फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रण महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 91/67]

नौसेना अधिनियम तथा कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय रक्षित नौसेना और भारतीय स्वयंसेवी रक्षित नौसेना (संशोधन) विनियम, 1967 जो दिनांक 18 फरवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 55 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें तथा विविध (चौथा संशोधन) विनियम, 1967 जो दिनांक 18 फरवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 56 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें तथा विविध (संशोधन) विनियम, 1967 जो दिनांक 4 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 76 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 92/67]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :

(एक) मजगांव डौक लिमिटेड, बम्बई, का वर्ष 1965-66 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 93/67]

(दो) प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद, का वर्ष 1965-66 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०]

(तीन) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बम्बई, का वर्ष 1965-66 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 94/67]

(चार) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर, का वर्ष 1965-66 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 95/67]

(पाँच) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बँगलौर, का वर्ष 1965-66 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 96/67]

अनाज तथा दुर्लभता की स्थिति की समीक्षा

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : मैं भारत में अनाज तथा दुर्लभता की स्थिति की समीक्षा की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 98/67]

वित्तीय समितियां, 1965-66 (एक समीक्षा)

FINANCIAL COMMITTEES, 1965-66 (A REVIEW)

सचिव : मैं वित्तीय समितियां, 1965-66 (एक समीक्षा) की एक प्रति सभा पटल पर पर रखता हूँ।

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

RESIGNATION OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि जम्मू तथा काश्मीर के ऊधमपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोक-सभा के लिए निर्वाचित ब्रिगेडियर घंसारा सिंह ने 25 मार्च, 1967 से लोक-सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया है।

परमाणु अस्त्रों के फैलाव पर रोक लगाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : NON PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS

वैदेशिक-कार्यमन्त्री (श्री मु० क० चागला) : महासभा ने अपने प्रस्ताव 1722 (XVI) के जरिये अट्ठारह राष्ट्रों की एक निरस्त्रीकरण समिति नियुक्त की है जिसका भारत सदस्य है। महासभा ने सिफारिश की कि समिति को चाहिये कि वह प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अंतर्गत सामान्य और संपूर्ण निरस्त्रीकरण के विषय पर करार करने की दृष्टि से बातचीत करे।

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, अट्ठारह राष्ट्रों की निरस्त्रीकरण समिति, जो दरअसल फ्रांस की अनुपस्थिति के कारण सत्रह राष्ट्रों की समिति है, 1962 से जेनेवा में बैठकें कर रही है। इस समिति में निरस्त्रीकरण के प्रश्न से संबद्ध विभिन्न उपायों पर बातचीत की गई है और इनमें से एक एटमी हथियारों का उत्पादन न करना है। उक्त निरस्त्रीकरण समिति इस विषय पर 1964 से विशेष ध्यान दे रही है और इसे कुछ महत्व का विषय माना जाता है।

समिति में विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण मतभेद का पता चला है, पहले तो एटमी हथियार वाले देशों में ही है और दूसरे एटमी हथियार वाले और गैर-एटमी हथियार वाले देशों के बीच है। एटमी और गैर-एटमी हथियार वाले देशों के मतभेदों का सम्बन्ध अधिकाशत: पारस्परिकता और एटमी तथा गैर-एटमी हथियार वाले देशों की पारस्परिकता और दायित्वों के संतुलन से है।

महासभा ने 19 नवम्बर 1965 के अपने प्रस्ताव संख्या 2028 (XX) में निम्नलिखित सिद्धाँतों का उल्लेख किया है जिनके आधार पर समिति को एटमी हथियारों का उत्पादन रोकने की अंतर्राष्ट्रीय संधि पर बातचीत करनी है :

(क) संधि में ऐसी कोई कमी न रहनी चाहिए जिससे एटमी अथवा गैर-एटमी देशों की परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप में किसी भी शक्ल में एटमी हथियार बनाने की अनुमति मिलती हो;

(ख) संधि में एटमी और गैर-एटमी देशों के परस्पर दायित्वों का स्वीकृत संतुलन होना चाहिए;

(ग) संधि सामान्य और सम्पूर्ण निरस्त्रीकरण की उपलब्धि की दिशा में एक कदम हो, खासतौर से एटमी निरस्त्रीकरण की दिशा में;

(घ) संधि की प्रभावकारिता को सुनिश्चित करने के लिए स्वीकृत और कारगर व्यवस्था होनी चाहिए;

(ङ) संधि में ऐसी कोई बात न होनी चाहिए जिससे राज्यों के किसी समुदाय के इस अधिकार पर बुरा असर पड़े जिसका सम्बन्ध उनके अपने-अपने क्षेत्रों में सम्पूर्ण रूप से एटमी हथियार न रखने के लिए क्षेत्रीय संधियां सम्पन्न करने से हो।

इन सिद्धांतों का स्पष्टीकरण देते हुए, आठ तटस्थ गैर-एटमी हथियार वाले देशों के विचार, जो 18 राष्ट्रों की निरस्त्रीकरण समिति के सदस्य हैं, 19 अगस्त, 1966 की उक्त समिति के समक्ष संयुक्त ज्ञापन में प्रस्तुत कर दिये गये।

खबर है कि कई महीनों तक लम्बी बातचीत चलने के बाद अमरीका और रूस अनुत्पादन संधि की शर्तों पर काफी हद तक सहमत हो गये। संधि के मसौदे का मान्य मूलपाठ अभी निरस्त्रीकरण समिति को प्रस्तुत नहीं किया गया है और जाहिर है कि दोनों को कुछ मुद्दों पर अभी सहमत होना है। दोनों में से किसी भी बड़े राष्ट्र ने हमें अभी तक सन्धि के मसौदे का मूलपाठ औपचारिक रूप से नहीं दिया है। लेकिन अनौपचारिक तौर पर उन्होंने सन्धि के मसौदे में सम्भावित लेख का संकेत दिया है। हमें औपचारिक तौर पर ऐसा कोई अवसर नहीं मिल पाया है जबकि हम इसकी बताई हुई व्यवस्थाओं पर अपना मत स्थिर कर सकें।

एटमी हथियारों का उत्पादन न करने के प्रश्न पर हमारे विचार निरस्त्रीकरण समिति में और संयुक्त राष्ट्र के मन्च पर समय-समय पर बताये जा चुके हैं। इन विचारों में परिवर्तन नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव नं० 2028 (X X) में लिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखकर हम उक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये सन्धि के किसी मसौदे के मूलपाठ की जांच करेंगे।

भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ ही एटमी हथियारों के उत्पादन से चिन्तित है। भारत सरकार चाहती है कि इस प्रकार की सन्धि पर जल्दी सहमति हो और वह ऐसी सन्धि पर हस्ताक्षर करने को तैयार है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित मूल सिद्धांतों की पूरी मान्यता देती हो। उसका विचार है कि इस प्रकार की कोई भी संपूर्ण और विशेषकर, आणविक निरस्त्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होना चाहिये और उससे एटमी और गैर-एटमी हथियारों वाले देशों के दृष्टिकोणों में अन्तर न रहने पाये। अनुत्पादन संधि भेदभावपरक अथवा असमान संधि न होनी चाहिए। भरत सरकार का यह दृष्टिकोण भी है कि अनुत्पादन संधि ऐसी होनी चाहिये जिससे ऐसे विकासमान देशों में अणु विज्ञान और तकनीकी विज्ञान की गति न रुकने पाये जहाँ अणु विकास की बड़ी आवश्यकता है।

अमरीका और रूस में समान विचारों का स्वागत करते हुए, जो कि अपने आप में एक शुभ लक्षण है, भारत सरकार यह आशा करती है कि अणु अनुत्पादन संधि का मसौदा निरस्त्रीकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर देने के बाद उसपर पूरी तरह विचार किया जाएगा और अंतिम रूप से स्वीकृत संधि एक ऐसी शक्ल अख्तियार करेगी जो समिति के सदस्य सभी देशों को और सामान्य रूप से अंततः अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वीकार्य होगी। एटमी हथियारों का उत्पादन न करने के विषय पर संतोषजनक करार में उन विशिष्ट परिस्थितियों का ध्यान रखा जाएगा जिनमें कुछ देश पड़े हुए हैं। जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, सामान्य और सपूर्ण निरस्त्रीकरण तथा विशेष रूप ने आणविक निरस्त्रीकरण की दिशा में एक कदम के रूप में अनुत्पादन संधि के संपन्न होने की चिन्ता के अतिरिक्त, भारत के समक्ष एटमी हमले अथवा आणविक भयादोहन (न्युक्लियर ब्लैकमैल) के विरुद्ध सुरक्षा की विशेष समस्या है। अनुत्पादन संधि पर हमारे अंतिम रुख का निश्चय करने से पहले इस पहलू पर निश्चित रूप से पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है; इसके स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है।

श्री हेम बरुआ (मंगलदाई): मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। भारत परमाणु शक्ति नहीं है। क्या वह फिर भी इस संधि पर हस्ताक्षर करेगा।

श्री मु० क० चागला : सन्धि का प्रारुप प्राप्त होने पर हम उस पर सावधानी पूर्वक विचार करेंगे । हमारा देश गुटों में शामिल नहीं है । इसलिए यदि हमारे पर आक्रमण हो तो ऐसा कोई सैनिक समझौता नहीं है जिसके अन्तर्गत हमारी रक्षा हो सके । दूसरी बात यह है कि भारत में परमाणु क्षमता बहुत अधिक है । तीसरे, भारत परमाणु शक्ति का शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए उपयोग करने की स्थिति में है । सन्धि में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिये जो ऐसे उपयोग के विरुद्ध हो । इन सभी बातों पर ध्यान रखा जायेगा ।

Dr. Ram Manohar Lohia : This question should not be confined to the fact that only five countries possess nuclear arms. We should remember that China is one of those countries. We should also take note of the fact that all the atomic explosions made so far have been done in the Pacific Ocean, the impact of which falls on Asian and coloured people. No explosion has so far been done in the Atlantic Ocean, which could affect white people. This shows racial discrimination in this matter.

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : चीन हमारा शत्रु है और वह परमाणु शस्त्रों का उत्पादन कर रहा है । क्या इस बात को देखते हुए भारत परमाणु हथियारों के मामले में अपने हाथ बांध सकता है ।

श्री एस० कडंप्पनः (मेंटूर) : चीन परमाणु शस्त्र बनाने के मामले में आगे बढ़ रहा है । चीन की सहमति बिना किसी सन्धि पर हस्ताक्षर करना व्यर्थ होगा ।

श्री रवेल (आसाम स्वायत्तशाली जिले) : मैं सरकार से स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ कि क्या वह इस सन्धि पर तब भी हस्ताक्षर करेगी जब कि उसे यह आश्वासन न दिया जाये कि परमाणु शक्तियां शस्त्रों के लिए दौड़ बन्द कर देंगी और जो परमाणु हथियार उनके पास हैं, उन्हें नष्ट कर देंगी ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि किन देशों को परमाणु शक्तियाँ घोषित किया गया है ? क्या चीन को भी परमाणु शक्ति माना जायेगा ? डा० विकरम साराभाई जनेवा गए हुये हैं । क्या इसका कोई सम्बन्ध इस सन्धि से है ।

श्री चिन्तामनी पाणिग्राही (भुवनेश्वर) : सरकार को इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने की जल्दी क्या है ?

श्री मु० क० चागला : हम परमाणु शस्त्र बना सकते हैं परन्तु हम जान बूझ कर ऐसा नहीं कर रहे हैं । इस बारे में अन्तिम निर्णय करने से पहले हम चीन के खतरे आदि का ध्यान रखेंगे ।

हम इस बात पर आग्रह कर रहे हैं कि परमाणु शक्तियों पर भी कुछ जिम्मेवारियां हो । वे अपने परमाणु शस्त्रों को कम करने अथवा उन्हें न बढ़ाने की जिम्मेवारी लें ।

हमें सन्धि का प्रारुप अनौपचारिक रूप से प्राप्त हुआ है और यह 17 सदस्यों वाली समिति में उपचारिक रूप से पेश नहीं किया गया है ।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद-कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह): आपकी अनुमति से मैं सभा को यह बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद आरम्भ होने से पहले बुधवार, 29 मार्च, 1967 की कार्य सूची में सशस्त्र सेनाएं (विशेष शक्तियाँ) जारी विधेयक, 1967 पर विचार तथा उसे पारित करने सम्बन्धी प्रस्तावों को शामिल करने का विचार है। यह इसलिये आवश्यक हो गया है कि सशस्त्र सेनाएँ (विशेष शक्तियां) अधिनियम 4 अप्रैल, 1967 को समाप्त होने जा रहा है। विभिन्न दलों के सचेतकों से परामर्श कर लिया गया है और वे इस प्रस्ताव से सहमत हो गये हैं।

'टाइम्स आफ इंडिया' विवाद के बारे में वक्तव्य
Statement re : Times of India Dispute

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : श्रीमान 23 मार्च, 1967 को बम्बई तथा दिल्ली में टाइम्स आफ इंडिया में मालिक तथा मजदूरों में विवाद के बारे में मैंने एक वक्तव्य दिया था। मैंने उस समय बताया था कि विवाद हल करने के लिए बात-चीत हो रही है। इसी सम्बन्ध में मुझे सभा को यह सूचना देते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि 'टाइम्स आफ इंडिया' के प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के बीच और आगे चर्चा और बातचीत के परिणामस्वरूप अब एक समझौता हो गया है। हड़ताल वापस ले ली गई है और तालाबन्दी समाप्त कर दी गई है। बम्बई तथा दिल्ली में सामान्य रूप से काम चालू हो गया है और पत्रों का प्रकाशन कल से प्रारम्भ होने की संभावना है।

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण
Personal explanation by Member

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : 18 मार्च, 1967 को निजी स्पष्टीकरण देने के बहाने गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ने कहा था : "कि जब श्री अ० क० गोपालन के विरुद्ध आरोप लगाये गये तो उस प्रक्रिया सम्बन्धी मामले पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया गया था। केवल यही कहा गया था कि वे आरोप गलत थे। तब अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि वे उन आरोपों को झूठे साबित होने पर निकाल देंगे। उन्होंने मुझे पत्र लिखा और मैंने संगत दस्तावेज उन्हें भेज दिये। उन दस्तावेजों से अध्यक्ष महोदय संतुष्ट हो गये और इसी लिये उन्हें कार्यवाही-वृत्तान्त से नहीं निकाला गया।"

इस वक्तव्य के तुरन्त बाद सभा स्थगित हो गई और मुझे स्पष्टीकरण देने का अवसर नहीं मिल सका।

उन्होंने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल झूठ है। अध्यक्ष महोदय ने यह कभी नहीं कहा कि यदि आरोप झूठे सिद्ध कर दिये गये तो उन्हें कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा। आरोपों को कार्यवाही से निकालने का प्रश्न तो किसी ने भी नहीं उठाया था। लोक-सभा के 11 मार्च, 1965 के कार्यवाही वृत्तान्त से यह बात स्पष्ट हो जायेगी। श्री शुक्ल तत्कालीन अध्यक्ष के मुँह में जबरदस्ती ये शब्द ठूंस रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय ने श्री शुक्ल के आरोपों को भी कार्यवाही से नहीं निकाला था क्योंकि विरोधी पक्ष द्वारा आरोपों को निकालने का प्रश्न नहीं उठाया गया था अपितु उन्होंने कहा था कि एक सदस्य द्वारा एक अन्य सदस्य के विरुद्ध जो सभा में उपस्थित नहीं है आरोप लगाने की अनुमति देना कहाँ तक उचित है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि यदि आरोप लगाने वाले सदस्य को अपने प्रमाणों पर पूरा विश्वास है तो इसकी अनुमति दी जा सकती है और ऐसा फैसला करके उन्होंने श्री शुक्ल को आगे बोलने की अनुमति दी।

श्री शुक्ल ने एक और झूठ बोला जब उन्होंने 18 मार्च, 1967 को कहा कि तत्कालीन अध्यक्ष इस बारे में संतुष्ट हो गये थे कि मेरे तथा मेरी पत्नी के विरुद्ध आरोपों के बारे में पूरा प्रमाण था। वास्तव में मैंने ही तत्कालीन अध्यक्ष को 13 मार्च, 1965 को सर्वप्रथम लिखा था और इन आरोपों को बिल्कुल निराधार तथा झूठे बताया था। उस समय मैं जेल में था। मैंने उनसे यह भी निवेदन किया था कि मेरे पत्र को सभा में पढ़ कर सुना दिया जाये। परन्तु अध्यक्ष ने मेरा निवेदन स्वीकार नहीं किया क्योंकि उन्होंने कहा "कि सभा में चर्चा के लिये आने वाले विषय पर किसी सदस्य के लिखित विचारों को सदस्यों में परिचालित करने की प्रथा नहीं है।" इसकी बजाय उन्होंने मेरे तथा श्री शुक्ल के बीच पत्राचार की प्रक्रिया को अपनाया और इसके पश्चात इस मामले को समाप्त समझा। मैं जोरदार शब्दों में यह कहना चाहता हूँ कि अध्यक्ष ने केवल इस "प्रक्रिया" के अनुसरण में ही आगे कोई कार्यवाही नहीं की। उनका श्री शुक्ल के जाली प्रमाण के बारे में समाधान हो गया था।

श्री शुक्ल ने इस निराधार आरोप के समर्थन में कि मैं तथा मेरी पत्नी ने कुछ सम्पत्ति अर्जित कर ली है कभी भी कोई दस्तावेज नहीं भेजे। अध्यक्ष द्वारा उन्हें सबूत भेजने के बारे में 1 जुलाई, 1965 को पत्र लिखे जाने के पश्चात भी श्री शुक्ल ने पूरे दो महीने के बाद अध्यक्ष को दो दस्तावेज भेजे जिनका उनके द्वारा लगाये गये आरोपों से कोई सरोकार नहीं था।

श्री शुक्ल का मुख्य आरोप यह था कि "साम्यवादी दल के इन सदस्यों ने गुप्त स्रोतों से भारी धन इकट्ठा कर लिया है और बहुत सन्देहास्पद परिस्थितियों में आस्तिया अर्जित कर ली गई है।" इनके बारे में कोई सबूत पेश नहीं किया गया था।

अध्यक्ष महोदय ने श्री शुक्ल का उत्तर मुझे भेजा था और मैंने अध्यक्ष को विस्तार में एक पत्र भेजा था जिसमें सभा में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया गया था। श्री शुक्ल ने पहले-पहल यह आरोप लगाया था कि मैंने इलायची का एक मूल्यवान बाग खरीदा है। उनके द्वारा मुझे भेजे गये पत्र में, जो अध्यक्ष के मार्फत भेजा गया था, तथा उनके द्वारा पेश किये गये तथाकथित दस्तावेजों में एक दस्तावेज था जिसमें दिखाया गया था कि एक पी० के० नायर ने 500 रुपये के लिये पट्टे पर दिया गया भूमि का एक टुकड़ा खरीदा था। जबकि उन्होंने सभा में यह आरोप लगाया था कि मेरी पत्नी ने एक बड़ा सिनेमा घर खरीदा था। परन्तु उन्होंने जो प्रति पेश की थी वह करूणाकर पनिकर द्वारा दिया गया आवेदन पत्र था जिसमें पर्यटक सिनेमा के लिये लाइसेंस मांगा गया था।

अतः श्री शुक्ल अपने निराधार आरोपों के समर्थन में लेशमात्र भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके। उन्होंने यह भी शिष्टता नहीं दिखाई कि मेरे विरुद्ध जबकि मैं जेल में था झूठे आरोप लगाने के लिये खेद तो प्रकट कर दें।

उन्होंने ये आरोप मुझे तथा मेरे दल को बदनाम करने के उद्देश्य से लगाये थे क्योंकि जिस समय ये आरोप लगाये गये थे उस समय सभा साम्यवादियों की जो बड़ी संख्या में गिरफ्तार किये गये थे गतिविधियों पर चर्चा कर रही थी।

यह और भी आश्चर्यजनक है कि वे इन आरोपों पर भी अब भी दृढ़ हैं। अतः उन्होंने संसद सदस्य होने के नाते मुझे तथा मेरे दल को बदनाम करने के लिये अपने विशेषाधिकारों का जानबूझ कर दुरूपयोग किया है। यदि उनमें इतना साहस है, तो वे बाहर ये आरोप लगाये और उसका परिणाम भुगतें।

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ कहना चाहते हैं उसकी प्रति मुझे भेज दें। बाद में मैं उनको अनुमति दे दूंगा।

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में
RE : CALLING ATTENTION NOTICE

Shri Atal Behari Vajpayee (Balrampur) : Just now one Calling attention notice has been admitted. It would be better if you allow question on it at 2 p.m.

संसद कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : एक कठिनाई है। इस विषय के बारे में राज्य सभा में कुछ प्रश्न पूछे जायेंगे और हमें वहां पर मौजूद रहना होगा। अतः मेरा निवेदन है कि इसे आज शाम 6 बजे लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

समितियों के लिये निर्वाचन
प्राक्कलन समिति
ELECTION TO COMMITTEES

संसद-कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

(दो) लोक लेखा समिति

डा० राम सुभग सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक-लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य चुने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

डा० राम सुभग सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि वह 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के सात सदस्य मनोनीत करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार मनोनीत किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि वह 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के सात सदस्य मनोनीत करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार मनोनीत किये गये सदस्यों के नाम सभा को बताये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

(तीन) सरकारी उपक्रमों संबन्धी समिति

डा० राम सुभग सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 312 ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दस सदस्य चुनें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 312 ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दस सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was admitted.

डा० राम सुभग सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि वह 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के पांच सदस्य मनोनीत करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार मनोनीत किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि वह 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के पांच सदस्य मनोनीत करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार मनोनीत किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

(चार) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का कोर्ट

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 10 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (अट्ठारह) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त परिनियमों के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तीन वर्ष की अवधि के लिए बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 10 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (अट्ठारह) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त परिनियमों के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तीन वर्ष की अवधि के लिए बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was Adopted.

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (राजस्थान), 1966-67

Demands Supplementary for Grants (Rajasthan)

उपप्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : मैं वर्ष 1966-67 के लिये राजस्थान राज्य के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगे दर्शाने वाला एक वक्तव्य पेश करता हूँ।

राजस्थान आय-व्ययक, 1967-68

RAJASTHAN BUDGET-1967-68

उपप्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : सभा को उन परिस्थितियों की पूरी तरह से जानकारी है जिनमें राष्ट्रपति ने 13 मार्च 1967 को, संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, एक घोषणा जारी करके राजस्थान सरकार का कामकाज अपने हाथ में ले लिया था। इस समय राज्य विधान मंडल के अधिकारों का प्रयोग संसद द्वारा किया जा सकता है, इसलिए राज्य सरकार के अप्रैल से जुलाई 1967 तक की अवधि के खर्च को पूरा करने के लिए लेखानुदान प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार के 1967-68 के बजट को संसद में प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

2. चूंकि इस समय राज्य का बजट पेश करने का उद्देश्य कुछ सीमित ही है, इसलिए राज्य की आर्थिक घटनाओं के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन राज्य की सूखे की स्थिति का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना जरूरी है, क्योंकि इससे बजट सम्बन्धी स्थिति पर कई तरह से प्रभाव पड़ा है। 1963 में राज्य के व्यापक क्षेत्र में वर्षा नहीं हुई, और यद्यपि इसके बाद 1964 में राज्य के कुछ हिस्सों को छोड़कर पर्याप्त वर्षा हुई ,लेकिन 1965 और 1966 के दोनों वर्षों में काफी बड़े क्षेत्र में फिर वर्षा नहीं हुई। सहायता सम्बन्धी कार्य, जो 1965-66 में शुरू किये गये थे, 1966-67 में भी जारी रखे गये और पीने के पानी की विकट समस्या का समाधान करने के लिए भी काफी खर्च करना पड़ा। चालू वर्ष में अभावग्रस्त व्यक्तियों की सहायता के काम पर कुल 12 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है, जिसके अधिकतर भाग की पूर्ति केन्द्रीय सहायता से की जा रही है। राज्य सरकार को चारा पहुंचाने, पशुओं की रक्षा करने, जल पहुंचाने और अन्न का वितरण करने के लिए भी विशेष उपाय करने पड़े और करों तथा सरकार को प्राप्त होने वाली अन्य रकमों में भी छूट देनी पड़ी। मध्य प्रदेश के गाँधी सागर बाँध में पानी कम होने के कारण, बिजली सम्बन्धी स्थिति पर भी असर पड़ा और परिणाम यह हुआ कि राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को बिजली पहुंचाने के लिए अधिक महंगी, दूसरी व्यवस्था करने पर अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ा जिसका प्रभाव आमदनी पर भी पड़ा। इन और बजट सम्बन्धी दूसरी घटनाओं का प्रभाव, राज्य सरकार के चालू वर्ष के बजट के लेखे-जोखे पर पड़ा है, जिसमें उपर्युक्त बातों के परिणाम स्वरूप भारी घाटा दिखाया गया है।

3. चालू वर्ष के बजट में 98.4 करोड़ रुपये की राजस्व-प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया था, जिसकी तुलना में, संशोधित अनुमानों में, राजस्व प्राप्तियों के 96.7 करोड़

रुपये रखे गये हैं। यह कमी मुख्यतः भू-राजस्व के अन्तर्गत, सूखे की स्थिति और जमीन की बिक्री से प्राप्त होने वाली रकम में कमी के कारण हुई है। राजस्व खाते के व्यय में, जिसके 97 5 करोड़ रुपया होने का अनुमान था, 18.3 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जो कई शीर्षकों में बंटी हुई है। अनुमान है कि दुर्भिक्ष सहायता सम्बन्धी व्यय, जो राजस्व खाते से किया जाता है, अब 11 करोड़ रुपया होगा, जबकि बजट में इसके लिए 3.8 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। 4.3 करोड़ रुपये की वृद्धि, महंगाई भत्ते में होने वाली वृद्धियों और पंचायत समितियों तथा सहायता-प्राप्त संस्थाओं को दिये गये अतिरिक्त अनुदानों के कारण हुई है। बाकी वृद्धि मुख्यतः ब्याज प्रभार (इंटरेस्ट चार्जेस), लोक निर्माण कार्यों विशेषतः सड़कों सम्बन्धी व्यय, जल पहुँचाने की योजनाओं, और नये शिक्षालयों के खोले जाने के कारण शिक्षा के अंतर्गत हुई है।

4. पूंजीगत व्यय, जो बजट बनाते समय 17.4 करोड़ रुपया आंका गया था, अब 28.6 करोड़ रुपया रखा गया है। इसमें से 6.3 करोड़ रुपये की वृद्धि का कारण यह है कि राजस्थान नहर प्रायोजना का खर्च प्रस्तावित राजस्थान नहर प्राधिकरण के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा किया जाना जारी है। यह वृद्धि केन्द्र द्वारा दी जाने वाली इतनी ही ऋण-सहायता से पूरी की गयी है। शेष वृद्धि का कारण सिंचाई-सम्बन्धी छोटे कार्यों और बाढ़-नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यों, नल-कूपों (ट्यूबवेल्स) के निर्माण और सड़कों तथा सहकारी समितियों में किये जाने वाले निवेशों पर पहले से अधिक खर्च किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋणों और अग्रिमों में भी 4.8 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, क्योंकि बिजली योजनाओं के लिए राज्य बिजली बोर्ड को रुपया देने और सिंचाई-सम्बन्धी छोटे कार्यों तथा अभावग्रस्त व्यक्तियों की सहायता के लिये अग्रिम देने की अधिक व्यवस्था की गयी है। परिणामतः आयोजना-सम्बन्धी योजनाओं और अभाव सम्बन्धी सहायता के लिये केन्द्र द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता को हिसाब में लेने के बाद, चालू वर्ष के अन्त में कुल मिलाकर लगभग 16 करोड़ रुपये की कमी रहेगी, जब कि बजट बनाते समय कुछ अधिशेष का अनुमान किया गया था। अधिकतर व्यय-वृद्धि का कारण सूखे का प्रतिकूल प्रभाव है, जिससे राज्य पर अनुमानतः 10 करोड़ रुपये के वास्तविक खर्च का बोझ पड़ा है।

5. चालू वर्ष के बजट में आयोजना के लिये 36.7 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली 28 करोड़ रुपये की सहायता से क्रियान्वित की जानी थी उसके बाद, राजस्थान नहर प्रायोजना, जिसे एक पृथक प्राधिकरण को सौंपने का विचार किया गया था, राज्य की आयोजना में फिर शामिल की गयी और तदनुसार आयोजना-सम्बन्धी व्यवस्था तथा केन्द्रीय सहायता दोनों में वृद्धि हुई। राज्य में सूखे की स्थिति को देखते हुए, सिंचाई-सम्बन्धी छोटे कार्यों, गांवों में बिजली लगाने और गांवों में पानी पहुँचाने की अतिरिक्त योजनाएँ भी 2.8 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता से शुरू की गयीं। इन और अन्य परिवर्तनों के कारण राज्य का इस वर्ष का आयोजना-परिव्यय बढ़कर 48 करोड़ रुपया हो गया और केन्द्रीय सहायता बढ़ कर 38.6 करोड़ रुपये हो गयी।

6. चालू वर्ष प्रारम्भ होने से पहले ही राज्य सरकार रिजर्व बैंक से अपनी जमा रकम से 22 करोड़ रुपया अधिक ले चुकी थी। इस रकम को तथा अन्य राज्यों द्वारा निकाली गयी अधिक रकमों को केन्द्रीय सरकार ने पिछले जून के अन्त में चुका दिया था। लेकिन अनुमान

है कि चालू वर्ष के अन्त में राज्य सरकार द्वारा अपनी जमा रकम से अधिक निकाली गयी रकम 16 करोड़ रुपया रहेगी। राज्य की वित्तीय स्थिति पर फिर से विचार करने के बाद और राज्य सरकार की इस जिम्मेदारी का ध्यान रखते हुए कि उसे रिजर्व बैंक से अपनी जमा रकम से अधिक निकाली गयी रकम को चालू महीने की समाप्ति से पहले चुकाना है, ताकि वह ऐसा करने में समर्थ हो; ऋण की शर्त यह होगी कि वह अगले दो वर्षों में चुका दिया जाय। इस सम्बन्ध में, मैं यह बताना चाहता हूँ कि हम लोग अगले वित्तीय वर्ष के लिये राज्य सरकारों के बजटों की जांच कर रहे हैं और इस विषय में उनके साथ और भी विचार करने का प्रस्ताव है, ताकि भविष्य में जमा रकम से अधिक रकम अनधिकृत रूप से न निकाली जाय।

7. अगले वर्ष की राजस्व प्राप्तियां 111.6 करोड़ रुपया रखी गयी हैं, जब कि इस वर्ष की रकम 96.7 करोड़ रुपया है। 14. 9 करोड़ रुपये की वृद्धि कई मदों के अन्तर्गत हुई है, किन्तु मुख्य कारण भूमि की बिक्री से होने वाली प्रत्याशित अधिक प्राप्तियां, भू-राजस्व की प्राप्तियों और बिक्री कर की वसूलियों में वृद्धि होना है। इसके अलावा, एक बाजार-ऋण के 5 करोड़ रुपये और केन्द्र से ऋणों के रूप में मिलने वाली कुल सहायता की रकम 49 करोड़ रुपये रखी गयी है जिसमें आयोजना सम्बन्धी सहायता, दुर्भिक्ष सम्बन्धी सहायता और रासायनिक खाद की खरीद के लिए दी जाने वाली सहायता और छोटी बचतों में राज्य के हिस्से की रकमें शामिल हैं। अगले वर्ष राजस्व से 127.4 करोड़ रुपया खर्च किये जाने का अनुमान है, जो इस वर्ष से 11.6 करोड़ रुपये अधिक है। इस वृद्धि में से 4.4 करोड़ रुपये का सम्बन्ध पहली जनवरी 1967 से मंजूर की गयी महंगाई भत्ते की वृद्धियों से है और 4 करोड़ रुपये का संबंध राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋणों के ब्याज सम्बन्धी खर्च से है। वृद्धि की बाकी रकम कई शीर्षकों के अन्तर्गत बँटी हुई है। प्रशासनिक और दूसरे खर्चों में जहां-जहां कमी की जा सकती है वहां-वहां इसे, हिसाब में ले लिया गया है। साधनों की उपलब्धता को देखते हुए, अगले वर्ष पूंजीगत व्यय के लिए की जाने वाली व्यवस्था की रकम 17.7 करोड़ रुपया ही रखी गयी है, जबकि इस वर्ष 28.6 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। इसी तरह ऋणों और अग्रिमों के भुगतान के लिए की जाने वाली व्यवस्था 27·करोड़ रुपये तक ही सीमित कर दी गयी है, जबकि इसके लिए इस वर्ष 29.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। चूंकि राज्य सरकार आयोजना के लिए खुद किसी प्रकार के साधन जुटाने में असमर्थ है, इसलिए बजट में राज्य की आयोजना के खर्च के लिए केवल 33 करोड़ रुपये की जो रकम रखी गयी है वह भी आयोजना सम्बन्धी केन्द्रीय सहायता की ही रकम है, जिसके लिए भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इसकी तुलना में, आयोजना सम्बन्धी खर्च के लिए, चालू वर्ष में 48 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। आयोजना के लिए धन की व्यवस्था और केन्द्रीय सहायता की रकम बढ़ाने की सम्भावना पर आवश्यकताओं और साथ ही साधनों की फिर से जांच करने के बाद ही बिचार किया जा सकता है। इतने पर भी, जो बजट प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें कुल मिलाकर 3 करोड़ रुपये का घाटा रह जाता है, इसलिए विचार है कि अगले कुछ महीनों में अतिरिक्त साधन जुटा कर इस कमी को पूरा किया जाय ताकि बजट में घाटा न रहे।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी): इस लम्बे भाषण में इसका कोई संकेत नहीं कि राजस्थान में राष्ट्रपति का शासन कब तक रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा लंच के लिये स्थगित हो रही है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिये २ बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then Adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक-सभा दो बजे मध्याह्न पश्चात् पुनः समवेत हुई

THE LOK SABHA RE-ASSEMBLED AT FOURTEEN OF THE CLOCK

[श्री द० स० राजू पीठासीन हुए
SHRI D. S. RAJU *in the Chair.*]

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा जारी

GENERAL BUDGET - GENERAL DISCUSSION - contd.

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : The present economic crisis can be faced by adopting a people's way ie. a democratic way and not by adopting a capitalistic way as is being done at present.

My first suggestion in this connection is that direct taxes should be increased and the incidence of indirect taxes should be reduced.

It is said that there is paucity of resources. We have been demanding the nationalisation of banks, of foreign business and of insurance companies. **But** it is not done.

In some states, the food situation is very alarming and people there are dying of starvation. In Bihar about four crores of people are in the grip of famine. The people of Bihar and the State Government there are demanding that Bihar should be declared famine area. The Central Government should make a declaration to this effect immediately The state government is not in a position to declare Bihar a famine area as it has no financial powers. It has been rendered helpless by the financial policies of the Centre.

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नंदियाल) : मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी आर्थिक नीतियों के ठीक तरह से पालन न किये जाने के कारण हम उन कठिनाइयों को दूर नहीं कर सके हैं जो हमारे चुनाव घोषणा पत्र में उल्लिखित कार्यक्रमों को पूरा करने के रास्ते में बनी हुई हैं। हमारा लक्ष्य जनतान्त्रिक समाजवाद लाना था परन्तु इन सभी वर्षों में हम नौकरशाही समाजवाद की ओर ही बढ़ते रहे हैं। हमारे औद्योगिक नीति संकल्प तथा अन्य संकल्पों का सही अर्थ नहीं लगाया गया और न ही उन्हें ठीक तरह से क्रियान्वित किया गया ।

बिहार और उत्तर प्रदेश सूखे के कारण बहुत ही नाजुक स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहां पर अकाल और महामारी फैली हुई है । देश के कुछ अन्य भागों में भी ऐसी ही स्थिति विद्यमान है । हाल की वर्षा से भी हमारे अनाज उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है । ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार तथा सारी राज्य सरकारों को अपने संसाधन मिल जुल कर कृषि उत्पादन के काम में लाने चाहिये । इसलिए चौथी योजना में परिवर्तन करना जरूरी है ताकि उसमें कृषि उत्पादन उपायों को उपयुक्त स्थान तथा प्राथमिकता दी जा सके ।

केरल के मुख्य मन्त्री सारा दोष केन्द्रीय सरकार पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। खाद्य की सप्लाई राज्य सरकारों तथा केन्द्र दोनों की जिम्मेदारी है। इसीलिए मैंने कहा है कि हमें अपने संसाधन एकत्र करके खाद्य उत्पादन बढ़ाना चाहिये।

राज्यों के बीच असन्तुलन दूर किया जाना चाहिये ताकि शदेश के सभी भागों का विकास हो सके। खाद्य उत्पादन योजनाओं के लिए प्राथमिकता निर्धारित करते समय उन राज्यों को उचित स्थान दिया जाना चाहिये जहाँ खाद्य उत्पादन में वृद्धि किये जाने की प्रत्येक संभावना है।

नागार्जुन सागर बांध परियोजना के कारण राज्य के संसाधनों पर बहुत भारी बोझ पड़ा है और, अन्ततः यह सिद्ध हो गया है कि इससे राज्य को कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि इसके पूरे होने की तिथि को बार-बार बढ़ाया गया है। इस बांध परियोजना के कारण उन परियोजनाओं को भी क्रियान्वित नहीं किया जा सका, जिनसे शीघ्र फल प्राप्त हो सकते थे। अतः मेरा सुझाव है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिकतायें इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिये, जिनसे शीघ्र खाद्य उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिले।

खाद्य उत्पादन के अन्तर्गत बहुत सी अन्य बातें आ जाती हैं, जैसे बिजली पैदा करना, कृषि औज़ारों का निर्माण, उर्वरक का सम्भरण तथा अन्य आवश्यक उपकरणों का दिया जाना। खाद्य उत्पादन की वृद्धि इन सब बातों पर निर्भर है। हम उर्वरक के मामले में गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। इस समय हम उसका आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा के रूप में काफी धन खर्च कर रहे हैं। गत दो अथवा तीन दिनों में समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं कि देश में रासायनिक खाद के कारखाने स्थापित करने के प्रश्न पर विदेशी सहयोगियों के साथ हमारा मतभेद हैं। किसानों के लिए खाद का बहुत बड़ा महत्व है और उन्हें इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है कि यह उर्वरक देश में बनाया जा रहा है अथवा इसका आयात किया जा रहा है। इस लिए सरकार को अविलम्ब यह निर्णय करना चाहिये कि वह किसानों को किस प्रकार शीघ्रातिशीघ्र उर्वरक उपलब्ध करा सकती है।

हर विकासशील अर्थ-व्यवस्था का ध्येय लोकतंत्रात्मक समाजवाद होना चाहिये। हमें अपने इस ध्येय को नहीं भूलना चाहिये तथा हमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण यथाशीघ्र करना चाहिये, ताकि हम उन बड़े बड़े व्यापारियों से छुटकारा पा सकें जो हमारी अर्थ-व्यवस्था को अपंग बना रहे हैं। ऐसा करने पर ही हम अपने करोड़ों लोगों को मूलभूत न्यूनतम सुख-सुविधाएं दे सकने में सफल हो सकेंगे। अब स्थिति यह है कि स्वतंत्रता के 20 साल बाद भी हजारों गांवों में लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हैं। इस लिये हम यह कह कर संतोष नहीं कर सकते कि हमने बहुत कुछ किया है। चाहे जैसे भी सम्भव हो, हमें लोकतंत्रात्मक समाजवाद की ओर आगे बढ़ना होगा।

वित्त मन्त्री प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। अतः उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि देश के प्रशासन को नौकरशाही से मुक्त कराया जाये। मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी प्रशासन से नौकरशाही को निकाला जायेगा, देश के हित में उतना ही अच्छा होगा।

चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारुप में दुर्भिक्ष उन्मूलन के लिये कुछ धन नियत किया गया है तथा देश के विभिन्न भागों में अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। कुछ समय पूर्व दक्षिण के राज्यों के मुख्य मन्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ था तथा उसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि केन्द्रीय सरकार को देश के विभिन्न भागों में अकाल ग्रस्त क्षेत्रों का निर्धारण करना चाहिये तथा उन क्षेत्रों में से अकाल को समाप्त करने के लिये अधिक से अधिक प्रयत्न करना चाहिये। दुर्भिक्ष उन्मूलन का कार्य जितनी जल्दी किया जायेगा, उतना ही देश के हित में होगा, क्योंकि दुर्भिक्ष उन्मूलन का अर्थ है उत्पादन में वृद्धि।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि पांचवाँ इस्पात कारखाना आन्ध्र प्रदेश में स्थापित किया जाय। आन्ध्र प्रदेश में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत सब से कम है। राज्य में सिंचाई एवं बिजली तैयार करने की कई छोटी छोटी परियोजनाएँ है। मैं अनुरोध करता हूँ कि खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिये आन्ध्र में उत्पादन अभियान को उचित स्थान दिया जाय और इन परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा किया जाय।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : वित्त मन्त्री महोदय ने अपने भाषण के अन्त में व्यावहारिक सुझाव मांगे थे। मेरा उद्देश्य केवल आलोचना करना ही नहीं है, अपितु सुझाव देना है। यद्यपि आयव्ययक के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है, परन्तु एक पहलू ऐसा है जिस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया और वह पहलू है मुद्रा स्फीति का। मुद्रा स्फीति का विषय एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर वित्त मन्त्री तथा इस सभा द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये था। वर्तमान ऊँचे मूल्यों पर बजट के प्रभाव से ही जनता इस बजट का मूल्यांकन करेगी। आम चुनावों में कांग्रेस की जो हार हुई है उसका कारण यह है कि देश की गरीब जनता ऊंची कीमतों के भार को संभाल न सकी और स्वयं कांग्रेस ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। इन परिस्थितयों में मुद्रास्फीति के बारे में गंभीर रूप से विचार किया जाना चाहिये था।

आज खाद्यान्न का निर्वाह मूल्य सूचकाँक बढ़कर 216 हो गया है। यह निर्वाह मूल्य सूचकांक वर्ष 1952-53 में मूल्य 100 से आरम्भ किया गया था। मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 1953 में अनाज पर से नियंत्रण हटा लिया गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि अनाज के मूल्य बहुत गिर गये थे और निर्वाह व्यय सूचकांक गिर कर लगभग 75 रह गया था। उत्पादन में 30 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। परन्तु सरकार ने इस तथ्य की अवहेलना की और वर्ष 1956 में पुनः नियंत्रण लगा दिया गया, जिसके परिणास्वरूप पुनः कीमतें बढ़ गई। वर्ष 1956 में नियंत्रण लगाने के साथ साथ दूसरी पंचयर्षीय योजना का अति महत्वाकाँक्षी बनाया जाना तथा अधिक करों का लगाया जाना भी ऐसे कारण हैं जिनके परिणाम-स्वरुप मूल्यों में वृद्धि हुई है।

कराधान तथा मूल्य स्फीति में सीधा सम्बन्ध हैं। ज्यों-ज्यों कर लगाये जाते हैं कीमतें उतनी ही बढ़ जाती हैं, क्योंकि इन करों का प्रभाव सीधा कीमतों पर पड़ता है। ये कर उत्पादकों द्वारा अदा नहीं किये जाते बल्कि देश के साधारण लोगों द्वारा अदा किये जाते हैं। हम जानते हैं कि हर वर्ष बजट के बाद कीमत बढ़ जाती हैं। करों का बोझ अमीरों पर नहीं गरीबों पर पड़ता है। इस लिये हमें चाहिये कि देश में लोकतंत्रात्मक समाजवाद लाने के लिए

हम कीमतें कम करें अर्थात करों को कम किया जाये। वर्ष 1950-51 में राजस्व तथा पूंजीगत बजट लगभग 500 करोड़ रुपये का था और अब यह बढ़कर 5,000 करोड़ रुपये का हो गया है। अत. इन वर्षों में जनता पर करों का बोझ बहुत बढ़ गया है।

वित्त मन्त्री ने कहा है कि अवमूल्यन एक तथ्य है और इस निर्णय को अब खत्म नहीं किया जा सकता, परन्तु यह तर्क समझ में नहीं आता है। अवमूल्यन का आदेश मन्त्रिमंडल के द्वारा दिया गया था। मंत्रिमंडल के निर्णय कई बार रद्द किये जाते हैं। इस निर्णय की पुष्टि सभा द्वारा भी नहीं की गई थी। यह निर्णय किसी अधिनियम के अधीन नहीं है। इस लिये जहां तक कानूनी पहलू का सम्बन्ध है इस निर्णय को मन्त्रिमंडल के आदेश द्वारा रद्द किया जा सकता है। जहाँ तक ऐसे निर्णय की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का सम्बन्ध है, यह स्मरण रखा जाये कि जिन देशों ने हम पर दबाव डालने का प्रयत्न किया है, विशेष रूप से अमरीका, उन्होंने दावा किया है कि उनका अवमूल्यन से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि अमरीका ने जोर दिया है कि अवमूल्यन को रहने दिया जाये तो हम समझ लेंगे कि अमरीका हमारे देश का मित्र नहीं है क्योंकि यह ऐसे उपाय के लिये जोर डालता है, जिससे हमारे देश को भारी क्षति पहुँची है। अवमूल्यन के आर्थिक परिणाम हमारे देश के लिये घातक सिद्ध हुए हैं। यह साधारण हिसाब की बात है कि अवमूल्यन के कारण हमें उन वस्तुओं पर हानि उठानी पड़ती है जो हम बेचते हैं तथा उन वस्तुओं पर अधिक रकम खर्च करनी पड़ती है, जो हम खरीदते हैं। हम जानते हैं कि इसका परिणाम एक ही है और वह है देश की अर्थ व्यवस्था का दिवालिया। हमें इस बात की ओर पहले ध्यान देना चाहिये था। इसके साथ-साथ अवमूल्यन के कारण हमारी उत्पादन लागत बहुत बढ़ गई है क्योंकि हमें आयात किये जाने वाले पुर्जों और कच्चे माल पर 57.5 प्रतिशत अधिक अदायगी करनी पड़ती है। इसके कारण मूल्य स्तर में सामान्य वृद्धि हो गई है। अवमूल्यन के समय जो स्तर 171 था वह अब बढ़ कर 203 हो गया है। इसलिये हमें अवमूल्यन को खत्म कर देना चाहिये।

खाद्य उत्पादन और मुद्रा स्फीति का घनिष्ट सम्बन्ध है। बजट को देखने से ज्ञात होता है कि सरकार ने खाद्य उत्पादन के सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है। यह असंगत बात है कि जब कोई ट्रांसमिटर, बिजलीघर, हाइ टेन्शन लाइन तथा गांव में बिजली ले जाने के खम्बे नहीं हैं तथा खेतों का पानी पहुँचाने तक कोई साधन नहीं है तब हम टेलीविजन सेटों की बातें कर रहे हैं। क्या टेलीविजन सेटों से उत्पादन बढ़ेगा ? क्या टेलीविजन सेटों से आम जनता को कोई लाभ होगा ? हम अणु शक्ति तथा टेलीविजन सेटों की बातें कर रहे हैं, परन्तु क्या हमारी अणु शक्ति कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होगी अथवा हमें केवल आइसोटोपस बना कर ही यह समझना होगा कि हम अणुशक्ति के क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ गये हैं ? सरकार कृषि प्रधान योजना की बातें कर रही है परन्तु सरकार ने राज्यों को कुछ अनुदान अथवा ऋण देने और सहकारिता के लिये कुछ रुपया देने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया है। हमारी सहकारी समितियां क्या कर रही हैं ? स्वयं रिजर्व बैंक ने यह स्वीकार किया है कि उन लोगों को, जिनके पास 500 रुपये या 1000 रुपये से कम की सम्पत्ति है, सहकारी विभाग द्वारा दिये गये धन का केवल 3 प्रतिशत धन मिला है। सहकारी समितियों द्वारा दिया जाने वाला अधिकांश धन उन लोगों को मिलता है जिनकी सम्पत्ति 2000 रुपये अथवा इससे अधिक है हालां कि इन लोगों का योगदान सहकारी समितियों के धन में केवल 33 प्रतिशत है। सहकारी

समितियों में काम करने वाले अधिकतर लोग पेशेवर राजनितिज्ञ हैं और वे कांग्रेस दल से सम्बन्धित है। ऐसी सहकारी समितियों से कोई लाभ नहीं होगा। आम आदमी को धन उपलब्ध कराने के बारे में सोचा जाना चाहिये।

योजना के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि योजना के औचित्य के सम्बन्ध में विभिन्न व्यक्तियों की रायों में भारी मत भेद है। मैं समझता हूँ कि ऐसी योजना से कोई लाभ नहीं जिसके बारे में भारी मतभेद हों। मेरा सुझाव है कि कृषि के अतिरिक्त सभी क्षेत्रों से संबंधित योजना को समाप्त किया जाये। अनेक योजनायें ऐसी हैं जिन से हटा कर धन को कृषि पर लगाया जा सकता है। हमें कृषि के आधार का सहारा लेना चाहिए। हमारे पास फालतू कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में हैं। दो वर्ष पूर्व स्वयं गृह-कार्य मन्त्री ने यह घोषणा की थी कि बहुत से विभागों में और उनके विभाग में भी 25 प्रतिशत कर्मचारी फालतू हैं। परन्तु फिर भी प्रशासनिक व्यय उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों की संख्या पहले ही अधिक होते हुए उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। हमें चाहिये कि हमारे पास जो फालतू कर्मचारी हैं उन्हें काम करने और निरीक्षण करने के लिये गाँव में भेजा जाये। ऐसा करके प्रशासनिक खर्च में कमी की जा सकती है।

सरकार के आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि सरकार द्वारा बैंक की दर 6 प्रतिशत किये जाने के कारण अनुसूचित बैंको ने अपनी दर बढ़ा कर 10 या 12 प्रतिशत तक कर दी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि विनियोजन तथा उत्पादन घट गया है। यदि सरकार चाहती है कि विनियोजन बढ़े तथा उत्पादन बढ़े तो सरकार को बैंक की दर घटाने के बारे में तुरन्त विचार करना चाहिये। बैंक की दर बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है।

मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि मुद्रा स्फीति को कम करने, विदेशी मुद्रा की स्थिति सुधारने, कृषि के लिए आवश्यक व्यक्तियों, रुपये तथा उपकरणों का प्रबंन्ध करने तथा प्रशासन से फालतू कर्मचारियों को कम करने और प्रशासनिक व्यय को कम करने के लिये उचित उपाय किये जायें। यनि ऐसा न किया गया तो यह देश के लिये बहुत घातक होगा।

श्री उमानाथ (पुद्दकोटै): सरकार के अन्तरिम बजट से सदा की भांति कांग्रेस दल के वित्तीय अपराध का ही संकेत मिलता है। हमारी अर्थ-व्यवस्था के संकट के परिणामों का उल्लेख करते हुए वित्तमन्त्री ने सभी बातों का उल्लेख किया, परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि आर्थिक संकट का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है। हर सप्ताह कपड़े के कारखाने एक अतिरिक्त दिन के लिए बन्द कर दिये जाते हैं तथा देश के बहुत से कपड़ा मिल बिल्कुल बन्द पड़े हैं। उदाहरणार्थ कोयिमत्तूर में छः कपड़ा मिल गत कई महीनों से बन्द पड़े हैं। इसके अतिरिक्त नियमित रूप से मजदूरी नहीं दी जाती, जैसा कि अधिनियम के अन्तर्गत उल्लिखित है तथा मजदूरी उपेक्षित तिथि के बाद दी जाती है। मुझे ज्ञात है कि कावेरी मिल में, जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है गत तीन अथवा चार महीनों से मजदूरी 18 अथवा 20 तारीख को दी जाती रही है। आर्थिक संकट का उल्लेख करते हुए वित्त मन्त्री ने किसी ठोस उपाय का सुझाव नहीं दिया, जिससे उन मिलों को तुरन्त खोला जाये तथा हर सप्ताह एक अतिरिक्त दिन बन्द करने के आदेश को रद्द किया जाये। इसी प्रकार इंजीनियरी फर्मों के कर्मचारियों को भी संकट का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में बहुत से श्रमिकों की छटनी कर दी गई है। हथकरघा उद्योग के सम्मुख भी भारी संकट है। धागे की ऊँची कीमत होने के कारण उत्तर प्रदेश में

15 लाख बुनकर भूखमरी से पीड़ित हैं। बजट में ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है और न ही कोई ऐसा उपाय बताया गया है जिससे देश की अर्थ व्यवस्था में सुधार हो सके।

देश की स्थिति को सुधारने के लिये जो सांत्वनादायक सुझाव दिये गये हैं उनमें उत्पादन बढ़ाना, आयात को ढील देना तथा निर्यात को बढ़ावा देना हैं। यही सुझाव पूर्ववर्ती मन्त्री श्री शचीन्द्र चौधरी द्वारा दिये गये थे और उन्होंने दावा किया था कि उनका बजट उत्पादन प्रधान है। वर्तमान वित्त मन्त्री श्री मोरार जी देसाई ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि इनका कोई नतीजा नहीं निकला है।

वित्तमन्त्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय अर्थ घाटे की अर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में कहा है कि वह घाटे की अर्थ व्यवस्था को समाप्त करेंगे। विदेशी सदस्यों को स्वाभाविक रूप से इसमें सन्देह प्रतीत होता है कि घाटे की अर्थ व्यवस्था समाप्त की जायेगी क्योंकि ऐसे वक्तव्य पहले भी दिये जा चुके है परन्तु उन्हें पूरा नहीं किया गया। जब वर्तमान वित्त मन्त्री तीसरी योजना के दौरान वित्त विभाग के भारसाधक थे तो पूरी पांच साल की अवधि के लिये घाटे की अर्थ व्यवस्था का लक्ष्य 550 करोड़ रुपये रखा गया था, परन्तु पहले दो वर्षों में घाटे की अर्थ-व्यवस्था 339 करोड़ थी, अर्थात लक्ष्य से 62 प्रतिशत अधिक थी। अतः इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था समाप्त की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त यदि वित्त मन्त्री महोदय घाटे की अर्थ व्यवस्था समाप्त करने को कटिबद्धि हैं, तो उन्हें योजना को काटना तथा छांटना पड़ेगा। योजना को काटने तथा छांटने का अर्थ होगा कि मुख्य औद्योगिक कार्यवाही और औद्योगिक उन्नति को वास्तविक रूप से रोक दिया जाये और कृषि और कृषि आधारित उद्योग पर ध्यान केन्द्रित किया जाय। ऐसी योजना केवल आयात प्रधान होगी। ऐसी योजना का अर्थ होगा कि माध्यमिक माल, उर्वरक और कीड़े नाशक दवाइयों का आयात किया जाये। अमरीका यही चाहता है कि हम इन चीजों का आयात करें। आज भारतीय पूंजीपति अमरीकी पूंजीपतियों के दास बने हुए हैं। यह देश के लिये लज्जा की बात है। वित्त मन्त्री दूसरे शब्दों में वही कह रहे हैं जो अमरीका चाहता है।

वित्त मन्त्री का कहना है कि राज्य द्वारा जमा से अधिक रकम निकालने पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा, क्योंकि वित्तीय अनुशासन ताथा घाटे की अर्थ व्यवस्था को समाप्त करने के लिये यह अनिवार्य है। परन्तु जमा से अधिक धन निकालने की प्रथा कोई नई प्रथा नहीं है। यह समझ में नहीं आता कि यह निर्णय पहले क्यों नहीं लिया गया। मै समझता हूँ कि केन्द्र ने जमा से अधिक रकम निकालने की प्रथा इस लिये बन्द नहीं की थी, क्योंकि राज्यों में कांग्रेस सरकारें थी, परन्तु अब चूंकि कुछ राज्यों में गैर कांग्रेस सरकारें हैं जो कि जनता की समस्याओं को हल करना चाहती हैं जिसके लिये उन्हें बैंको से जमा से अधिक रकम लेने की आवश्यकता है, तो वित्तीय अनुशासन के नाम पर उसे बन्द किया जा रहा है। वर्तमान आर्थिक संकट की उत्तरदायी पूर्ववर्ती कांग्रेसी सरकारें हैं। अतः अब जब गैर कांग्रेसी सरकार बन गई हैं, तो जमा से अधिक राशि निकालने की प्रथा को समाप्त करना अनुचित है। राज्यों में पहली सरकारों के कुकर्मों से कारण गैर कांग्रेसों सरकारों को हानि नहीं होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त जमा से अधिक रकम लेना केवल ऋण लेना है, यद्यपि यह अनधिकृत है। जब केन्द्र अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों जैसा कि विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि से ऋण ले रहा है, तो इसे राज्यों को नहीं रोकना चाहिये। वास्तव में हमारी सरकार ऋणों की सरकार है। आज

हमारे ऊपर कुल 11,726 करोड़ रुपये का ऋण है, जो प्रति व्यक्ति 260 रुपये होता है। यदि केन्द्र सरकार चाहती है कि राज्यों द्वारा जमा से अधिक राशि न निकाली जाये, तो इसे भी ऋण लेना बन्द करना चाहिए। इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा भी जमा से अधिक धन निकाला जाता है। जब गैर-सरकारी क्षेत्र पर यह प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा रहा. तो राज्य सरकारों पर यह प्रतिबन्ध क्यों लगाया जा रहा है।

एक समाचार मिला है कि एक पत्रकार सम्मेलन में वित्त मन्त्री ने कहा है कि वह मजूरी तथा लाभांशों को स्थिर करने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। हम यह जानते हैं कि चाहे जो उपाय किये जायें, परन्तु लाभांशों को स्थिर नहीं किया जायेगा। लाभांशों से प्राप्त होने वाले लाभ के धन का एक बहुत बड़ा भाग काले धन में परिवर्तित हो जायेगा। वर्तमान स्थिति में मजूरी को सीमित करना घातक सिद्ध होगा। इस से करोड़ लोग तबाही के शिकार हो जायेंगे। हम देखते हैं कि वर्ष 1955 में जो वास्तविक मजूरी 100 रुपये थी, वह घट कर 83.3 रह गई है, हालां कि नकद मजूरी में वृद्धि हुई है। इस लिए यदि सरकार ने मजूरी को सीमित करना चाहा तो श्रमिकों कर्मचारियों तथा मध्यम वर्ग के व्यक्तियों इस सरकार को ही सीमत करने के लिये बाध्य होना होगा, क्योंकि यह उनके जीवन और मौत का प्रश्न है।

सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि विदेशी मुद्रा की मात्रा घटती जा रही है और विदेशी व्यापार विभिन्न प्रकार के कदाचारों के कारण बर्बाद होता जा रहा है। तो फिर यह समझ में नहीं आता कि सरकार कम से कम कुछ मदों से सम्बन्धित विदेशी व्यापार अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेती। इसी प्रकार यदि पूंजी बाजार में चुस्ती लानी है और मूल्यों में वृद्धि को रोकना है, तो सट्टेखोरी को रोकने और काले धन को समाप्त करने के लिए उपाय करने होंगे।

खाद्य संकट के प्रश्न ने लगभग पिछले डेढ़ वर्ष से स्थायी रूप ले लिया है, फिर भी सरकार भू-स्वामित्व के प्रश्न पर विचार करने को तैयार नहीं है, कृषि क्षेत्र में मूल प्रश्न यही कि भूमि काश्तकार को दे दी जाये। आवश्यकता इस बात की है कि देश का विकास तेजी से किया जाये, रहन-सहन का स्तर और ऊँचा उठाया जाये और आर्थिक क्षेत्र में आत्म-निर्भरता के पथ पर चला जाये। किन्तु यह तब ही हो सकता है जब व्यापार तथा कृषि के क्षेत्र में निहित हितों को समाज से हटाया जाये किन्तु ऐसा करने में सरकार असमर्थ है क्योंकि बड़े-बड़े व्यापारियों तथा जमींदारों से उसके सम्बन्ध हैं।

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : सभा में प्रस्तुत किये गये अन्तरिम प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान यह कहा गया है कि सरकार ने अतीत की घटनाओं से कोई सबक नहीं सीखा है, आलोचना काफी जानदार तथा स्वस्थ है और मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि सदन में इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है उसका हम आदर करते हैं और उस पर पूरा ध्यान देंगे और जो उचित सुझाव दिये गये हैं उनसे लाभ उठाने का हम भरसक प्रयत्न करेंगे। यह कहा गया है कि वित्त मन्त्री ने यह कहा है कि मजूरी स्थिर कर दी जाये किन्तु वह यह भूल गये हैं कि जब मैंने मजूरी के स्थितीकरण के बारे में कहा; तो मैंने केवल मजूरी के सम्बन्ध में ही नहीं कहा। मैंने यह भी कहा कि मूल्यों को बढ़ने से रोकना, उनमें स्थिरता लाना अथवा मूल्यों का गिराना आवश्यक है। किन्तु यदि मूल्यों को

रोका जाता है और अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हम उसके बाद धन बचा सकते हैं, तोनिश्चय ही इससे गरीब लोगों को फायदा पहुंचेगा। जहां तक इस बारे में नीति का सम्बन्ध है, सरकार राष्ट्र का आय-व्ययक तैयार कर रही है इसलिये इस समय तर्क-वितर्क करना उचित नहीं है।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि जब कर लगाये जाते हैं, तो मुद्रास्फीति भी साथ-साथ होती है, किन्तु हमेशा ही ऐसी बात नहीं होती, यद्यपि यह सच है कि कुछ करों से मूल्यों में वृद्धि होती है किन्तु सभी करों से ऐसा नहीं होता।

एक आश्चर्यजनक प्रश्न यह पूछा गया है कि अवमूल्यन को फिर से क्यों नहीं बदला जा सकता? अवमूल्यन का अर्थ यह है कि हमने अन्य देशों के साथ विदेशी मुद्रा की अपनी दर बदल दी है। यह जान लेना चाहिये कि हमने यह अवमूल्यन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के, जिसके कि हम एक सदस्य हैं, परामर्श से किया है। अब स्थिति यह है कि हम उक्त कोष की अनुमति के बिना इस दर को बदल नहीं सकते। इसलिये इसमें परिवर्तन करना अब हमारे लिए संभव नहीं है।

एक सुझाव यह भी दिया गया है कि योजना केवल कृषि के ही सम्बन्ध में बनाई जाये, किन्तु आयोजन को केवल कृषि तक ही सीमित रखने तथा अन्य सभी विकास-कार्यों से मुह मोड़ देने पर कृषि को लाभ नहीं पहुँच सकता। जहां तक कर्मचारियों की छंटनी करके उन्हें कृषि-कार्य पर भेजने या लगाने का सुझाव है, यह एक ऐसी बेतुकी बात है जिससे समस्या का हल होने के बजाये नई उलझनें तथा समस्याएं पैदा होती हैं। अतः यह व्यावहारिक सुझाव नहीं है। हमें अपनी अर्थ-व्यवस्था को इस प्रकार विकसित करना है जिससे जीवन के हर क्षेत्र में विकास हो और अधिकाधिक काम-धन्धों की व्यवस्था की जा सकें और लोगों को अपनी इच्छा के अनुकूल काम मिल सके। किन्तु इसमें अभी कुछ समय लगेगा क्योंकि हमारी अर्थ-व्यवस्था अभी भी कमजोर है और हमें इसमें परिवर्तन करना है तथा इसे काफी सुव्यवस्थित तथा सम्पन्न बनाना है। यह सच है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था में आज गतिरोध है। किन्तु यह गतिरोध सरकार ने पैदा नहीं किया है। यह कहा जा सकता है कि सरकार ने इस गतिरोध को रोका नहीं, लेकिन यह गतिरोध कई कारणों से उत्पन्न हुआ है जिनमें से मुख्य यह है कि गत चार वर्षों के दौरान कई खराब मौसम आये जिसके कारण हमारी कृषि उपज को भारी धक्का पहुँचा और इस सम्बन्ध में हमारे द्वारा दिये जा रहे काफी ध्यान के बावजूद भी हम खेती की उपज अधिक बढ़ाने में सफल नहीं हो सके हैं।

यह कहना सच नहीं होगा कि देश में कृषि की उपेक्षा की गई है। पिछली तीन योजनाओं में कृषि की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है और उसके लिये धन की व्यवस्था भी की गई थी और खर्च भी किया गया था। किन्तु यदि प्रकृति ने साथ नहीं दिया, तो उसके लिये सरकार को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है? प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिये सरकार कई तरीके से, कृषि के लिये सिंचाई की अधिकाधिक सुविधाओं की व्यवस्था कर रही है। कुएँ खुदवाये जा रहे हैं तथा नल-कूप लगवाये जा रहे हैं। इन योजनाओं तथा कार्यों के लिये धन समुचित रूप से उपलब्ध किया जा रहा है। देश में कृषि विकास और औद्योगिक विकास का साथ साथ चलना जरूरी है। हमारे देश में 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं, उनकी दशा नहीं सुधारी जा सकती क्योंकि और अधिक भूमि में खेती नहीं की जा सकती। इसलिए

इन लोगों के लिये अन्य व्यवसायों की व्यवस्था करना आवश्यक है, अतः औद्योगिक क्षेत्र में, चाहे वे छोटे पैमाने के उद्योग हों मझले पैमाने के हों अथवा बड़े पैमाने के उद्योग हों, विकास आवश्यक है जिससे कि इन लोगों को इस क्षेत्र में काम दिलाया जा सके।

इसके साथ साथ हमारे लिये यह भी आवश्यक है कि हम यह सुनिश्चित करने के लिये अधिकतम प्रयत्नशील रहें कि हमारी अर्थव्यवस्था अवरुद्ध न होने पावे। हमें यह देखना होगा कि हमारी अर्थ-व्यवस्था आगे बढ़े और सभी क्षेत्रों में उत्पादन बढ़े और हम प्रति वर्ष अपनी विकास की गति को बढ़ा सकें। इसके लिये यह आवश्यक है कि हम अपने सभी संसाधनों का उपयोग करें।

घाटे की अर्थ-व्यवस्था भी मूल्यों को कुछ हद तक बढ़ाने में जिम्मेदार रही है। यदि हम यह चाहते हैं कि मूल्यों को गिराना अनिवार्य है, तो हमें इस बात के लिये भागीरथ प्रयत्न करने होंगे कि घाटे की अर्थ व्यवस्था को रोका जाये। इसके लिये सरकार सर्वाधिक प्रयत्नशील है साथ ही साथ वह सभी माननीय सदस्यों से उनकी धमकियों तथा चेतावनियों के स्थान पर सहयोग और सहायता की अपेक्षा करती है। घाटे की अर्थ व्यवस्था के लिये केवल एक राज्य नहीं अपितु अनेक राज्य जिम्मेदार हैं। ऐसी बात नहीं है कि इस व्यवस्था को रोकने के लिये केवल अब ही प्रयत्न किये जा रहे हैं। वर्ष 1962 में भी इसे रोकने के उपाय किये गये थे जिन पर सभी राज्य सहमत हुए थे, किन्तु बाद में वह फिर चल पड़ी। यदि हम अपनी छिन्न-भिन्न अर्थ व्यवस्था को सुस्थिर करना चाहते हैं तो घाटे की अर्थ व्यवस्था को अवश्य ही बन्द करना होगा। इसीलिये मैंने सभी मुख्य मन्त्रियों तथा वित्त मन्त्रियों को इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिये आमन्त्रित किया है।

देश को आयोजन से चाहे कुछ लाभ पहुंचा हो अथवा नहीं, किन्तु हमारे विकास के मामले में वैज्ञानिक रीति से विचार आरम्भ करने में इसने निश्चित ही हमारी सहायता की है। यदि पिछले 15 वर्षों में आयोजन न किया गया होता, तो आज हमें अपेक्षाकृत अधिक कठिनाइयां उठानी पड़तीं। आयोजन आवश्यक है। यद्यपि हमारी योजनाओं में, कुछ दोष तथा त्रुटियाँ हो सकती हैं। परन्तु अनुभव से हम अवश्य ही कुछ सीखते जा रहे हैं और जो भी गलतियाँ हमने भूतकाल में की हैं उनसे हम आज लाभ उठाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। एक विशेष बात यह भी है कि ये गलतियाँ जान-बूझ कर नहीं की गई हैं अतः वे क्षम्य हैं।

जहाँ तक योजना के आकार का सम्बन्ध है योजना संसाधनों के अनुरूप होनी चाहिये, न कि उनके विपरीत अर्थात् संसाधनों से अधिक नहीं। हमारे लिये यह भी आवश्यक है कि हम सन्तुलित बजट तैयार करें न कि घाटे वाला बजट। यदि हम ऐसा नहीं करते, तो हमें और ज्यादा परेशानियों तथा मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा। हमें अपने संसाधनों को अधिकाधिक जुटाना होगा और इस ढंग से उनका उपयोग करना होगा जिससे कि मूल्य अधिक बढ़ने न पायें, इस सभा के सदस्यों से भी अनुरोध है कि वे इस मामले में अपने-अपने ठोस सुझाव देकर सरकार की सहायता करें।

यह भी सुझाव दिया गया है कि हमें केवल प्रत्यक्ष कर ही लगाने चाहिये और कर केवल धनी लोगों पर ही लगाये जाने चाहिये, गरीबों पर बिल्कुल भी नहीं। हम यह भूल जाते

हैं कि साम्यवादी देशों में भी केवल अप्रत्यक्ष कर होते हैं और प्रत्यक्ष कर नहीं होते या फिर बहुत थोड़े प्रत्यक्ष कर होते हैं।

जहाँ तक सरकारी खर्च में मितव्ययता का सम्बन्ध है, इस खर्च में हमें मितव्ययता अवश्य ही करनी होगी, किन्तु कभी-कभी यह कहा जाता है कि केवल प्रशासनिक व्यय में ही कटौती करके 300 अथवा 400 करोड़ रुपये तक बचा सकते हैं। किन्तु जब केन्द्र में प्रशासनिक सेवाओं पर खर्च केवल 225 करोड़ रुपये आता है, तो उसमें से 300 या 400 करोड़ रुपये की बचत कैसे हो सकती है? यह मैं समझ नही पाता। इसमें कुछ खर्च तो ऐसा है जिसमें हम बिलकुल भी कमी नहीं कर सकते, फिर भी प्रशासनिक सेवाओं पर होने वाले खर्च में जितनी कटौती करना संभव है, वह की जा रही और की जायेगी। सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की है जो व्यय में कमी के प्रश्न पर भी विचार कर रहा है और कुछ ही महीनों में हमें उसकी सिफारिशें प्राप्त हो जायेंगी, अतः इस मामले में सरकार उसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है। यह संभव नहीं है कि सेवाओं में तदर्थ कटौती करके एक ही बार में छंटनी कर दी जाये। किन्तु यदि छंटनी करना आवश्यक हुआ तो छंटनी भी कर दी जायेगी।

सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1967-68 के लिये लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई :

The following Demands for Grants on account for the year 1967-68 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	वाणिज्य मन्त्रालय	14,72,000
2	विदेशी व्यापार	13,14,12,000
3	वाणिज्य मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	6,35,66,000
4	रक्षा मन्त्रालय	27,07,000
5	रक्षा सेवाएं—सक्रिय स्थलसेना	2,25,63,67,000
6	रक्षा सेवाएं—सक्रिय नौ सेना	12,98,67,000
7	रक्षा सेवाएं—सक्रिय वायु सेना	53,51,00,000
8	रक्षा सेवाएं—निष्क्रिय	8,50,00,000
9	शिक्षा मन्त्रालय	31,38,000
10	शिक्षा	17,26,91,000
11	पुरातत्व	39,57,000
12	भारतीय सर्वेक्षण	1,68,10,000
13	वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद को अनुदान	5,91,26,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
14	शिक्षा मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,08,50,000
15	वैदेशिक-कार्य . .	5,52,96,000
16	विदेश मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय - -	5,47,35,000
17	वित्त मन्त्रालय . . .	89,15,000
18	सीमा-शुल्क	1,98,62,000
19	केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क .	4,95,18,000
20	निगम-कर आदि सहित आय सम्बन्धी कर	3,68,52,000
21	स्टाम्प . .	1,42,53,000
22	लेखा-परीक्षा . . .	6,81,59,000
23	मुद्रा और सिक्का ढलाई . . .	4,39,77,000
24	टकसाल . .	1,15,05,000
25	कोलार की सोने की खानें . .	1,66,90,000
26	पेशनें और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ . .	3,07,60,000
27	अफीम . . .	2,21,29,000
28	वित्त मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	13,10,24,000
29	राज्यों और संधीय राज्य-क्षेत्रों की सरकारों को सहायक अनुदान	1,11,40,44,000
30	केन्द्रीय तथा राज्यों और संधीय राज्य-क्षेत्रों की सरकारों के बीच विविध समायोजन . .	1,15,700
31	विभाजन पूर्व की अदायगियाँ . . .	62,000
32	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय	49,64,000
33	कृषि . . .	7,75,44,000
34	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद को अदायगियां	5,50,19,000
35	सामुदायिक विकास योजनाएं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा .	6,31,000
36	वन . . .	53,81,000
37	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय . . .	16,30,02,000
38	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय .	11,47,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
39	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य . .	6,46,61,000
40	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	24,37,000
41	गृह-मन्त्रालय . . .	2,07,60,000
42	मन्त्रिमण्डल . . .	19,85,000
43	न्याय प्रशासन . . .	1,10,000
44	पुलिस . . .	12,48,47,000
45	जनगणना . . .	35,09,000
46	अंक-संकलन . . .	1,17,61,000
47	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते .	88,000
48	क्षेत्रीय और राजनैतिक पेंशनें . .	6,32,000
49	दिल्ली . . .	11,27,44,000
50	चण्डीगढ़ . . .	1,33,55,000
51	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह . .	2,10,83,000
52	आदिम जाति क्षेत्र . .	7,24,41,000
53	दादरा और नगर हवेली क्षेत्र . .	15,21,000
54	लक्षदीप, मिनिकोय और अमीन द्वीपसमुह .	32,91,000
55	गृह मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	1,32,93,000
56	औद्योगिक विकास विभाग . .	16,46,000
57	उद्योग . . .	1,39,39,000
58	नमक . . .	18,61,000
59	औद्योगिक विकास विभाग का अन्य राजस्व व्यय .	18,74,000
60	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय . .	6,07,000
61	प्रसारण . . .	2,76,84,000
62	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	2,07,17,000
63	सिंचाई और बिजली मन्त्रालय . .	10,94,000
64	बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं . .	72,53,000
65	सिंचाई और बिजली मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	3,00,58,000
66	श्रम, नियोजन और पुनर्वास मन्त्रालय . .	26,27,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
67	खानों का मुख्य निरीक्षक . . .	16,12,000
68	श्रम और नियोजन . . .	4,80,23,000
69	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय . .	3,99,16,000
70	श्रम, नियोजन और पुनर्वास मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	11,27,000
71	विधि मन्त्रालय . .	20,78,000
72	विधि मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	72,07,000
73	पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय . .	8,72,000
74	पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,02,37,000
75	इस्पात, खान और धातु मन्त्रालय . .	13,46,000
76	भूगर्भ सर्वेक्षण . . .	3,40,92,000
77	इस्पात, खान और धातु मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	6,33,36,000
78	पर्यटन और असैनिक उड्डयन मन्त्रालय .	5,64,000
79	ऋतु विज्ञान . . .	1,11,67,000
80	उड्डन . . .	3,82,42,000
81	पर्यटन और असैनिक उड्डयन मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	63,06,000
82	परिवहन और जहाजरानी मन्त्रालय . .	42,51,000
83	सड़कें . . .	4,86,84,000
84	व्यापारिक समुद्री बेड़ा . . .	57,12,000
85	प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत . .	44,60,000
86	परिवहन और जहाजरानी मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,19,21,000
87	निर्माण और आवास विभाग . .	8,03,000
88	लोक निर्माण कार्य . . .	12,90,94,000
89	लेखन सामग्री और छपाई . .	4,61,78,000
90	निर्माण और आवास विभाग का अन्य राजस्व व्यय .	53,83,000
91	परमाणु शक्ति विभाग . .	8,90,000
92.	परमाणु शक्ति विभाग का अन्य राजस्व व्यय .	5,36,33,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
93	संचार विभाग . .	4,16,000
94	समुद्रपारीय संचार सेवा . .	77,84,000
95	डाक और तार विभाग (कार्य चालन व्यय)	58,54,84,000
96	डाक और तार विभाग द्वारा सामान्य राजस्व में दिया जाने वाला लाभांश और प्रारक्षित निधियों में विनियोग	6,19,20,000
97	संचार विभाग का अन्य राजस्व व्यय . .	10,80,000
98	समवाय विभाग .	8,07,000
99	समवाय विभाग का अन्य राजस्व व्यय . .	16,06,000
100	संसद विषयक विभाग .	2,00,000
101	समाज कल्याण विभाग . .	5,26,000
102	समाज कल्याण विभाग का अन्य राजस्व व्यय	1,14,22,000
103	सम्भरण विभाग . .	24,26,000
104	सम्भरण और निपटान . .	1,38,49,000
105	सम्भरण विभाग का अन्य राजस्व व्यय .	11,71,000
106	योजना आयोग . .	58,13,000
107	लोक-सभा . . .	51,14,000
108	राज्य-सभा .	18,70,000
109	उपराष्ट्रपति का सचिवालय . .	87,000
110	वाणिज्य मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय	8,18,000
111	रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय . .	43,34,19,000
112	शिक्षा मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय ,	13,85,000
113	इंडिया सिक्योरिटी प्रेस पर पूंजी परिव्यय .	7,66,000
114	मुद्रा और सिक्का ढलाई पर पूंजी परिव्यय .	7,54,49,000
115	टकसालों पर पूंजी परिव्यय . .	14,21,000
116	कोलार की सोने की खानों पर पूंजी परिव्यय	29,84,000
117	पेंशनों का राशीकृत मूल्य . .	1,19,33,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
118	वित्त मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय .	50,86,50,000
119	विकास के लिये राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को दिये जाने वाले अनुदानों पर पूंजी परिव्यय .	15,40,60,000
. 120	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	1,43,71,30,000
121	अन्न और रासायनिक खाद की खरीद . .	2,38,30,88,000
122	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . . .	10,55,29,000
123	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय	4,81,97,000
124	संघीय राज्य क्षेत्रों और आदिम जाति क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	6,39,98,000
125	गृह मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय .	12,20,000
126	औद्योगिक विकास और समवाय मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय	4,96,96,000
127	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय	1,69,18,000
128	बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय .	8,16,73,000
129	सिंचाई और बिजली मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	5,70,44,000
130	श्रम, नियोजन और पुनर्वास मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय	2,62,27,000
131	पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय	10,79,02,000
132	इस्पात, खान और धातु मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय	34,90,92,000
133	उड्डयन पर पूंजी परिव्यय . .	1,65,81,000
134	पर्यटन और असैनिक उड्डयन मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	24,00,000
135	सड़कों पर पूंजी परिव्यय . .	11,35,59,000
136	बन्दरगाहों पर पूंजी परिव्यय . .	1,89,53,000
137	परिवहन और जहाजरानी मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	1,46,72,000
138	दिल्ली पूंजी परिव्यय . .	1,68,80,000
139	सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय .	3,00,00,000
140	निर्माण, आवास और संभरण मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	35,48,000
141	परमाणुशक्ति विभाग का पूंजी परिव्यय .	18,,18,50,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
142	डाक और तार विभाग का पूंजी परिव्यय (राजस्व से नहीं)	17,71,00,000
143	संचार विभाग का अन्य पूंजी परिव्यय .	75,78,000

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1967

APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL 1967

उपप्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1967-68 के कुछ भाग की सेवाओं के लिये कुछ राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1967-68 के कुछ भाग की सेवाओं के लिये कुछ राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री मोरारजी देसाई : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1967-68 के कुछ भाग की सेवाओं के लिये कुछ राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1967-68 के कुछ भाग की सेवाओं के लिये कुछ राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 1 से 3 अनुसूची अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clauses 1 to 3, Schedule, the Enacting Formula and the long title were added to the Bill.

श्री मोरार जी देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1966-67

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL (1966-67

वर्ष 1966-67 **के लिए सामान्य आय-व्ययक के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :—**

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	वाणिज्य मंत्रालय	4,50,000
5	रक्षा सेवाएं-सक्रिय स्थल सेना	23,23,64,000
6	रक्षा सेवाएं-सक्रिय नौसेना	3,97,61,000
7	रक्षा सेवाएं सक्रिय वायुसेना	6,42,85,000
8	रक्षा सेवाएं निष्क्रिय	57,40,000
9	शिक्षा मन्त्रालय	4,49,000
13	वनस्पति सर्वेक्षण	1,48,000
15	शिक्षा मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	35,95,000
16	वैदेशिक कार्य	75,00,000
18	वित्त मन्त्रालय	12,39,000
19	सीमा शुल्क	12,50,000
20	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	57,90,000
21	निगम कर आदि सहित आयकर	97,15,000
22	स्टाम्प	32,52,000
23	लेखा परीक्षा	90,00,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
24	मुद्रा और सिक्का ढलाई	2,78,26,000
25	टकसाल	24,74,000
26	कोलार की सोने की खानें	15,77,000
27	पेंशने और सेवानिवृत्ति सम्बन्धी अन्य लाभ	29,61,000
29	अफीम	11,45,000
30	वित्त मन्त्रालय के अन्य राजस्व व्यय	1,000
31	राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायक अनुदान	16,50,00,000
34	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय	12,34,000
35	कृषि	4,00,00,000
36	कृषि सम्बन्धी गवेषणा	1,000
37	पशु पालन	2,000
39	वन	1,000
40	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	40,01,000
41	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय	2,25,000
44	गृह-कार्य मन्त्रालय	68,41,000
45	मन्त्रि-मण्डल	2,20,000
46	क्षेत्रीय परिषदें	11,000
47	न्याय-प्रशासन	13,000
48	पुलिस	1,86,85,000
50	अंक संकलन	7,35,000
51	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते	17,000
52	दिल्ली	2,72,01,000
52क-	चण्डीगढ़	7,94,000
53	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	51,89,000
54	आदिम जाति क्षेत्र	2,33,91,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
55	दादरा और नगर हवेली क्षेत्र	4,84,000
57	गृह-कार्य मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,000
58	उद्योग मन्त्रालय	3,55,000
61	उद्योग मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	3,83,000
62	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय	1,87,000
63	प्रसारण	1,20,67,000
67	सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय	4,72,000
68	बहु प्रयोजन नदी योजनाएं	26,32,000
69	सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	1,41,78,000
70	श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय	6,25,000
73	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	98,55,000
75	विधि मन्त्रालय	59,000
77	विधि मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,44,000
78	खान और धातु मन्त्रालय	1,69,000
80	खान और धातु मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	2,88,00,000
81	पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय	3,09,000
83	सम्भरण और तकनीका विकास मन्त्रालय	2,19,000
84	सम्भरण और निपटान	19,36,000
85	सम्भरण और तकनीकी विकास मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	3,90,000
86	परिवहन और उड्डयन मन्त्रालय	2,25,000
87	ऋतु विज्ञान	16,90,000
92	उड्डयन	2,12,04,000
93	परिवहन तथा उड्डयन मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,78,89,000
94	निर्माण, आवास और नगर विकास मन्त्रालय	1,94,000
95	लोक निर्माण कार्य	9,00,41,000
102	डाक और तार-कार्य चालन व्यय	6,39,35,000
105	संसद विषयक विभाग	1,44,000
113	वाणिज्य मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय	1,95,92,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
116	इंडिया सिक्योरिटी प्रेस पर पूंजी परिव्यय	13,21,000
120	पेंशनों का राशिकृत मूल्य	64,31,000
121	वित्त मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	25,50,00,000
122	विकास के लिए राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को दिये जाने वाले अनुदानों पर पूंजी परिव्यय	8,93,46,000
123	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	40,50,00,000
128	गृह-मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय	1,72,04,000
129	उद्योग मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय	1,000
130	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय	36,65,000
132	बहु प्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	3,60,98,000
136	पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय	5,86,44,000
140	परिवहन और उड्डयन मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	5,60,000
145	डाक और तार पर पूंजी परिव्यय, राजस्व से नहीं	11,82,00,000

वर्ष 1966-67 के लिये अनुपूरक अनुदानों (सामान्य आय-व्ययक) की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	राशि
31	15	श्री के० पी० सिंह देव	कुछ जिलों में सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिये उड़ीसा राज्य को अधिक केन्द्रीय सहायता।	100 रुपये
67	29	श्री के० पी० सिंह देव	उड़ीसा में बाढ़ से रक्षा के लिए ब्रह्मणी नदी पर बांध की आवश्यकता।	100 रुपये
102	34	श्री के० पी० सिंह देव	उड़ीसा सर्किल में डाकघरों का कार्य।	100 रुपये
130	36	श्री के० पी० सिंह देव	कटक में एक शार्ट वेव का ट्रांसमिटर लगाने की वांछनीयता।	100 रुपये

सभापति महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : उड़ीसा राज्य में 1955 से लगातार बाढ़ सूखे तथा अकाल का प्रकोप हो रहा है गत वर्ष विषम सूखा पड़ा था। सरकार ने पीने के पानी तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये उचित सुविधाओं का प्रबन्ध नहीं किया। सरकार यही विचार करती रही कि वर्षा कुछ विलम्ब से हो जायेगी। इस वर्ष पुन: उड़ीसा में सूखा पड़ा है इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह समय पर ही सहायता कार्य करें ताकि पिछला इतिहास न दोहराय जाये।

ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को वास्तविक स्थिति से परिचित नहीं कराया क्योंकि माननीय मन्त्री ने चर्चा का उत्तर देते समय अपने भाषण में उड़ीसा के सूखाग्रस्त होने का कोई उल्लेख नहीं किया।

कुओं का पानी सूख गया है और पानी की तह भी बहुत नीचे हो गई है। इसलिये कुओं की खुदाई का कार्य भी हाथ में नहीं लिया जा सकता। राजस्व सचिव तथा सहायता आयुक्त इस सम्बन्ध में जनवरी में दिल्ली आये थे। उन्होंने सहायता योजना को मार्च तक बढ़ाने के लिये कहा था परन्तु केन्द्रीय सरकार ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया है।

बाढ़ से भूमि रेतीली हो जाती है जिससे वह उपज के योग्य नहीं रहती। यदि ढेंकानाल जिले में कामीला, ब्रह्मणी और सपुआ नदियों पर बांध बना दिये जायें तो एक लाख एकड़ से अधिक भूमि को रेत से बचाया जा सकता है। जिन योजनाओं की तीसरी पंचवर्षीय योजना में मंजूरी दी गई थी उनको चौथी पंचवर्षीय योजना में पूरा किया जाना चाहिये।

ढेंकानाल और कालाहांडी जिलों में डाकघर खोलने की बहुत आवश्यकता है। मुख्य डाकघर स्तर के डाकघर जो इस समय उड़ीसा सर्किल में चल रहे हैं, किराये के भवनों में हैं। उनके लिये नये भवनों का निर्माण किया जाना चाहिये। ढेंकानाल के जिला मुख्यालय के डाकघर में डाक कार्य करने, पब्लिक काउंटर तथा पब्लिक काल आफिस के लिये स्थान नहीं है। बहुत से अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी ही स्थिति है।

कोयलाखानों तथा अन्य खानों के क्षेत्रों में यद्यपि विकास कार्य तेजी से बढ़ रहा है परन्तु वहां डाकघरों में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है और वे डाक के बढ़ते हुए काम को नहीं सम्भाल पा रहे हैं। गाड़ियों के देर से पहुँचने के कारण कालाहांडी तथा ढेंकानाल जिले में डाक भी विलम्ब से पहुँचती है। इससे सरकार तथा लोगों को बड़ी असुविधा होती है। इस कार्य मोटर गाड़ियों के प्रयोग पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

इस समय कटक में मीडियम वेव का एक ट्रांसमिटर लगा हुआ है परन्तु वह 75 अथवा 100 मील तक ही कठिनता से सुना जा सकता है। इस ट्रांसमिटर के कम शक्ति के होने के कारण सम्बलपुर तथा जीपुर में रिले स्टेशन लगाये गये है। यद्यपि इससे व्यय में वृद्धि हुई है तथापि इससे उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। इसलिये मेरा निवेदन है कि कटक में शार्ट वेव का एक ट्रांसमिटर लगाया जाये ताकि राज्य के सभी लोग इससे लाभ उठा सकें तथा राज्य से बाहर के लोग भी उड़ीसा के संगीत का लाभ उठा सकें। यदि इस ट्रांसमिटर के लगाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बोर्ड से अनुमति लेना कठिन है तो 1000 किलोवाट के मीडियम वेव का ट्रांसमिटर सेट लगाया जाना चाहिये यद्यपि इससे उद्देश्य कुछ हद तक ही हल होगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker I want to move all my cut motions which are 22 in number. The Finance Minister while speaking on the generel budget had stated that we should pay attention to industrialisation also in the same manner as we want to improve agriculture. He further stated that we should pay attention to small scale industries in the same way as we pay attention to the heavy industries. But the question is about giving priorities to things which are more important keeping in view the interests of the nation and how to execute that. He also sought the views of the opposition about it. I want to say something about it. The question of food production is most essential. Unless we do so, we will have to go with a begging bowl to U. S. A. and India will not have self respect and independence till we become self-sufficient in food. At present there is famine conditions in U. P., Bihar and other states. The argument given is that it is due to failure of rains. But the government should take this into consideration that in India we should not depend much on rains. People are supplied pumping sets of a very inferior quality which go wrong very soon. I want to know from the minister whether he can give an assurance to form a policy to stop production of luxury items during the next ten to fifteen years. We have got limited resources and so will he use them for such works as digging of wells.

[श्री प्र० के० देव पीठासीन हुए]
[SHRI P. K. DEO *in the Chair*.]

I have been told that Bihar Government put forward a suggestion to the Central government to declare those areas where even 20% of the crop could not be grown, as famine areas. But it is said that the Central government did not agree to it. The government should not try to conceal its faults. I would therefore request the hon. minister to accept the situation of famine in those areas and arrange for the digging of wells and installing of pumping sets. I suggest that we should stop manufacture of things of luxury such as T. V. Sets and air conditioners and all our resources should be utilised for the manufacture of things necessary for items essential to the people.

Today the Finance Minister spoke about reducing expenditure on administration. We are spending Rs 900 crores on defence. Does the Finance Minister know that this money is being misused ? Today I raised a question regarding defective tyres which will be used in border areas. We should put an end to these things.

In the last Lok Sabha I raised question regarding the affairs of Bird and Co. I have been told that the new government is also reducing the fine imposed on the Company and that the connected officers too are being given promotion.

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई): यदि आप मुझे बतायें तो मैं उन पर विचार करूँगा ।

Shri Madhu Limaye : I therefore want this matter to be investigated and those who are guilty should be punished.

Similarly I raised matters pertaining to the Commerce Ministry. One of them related to sulphur and I was assured that no import of it would be made in private sector. It would be done only though STC. Now I have learnt that an agreement has been reached with an American Company which never dealt with it.

The Finance Minister referred about indirect taxation even in Russia. I would like him to indicate about the difference between the maximum and minimum salaries available in Russia and other East European countries and the Capitalist countries of Western Europe and compare it with conditions in India. He should compare the difference between the salary of a peon and that of the Secretary in India. The disparity in incomes which you find in India is not to be found anywhere in World.

Unless the income received from the rich as a result of removing disparity between the rich and the poor, no progress can be achieved in India.

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियानांर) : सभापति महोदय, यद्यपि हमने खाद्यान्न के उत्पादन में 50% प्रगति की है फिर भी हमारी अन्न की कमी दूर नहीं हो सकी। ऐसे ही यद्यपि हमने पटसन, खांडसारी का उत्पादन बढ़ाया है किन्तु खाद्य में आत्म निर्भर हम अभी नहीं हुए।

इस बारे में मुख्य बात तो खाद तथा पानी के बारे में जागृति पैदा करना है। खाद के बारे में कहा है कि हमें इसके उत्पादन को बढ़ाना चाहिये। ऐसे ही सिंचाई का पानी भी उपलब्ध कराना चाहिये। परन्तु जो पानी मिल रहा है हम उसे भी पूरी तरह काम में नहीं ला पा रहे हैं।

भारत में आज बहुत हद तक मुद्रास्फीति हो रही है। इसे रोकने के लिये हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे।

इन सब बातों की ओर ध्यान रखते हुए हम योजना की ओर आते हैं। वित्तीय अनुशासन न केवल राज्यों के लिये अपितु केन्द्रीय सरकार और उद्योगपतियों के लिये भी आवश्यक है। मैं इस संदर्भ में जापान का उल्लेख कर दूं। जब मित्र राष्ट्र जापान की हार के बाद उस देश में गये तो उन्होंने देखा कि वहाँ कारखाने बहुत अच्छे थे हालांकि जिन भवनों में वह स्थापित थे, वे अच्छे नहीं थे। सरकार को भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहिये तथा कार्यों को समाज सेवकों द्वारा कार्यान्वित कराना चाहिये। इस कार्य के लिये हमें हजारों की संख्या में समाज सेवक भर्ती करने चाहिये।

यह सत्य नहीं है कि भारत में सबसे अधिक कर लगे हुए हैं। इंगलैंड में सम्पत्ति कर इतना है कि वह दो पीढ़ियों में किसी भी जायदाद को समाप्त कर देता है। कर की दर इतनी यहाँ नहीं है। कर की सब से बड़ी कमी यह है कि यहाँ उससे बड़ी आसानी से बचा जा सकता हैं। हमें यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करना चाहिये कि करों के बचने को रोकें।

हम सदन से प्रार्थना करते हैं कि हम सब सहयोग से कार्य करें ताकि यह देश अच्छा देश बन सके।

वर्ष 1966-67 के लिये अनुपूरक अनुदानों (सामान्य आय-व्ययक) की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
31	12	श्रीमती सुशीला गोपालन	राज्यों को अनुदान देने में भेदभाव किया गया।	100 रुपये
31	13	श्रीमती सुशीला गोपालन	केरल के लिये दिये गये चावल में राजसहायता न दिया जाना।	100 रुपये
39	35	श्रीमती सुशीला गोपालन	40 काजू के कारखानों को खुलवाने में असफल रहना	100 रुपये

सभापति महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

श्रीमती सुशीला गोपालन (अम्बलपुजा) : राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को राशि निर्धारित करते समय, सरकार ने विभिन्न राज्यों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। सरकार केवल इतना बताती है कि कितना धन व्यय हुआ । यह नहीं बताती कि कैसे हुआ । क्या सरकार ने इस बात का सर्वेक्षण किया है कि देश में कितनी भूमि बिना जोत के पड़ी है । फिर हम किस प्रकार अपनी खाद्य समस्या को हल करेंगे ? हम दूसरे देशों से तो अन्न मांग रहे हैं परन्तु अपनी भूमि पर पूरी तरह खेती नहीं कर पा रहे हैं। जब तक ऐसी भूमि पर कृषि नहीं की जाती केरल तथा बंगाल जैसे राज्यों की समस्या हल नहीं हो सकेगी ।

केरल तथा बंगाल में खाद्य स्थिति बहुत गंभीर है । केरल एक घाटे का राज्य है । केरल केवल रोकड़ फसल उगाता है तथा भारत सरकार के लिए पांचवां भाग विदेशी मुद्रा का कमा कर देता है । परन्तु फिर भी हमें खाद्यान्न नहीं दिया जाता । जिस चावल के बारे में भारत सरकार ने वचन दिया था वह भी हमें नहीं दिया गया। इसलिए केन्द्र को तुरन्त ऐसे पद उठाने चाहिये कि केरल को खाद्यान्न दिया जाये । अन्यथा वहां किसान रोकड़ फसल उगाने की बजाय खाद्यान्न उगाना आरम्भ कर देंगे ।

मेरे दूसरे कटौती प्रस्ताव का सम्बन्ध सरकार द्वारा केरल में काजू कारखानों को फिर से न खोलने में असफलता से है । वहां 40 काजू के कारखाने बन्द हैं तथा 19,000 कर्मचारी बेरोजगार हैं । सरकार इस विषय पर केवल इस ओर से ध्यान दे रही है कि यह हमें विदेशी मुद्रा देता है । केरल सरकार के पास सीमित साधन होने के कारण इस उद्योग का विकास नहीं कर सकते । इसलिये जब तक केन्द्र इसमें सहायता नहीं करेगा इस उद्योग का विकास नहीं हो सकेगा। यह वांछनीय है कि इस उद्योग के विकास के लिये एक काजू समिति अथवा बोर्ड बनाया जाये ।

मैं आशा करती हूँ कि सरकार इन विषयों पर विचार करेगी और शीघ्र कार्यवाही करेगी।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंडसौर) : सभापति महोदय मैं आपका ध्यान सरकार द्वारा सामाजिक तथा विकास के कार्यों पर व्यय करने के बारे में ध्यान खींचता हूं । वित्त मन्त्री ने कहा है कि अधिक साधन जुटाये जायेंगे परन्तु हमें पता है कि अधिक साधन का अर्थ अधिक करों से है । इससे आर्थिक स्थिति पर दबाव पड़ेगा तथा यहां पहले से ही बहुत कर लगे हुए हैं । यदि ऐसा ही होता रहा तो हमारी अर्थ व्यवस्था पहले से भी अधिक खराब हो जायेगी।

वित्त मन्त्री ने कहा है कि कर लगने से मुद्रा स्फीति नहीं होती परन्तु उत्पादन शुल्क के बारे में उनका क्या विचार है ? उसका प्रभाव तो साधारण जनता पर पड़ता ही है। इसलिए यदि कीमतों को कम करना है तो यह आवश्यक है कि करों को कम किया जाये । इस सरकार के साथ यह मुसीबत है कि यह विकास के खर्च को बढ़ाती जाती है और सोचती है कि कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता ।

मैंने 23 मार्च 1967 के हिन्दुस्तान टाईम्स में पढ़ा कि योजना आयोग के विचार में 260 करोड़ रुपये का व्यय किया जा सकता है । मेरे विचार में योजना आयोग को सुधारा नहीं

जा सकता। वे बहुत ही गैर जिम्मेदार हैं। उन्हें यह पता ही नहीं कि 900 करोड़ रुपया कहाँ से प्राप्त होगा। यही कारण है कि उसकी बदनामी हो रही है। वित्तमन्त्री को चाहिए कि योजना आयोग का सुधार करे अथवा इसे समाप्त करे।

बजट के बारे में मेरा कहना यह है कि राजस्व से हमारे पास 1964-65 में 229 करोड़ रुपया अधिक प्राप्त हुआ तथा 1965-66 में 320 करोड़ रु०, 1966-67 में 174 करोड़ रुपया तथा 1967-68 में 233 करोड़ रुपया अधिक प्राप्त हुआ। परन्तु सरकार अपने साधनों से 70 से लेकर 100 करोड़ रु० तक के अधिक कर लगा देती है। अब आप कह सकते हैं कि पूंजी व्यय में भी खर्च करना पड़ता है। हमें इस बात को समाप्त करना होगा।

आज रुपये का मूल्य लड़ाई से पहले रुपये का केवल 14 पैसे रह गया है। 1939 में चान्दी का रुपया था परन्तु आज निकल का रुपया रह गया है। यदि आपने चौथी योजना को इसी शक्ल में कार्यान्वित किया गया जिसमें यह आज है तो इतनी मुद्रास्फीति होगी कि इस पर नियन्त्रण रखना कठिन हो जायेगा।

आज न केवल हमारे यन्त्र, टैंक तथा वायुयान पुराने ढंग के हैं अपितु हमारे विचार तथा विचार धारा पुराने तरीके के हैं। हमारी सरकार हर कार्य सरकारी क्षेत्र में करना चाहती है। आज तो साम्यवादी देशों में भी लाभ की बात हो रही है। यह तो लोकतन्त्र का मजाक है कि सरकारी क्षेत्र में यदि लाभ न हो तो आप कहते हैं कि यह समाजवाद है।

अब हम ऐसी स्थिति में हैं कि हमें एक कर जांच आयोग नियुक्त करना चाहिये। यह आयोग न केवल प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के बारे में जाँच करे बल्कि सरकार के राजस्व तथा पूंजी के व्यय के बारे में भी जांच करे।

हमें वार्षिकी जमा की योजना को भी समाप्त करना चाहिये क्योंकि वह धन का दुरुपयोग है।

सभापति महोदय : वर्ष 1966-67 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों के लिये निम्न कटौती प्रस्ताव सदस्यों से प्राप्त हुए हैं। इन्हें प्रस्तुत हुआ समझा जायगा।

वर्ष 1966-67 के लिये अनुपूरक अनुदानों (सामान्य-आयव्ययक) की मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	1	श्री उमानाथ	अवमूल्यन के पश्चात् निर्यात में वृद्धि न करना।	100 रुपये
5	2	श्री उमानाथ	उच्च सैनिक अधिकारियों और विदेशी दूतावासों के अधिकारियों अथवा राजदूतों के बीच अवांछनीय सम्बन्ध।	100 रुपये

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
5	3	श्री नम्बियार	त्रिचनापल्लि में नवस्थापित आयुध कारखाने में शस्त्र उत्पादन में पूर्ण अकुशलता और प्रशासन द्वारा कुप्रबन्ध के कारण होने वाली भारी हानि।	100 रुपये
[illegible]	5	श्री उमानाथ	भारत-अमरीकी प्रतिष्ठान के सुझाव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार न करना।	100 रुपये
16	6	श्री नम्बियार	नई दिल्ली में अक्तूबर, 1966 में हुए त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन के सम्बन्ध में वातानुकूलन सुविधायें उपलब्ध करने पर हुआ 11·9 लाख रुपये का अपव्यय।	100 रुपये
18	7	श्री उमानाथ	जीवन बीमा निगम में इलेक्ट्रानिक कमप्यूटर लगाने की योजना को समाप्त न करना।	100 रुपये
23	8	श्री उमानाथ	आल-इंडिया आडिट एंड एकाऊंट्स एसोसियेशन को पुनः पूर्ण रूप से मान्यता न देना।	100 रुपये
24	9	श्री नम्बियार	नोट छापने के लिये निर्यात किये गये मुद्रा नोट कागज का भारी मूल्य।	100 रुपये
27	10	श्री नम्बियार	अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई भारी वृद्धि के कारण पेंशन पाने वालों को दिया जाने वाला मंहगाई भत्ता बढ़ाने की आवश्यकता।	100 रुपये
30	11	श्री नम्बियार	अमरीका सरकार के भारत-अमरीकी तकनीकी सहयोग कार्यक्रम की शर्तों का दुरुपयोग और इसके परिणाम स्वरूप उस समय पी०	

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
			एल० 665 और अब पी० एल० 480 के अन्तर्गत तकनीकी सहायता देने के रूप में सी० आई०ए० की गतिविधियों में वृद्धि।	100 रुपये
31	14	श्री नम्बियार	देश में तथा विदेश से बिना सोचे-समझे अपव्यय के लिये ऋण लेना जिसके कारण भारी ब्याज देना पड़ रहा है, खजाने के बिल तेजी से बढ़ रहे हैं तथा मूल्य और अधिक बढ़ रहे हैं।	100 रुपये
40	16	श्री नम्बियार	भूतपूर्व हैदराबाद राज्य द्वारा 1952-53 में गेहूँ कम मूल्य पर बेचने से हुई हानि की कटौती करने में हुए अत्यधिक बिलम्ब की जांच करने की आवश्यकता।	100 रुपये
44	17	श्री नम्बियार	केन्द्रीय गुप्तचर विभाग तथा गुप्तचर सेवा पर जो राजनैतिक विरोधियों की गतिविधियों की जासूसी करती है और अन्य देशों में इस किस्म की सेवाओं से सम्पर्क स्थापित करती है, के व्यय में वृद्धि।	100 रुपये
45	18	श्री नम्बियार	निर्वाचन के प्रयोजनों के लिये मंत्रियों के दौरों पर किया गया व्यय जो परोक्ष रूप में सरकारी काम के लिये दिखाया गया है।	100 रुपये
48	19	श्री नम्बियार	पुलिस के काम करने तथा रहने की दशा तथा आयोग को सौंपे गये विषय के निर्देशपदों में सुधार।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
50	21	श्री नम्बियार	दिल्ली में एक कमप्यूटर केन्द्र स्थापित करने के खतरनाक परिणाम और अधिक कम्प्यूटर लगाने को रोकना।	100 रुपये
50	22	श्री उमानाथ	औद्योगिक तथा नीलाम सम्बन्धी विवादों में हस्तक्षेप के सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस का आचरण।	100 रुपये
50	23	श्री नम्बियार	अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य कम करने में सुपर बाजार की अप्रभाविकता और उस पर होने वाला अपव्यय।	100 रुपये
52–क	24	श्री नम्बियार	चण्डीगढ़ को संघ राज्यक्षेत्र रखने के फलस्वरूप उस पर होने वाला अन्धाधुन्ध व्यय।	100 रुपये
53	25	श्री नम्बियार	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और कार्मिक वर्ग के अन्य भागों में बराबर बनी हुई असुरक्षा की स्थिति।	100 रुपये
58	26	श्री उमानाथ	कपड़े की बन्द मिलों को हाथ में न लेना।	100 रुपये
58	27	श्री उमानाथ	कपड़े की मिलों को सप्ताह में एक और दिन बन्द रखने के लिये बाध्य करने वाले आदेश का प्रतिसंहरण न करना।	100 रुपये
58	28	श्री उमानाथ	भारती मिल्स, पांडीचेरी में सभी कर्मचारियों को पिछली सेवा शर्तों पर पुनः भर्ती न करना।	100 रुपये
70	30	श्री उमानाथ	बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों के लिये सांवि-	

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
			धिक मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति में हुआ अत्याधिक विलम्ब ।	100 रुपये
70	31	श्री उमानाथ	विदेशी तेल कम्पनियों में नौकरी की सुरक्षा सम्बन्धी त्रिपक्षीय बैठक का, जिसका बचन दिया गया था, आयोजन न करना ।	100 रुपये
	37	श्री मधुलिमये (मुंगेर)	राज्य व्यापार निगम द्वारा अमेरिका की महिलाओं के जूते आयात करने वाली एक फर्म के साथ बड़ी मात्रा में गन्धक के संभरण हेतु किये गये एक ऐसे अनुत्तरदायित्वपूर्ण समझौते के बारे में, जो पूरा नहीं किया जा सका तथा जिसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की हानि हुई और आवश्यक उद्योगों को गन्धक भेजने में विलम्ब हुआ, जांच करने में असफलता :	100 रुपये
	38	श्री मधुलिमये	बम्बई टैक्सटाइल मिल्ज़ के लाइसेंसों को दिवालिया हो रही 'धनाज मिल्ज' को हस्तान्तरित करने की अनुमति देने के लिये टैक्सटाइल आयोग तथा आयात और निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता तथा लाइसेंस प्राप्त मिलों से उचित अधिकार के बिना इन लाइसेंसों में नाइलोन रेशे	

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
			का तागा शामिल करने के लिए इनका अवैध संशोधन।	100 रुपये
5	39	श्री मधुलिमये	सशस्त्र बलों के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा खराब टायरों की खरीद को रोकने में असफलता तथा सैनिक मुख्यालय के निदेशों के विरुद्ध इनका बड़ी मात्रा में मोर्चे के क्षेत्रों में भेजा जाना।	100 रुपये
5	40	श्री मधुलिमये	जनता के सामने (नेफा) आक्रमण की भगदड़ पर जनरल हैण्डर्सन की रिपोर्ट तथा 1962 में भारत की पराजय के कारण बनने वाले विभिन्न तथ्यों का उचित मूल्यांकन करने के लिये अन्य आवश्यक संगत दस्तावेजों को रखने में असफलता।	100 रुपये
9	42	श्री मधुलिमये	संविधान लागू होने के 17 वर्ष बाद भी देश भर में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा के उद्देश्य को क्रियान्वित करने में असफलता।	100 रुपये
9	43	श्री मधुलिमये	खर्चीले एकमात्र अँग्रेजी माध्यम वाले तथा दूसरे माध्यम वाले 'पब्लिक स्कूलों' को जो वर्गभेद तथा कपट को बढ़ाते हैं समाप्त करने तथा समाप्त करने के लिये राज्य सरकारों को मनाने में असफलता।	100 रुपये
9	44	श्री मधुलिमये • •	पुराने मन्दिरों तथा दूसरे पुरातत्वीय महत्व के स्थानों के संरक्षण करने तथा [नक्काशियों और मूर्तिकला	

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
			की वस्तुओं की चोरी को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
9	45	श्री मधुलिमये	प्रारम्भिक अध्यापकों के लिये समुचित वेतन सुनिश्चित करने तथा प्रारम्भिक अध्यापकों एवं विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों और शिक्षा के क्षेत्र में दूसरे उच्चस्थ लोगों के बीच वेतन दरों एवं सुविधाओं में वर्तमान अन्तर को कम करने में असफलता ।	100 रुपये
18	46	श्री मधुलिमये	उन अधिकारियों के सेवाकाल में जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं तथा जिनका आचरण संदेहातीत नहीं रहा है वृद्धि देने की पद्धति को समाप्त न करना ।	100 रुपये
18	47	श्री मधुलिमये	काला धन पता लगाने का काम जोर शोर से न चलाना तथा वित्त मंत्रालय की जाँच-पड़ताल एजेंसियों में भ्रष्टाचार को समाप्त न करना ।	100 रुपये
18	48	श्री मधुलिमये	पूर्ण प्रतितुलन के आधार पर मँहगाई भत्ते को निर्वाह-खर्च सूचकांक से सम्बद्ध न करना ।	100 रुपये
34	52	श्री मधुलिमये	सामुदायिक विकास खण्डों को समाप्त करने के लिये या कम से कम अत्यधिक प्रशासनिक व्यय घटाने के लिये राज्य सरकारों को न मना सकना ।	100 रुपये

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
34	53	श्री मधुलिमये	बिहार, उत्तर प्रदेश, तथा अन्य क्षेत्रों को कूप, नलकूप, आदि खोदने के लिये आवश्यक छिद्रण उपकरण न देना।	100 रुपये
34	54	श्री मधुलिमये	किसानों को वर्षा पर से उनकी निर्भरता घटाने के लिये, उन्हें बड़े पैमाने पर सस्ते पम्पिंग सेट उपलब्ध न करना।	100 रुपये
44	56	श्री मधुलिमये	संघ राज्य-क्षेत्रों में हरिजनों तथा आदिवासियों को घरों के लिये प्लाट न देना और राज्य सरकारों को ऐसा करने के लिये न मनाना।	100 रुपये
44	57	श्री मधुलिमये	दिल्ली में 7 नवम्बर, 1966 को कांग्रेस प्रधान की हत्या के षड़यंत्र के आरोपों की जांच न करना।	100 रुपये
44	58	श्री मधुलिमये	दिल्ली में 7 नवम्बर, 1966 को हुए प्रदर्शन और हिंसा की घटनाओं पर सरकारी जांच एजेंसियों की रिपोर्ट प्रकाशित न करना।	100 रुपये
44	59	श्री मधुलिमये	'Isaih बैंन' मामले में पूर्व पश्चिम बंगाल मंत्रियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने में सहायता न देना।	100 रुपये
70	64	श्री मधुलिमये	'टाइम्स आफ इंडिया' विवाद में हस्तक्षेप न करना तथा तालाबंदी को समाप्त करने के लिये तथा समझौता कराने के लिये दखल न देना।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
86	67	श्री मधुलिमये	1961-62 में बर्मा से चावल आयात करने के सम्बन्ध में 'आपीजे शिपिंग लाइन्स" के विरुद्ध राष्ट्र को धोखा देने के प्रयास के लिये कार्यवाही न करना।	100 रुपये
92	68	श्री मधुलिमये	"ए० आई० आई० आई०" के प्रशासन को दोष-रहित न करना तथा विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के मामलों में सख्ती से काम न लेना।	100 रुपये
92	69	श्री मधुलिमये	कोचीन में अवतरण पथ को मजबूत न बनाना तथा उसे न बढ़ाना जिससे 'वाईकाउंट' हवाई जहाज वहाँ उतर सकें।	100 रुपये

सभापति महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मांग संख्या 5 में बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता देने के लिये अतिरिक्त धनराशि मांगी गई है। जब देशभर में सरकारी कर्मचारियों में असंतोष था और उन्होंने आन्दोलन की धमकी दी थी तब सरकार ने श्री गजेन्द्र गडकर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की थी। उस आयोग ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दी थी। हमने आयोग के समक्ष साक्ष्य देते हुए कहा था कि आयोग को मंहगाई भत्ता 185 प्वांइट पर देना चाहिये लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया।

आज मूल्य सूचकांक 185 तक पहुँच गया है और इससे कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता के रूप में मँहगाई भत्ते में वृद्धि करने का औचित्य है। इसमें 11 प्वांइट से अधिक की वृद्धि हुई है। सरकार यह कह सकती है कि इस तरह इसका तो कोई अंत ही नहीं है। यह ठीक है लेकिन सरकार स्वतंत्रता प्राप्ति के 20 वर्ष बाद भी मूल्य-सीमा निर्धारित करने में और अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से रोकने में असमर्थ रही है और इसलिये केन्द्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी अपना गुजारा करने के लिये अतिरिक्त मंहगाई भत्ता मांगेंगे। अतः मैं यह महसूस करता हूँ कि मंहगाई भत्ते में तुरन्त वृद्धि कर दी जाये ताकि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों में कोई असंतोष न फैले।

स्वर्ण नियंत्रण आदेश के फलस्वरूप जिन स्वर्णकारों को प्रतिरक्षा संस्थानों में रोजगार दिया गया था, उनकी छंटनी न की जाये।

मैं राशन-व्यवस्था, कन्ट्रोल आदि के पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या मूल्यों पर कन्ट्रोल होगा। इस बारे में निर्णय करने से पूर्व सरकार को अच्छी तरह सोच-विचार करना चाहिये और सभी संसद सदस्यों का सर्वसम्मत राय लेनी चाहिये क्योंकि मैं जानता हूं कि बड़े-बड़े एकाधिकारियों से दबाव पड़ रहा है कि अनाज समेत हर चीज पर से कन्ट्रोल समाप्त कर दिया जाये।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ भूतपूर्व शाषकों ने सरकार को यह लिखा है कि वे निजी थैलियाँ और विशेषाधिकार नहीं चाहते ? जयपुर के राजपरिवार को इतनी अधिक सुविधायें और विशेषाधिकार दिये जा रहे हैं जो हम इस गरीब और बेरोजगार देश में बर्दाश्त नहीं कर सकते।

जुलाई 1966 में उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मन्त्री को राज्य के कर्मचारियों को बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता देने के लिए केन्द्र ने 3½ करोड़ रुपया देने का आश्वासन दिया था। अब सरकार इस बात से इन्कार कर रही है। उन बेचारे सरकारी कर्मचारियों का क्या होगा जिन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि उनका मंहगाई भत्ता केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के बराबर होगा।

पेंशन की राशि में वृद्धि की जाये और उन पेंशनभोगी व्यक्तियों को, जिनकी पेंशन की राशि 300 या 350 रुपये तक है, मंहगाई भत्ता दिया जाये।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : We should try to improve the conditions of the masses in Bihar and Kerala and bring socialism. The country today is depending on the United States in the matter of food.

So far as irrigation is concerned, it is said that there was drought but how many tube-wells were set up for the purpose. In the budget presented before the house, no attempt has been made to remove unemployment. There is no provision for the minor irrigation. We bear in mind the repercussions of the budget on the country as a whole. The opposition should be united and they should consider the matter after taking all opposition members into confidence.

The country is on the verge of disaster. The official and the opposition parties should work in unison to save the country. Let us not forget if our country is ridden with hunger, no power on earth can save our democracy.

राज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृ. चं. पन्त): माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं, मैंने उनसे कुछ सीखने का प्रयत्न किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे जो थोड़ा सा समय मिला है, उसमें मैं सब बातों का विस्तृत उत्तर नहीं दे पाऊँगा।

सर्व प्रथम मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यद्यपि विनियोग विधेयक में लगभग 1592 करोड़ रुपये की व्यवस्था है, वास्तव में कुल आवश्यकता राजकोष पत्रों (ट्रेजरी बिल्स) के अतिरिक्त केवल 451.5 करोड़ की है। राजस्व खाते में 451.5 करोड़ रुपए, पूंजीगत व्यय के लिये 60.98 करोड़ रुपए, ऋण और अग्रिम राशियों के लिये 188.5 करोड़ रुपये तथा ऋण की अदायगी के लिये 1178.87 करोड़ रुपए चाहियें। इसमें से 1178.87 करोड़ रुपया राजकोष पत्रों की नाममात्र की अदायगी के लिये चाहिये, जो इन पत्रों में पुनर्विनियोजन होने पर प्राप्त हो जायेगा। इस प्रकार ऋणों की अदायगी के लिये केवल 37.5 करोड़ रुपए की

आवश्यकता रह जाती है। प्राप्ति वसूली आदि से 67.7 करोड़ रुपए प्राप्त हो जायेंगे। इसलिए व्यय 383.8 करोड़ रुपए ही रह जाता है जो इस प्रकार होगा, राज्यों को हस्तांतरित की गई राशि 177 करोड़ रुपए, ऋण अदायगी शुल्क पर ब्याज 41 करोड़ रुपये, भारतीय वित्त निगम तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हस्तांतरण 47 करोड़ रुपए, प्रतिरक्षा 34 करोड़ रुपए तथा विविध व्यय 84 करोड़ रुपये।

श्री देव के कटौती प्रस्ताव संख्या 15 के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि उनका डर निराधार है कि केन्द्र द्वारा सहायता के बारे में निर्णय, राज्य सरकार में किस दल की सरकार है, पर निर्भर करेगा। सूखे सम्बधी सहायता कार्य मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, फिर भी चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 9 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं। एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि लगभग सारा खर्च केन्द्रीय सहायता में से ही हुआ है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा सरकार को ऐसे क्षेत्रों में, जहां उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, उत्पादन बढ़ाने के लिये कृषि कार्यक्रम को फैलाने के लिये 85 लाख रुपए दिये गये हैं। सभापति महोदय, मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव पर जोर नहीं देंगे। इसके बाद उन्होंने उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के साथ-साथ बाढ़ से रक्षा के लिये बांध की आवश्यकता सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव संख्या 29 का उल्लेख किया था। उड़ीसा बाढ़ जांच समिति ने 1962 में दिये गये प्रतिवेदन में ब्राह्मणी नदी की समस्या पर विचार किया था और नए बाँध बनाने, तथा वर्तमान बांधों को मजबूत करने आदि की सिफारिश की थी। राज्य सरकार यह सब कर रही है, जो बाढ़ नियंत्रण योजनाओं बनाने तथा क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। मैं समझता हूं कि इस कटौती प्रस्ताव पर भी जोर देने की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा था कि शार्ट वेव के लिए विभिन्न देशों को नियतन करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी होने के कारण कोई कठिनाई हो, तो कटक में एक मीडियम वेव ट्रांसमिटर तो लगा देना चाहिए। मुझे माननीय सदस्य को यह बताते हुए प्रसन्नता होती है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में प्रसारण सुविधाओं की बढ़ाने की व्यवस्था करने का विचार है और किसी उपयुक्त स्थान पर 100 किलोवाट का मीडियम वेव ट्रांसमिटर लगाने की व्यवस्था भी की गई है। इसके लिए योजना में 57.5 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त कटक में स्थायी स्टूडियो और कार्यालय आवास तथा भुवनेश्वर में सहायक स्टूडियो के लिए 47 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। सम्बलपुर और जैपुर में सहायक ट्राँसमिटिंग केन्द्रों को आंशिक कार्यक्रम प्रारम्भिक केन्द्र (पार्शियल प्रोग्राम ओरिजिनेटिंग सेन्टर्स) बनाने के लिए 8 लाख रुपए नियत किये गए हैं। तथापि मैं यह स्पष्ट कर दूं कि पाकिस्तान और चीन के शत्रुतापूर्ण रवैये को देखते हुए सीमाक्षेत्रों में ट्रांसमिटर लगाने को प्राथमिकता दी जायेगी। इसलिए कटक में 1970-71 से पहले मीडियम वेव ट्रांसमिटर नहीं लगाया जा सकेगा।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

श्री मधु लिमये ने बिहार में अधिक सिंचाई सुविधाओं की बात कही थी। बिहार को 100 से अधिक 'रिग' भेजे जा चुके हैं और केन्द्र तथा राज्य सरकार में निरन्तर सम्पर्क बना रहा है और राज्य सरकार पूरी तरह संतुष्ट है। उत्तर प्रदेश की आवश्यकता का भी अनुमान लगाया गया है और राज्य सरकार से बातचीत की जा रही है।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : जब कोई माननीय सदस्य कुछ बातें उठाते हैं, तो यह सामान्य शिष्टाचार है कि उन बातों के उत्तर के समय वे उपस्थित रहें।

अध्यक्ष महोदय : सभा में क्या हुआ, यह कुछ माननीय सदस्य उन्हें बता देंगे।

श्री आनन्द नम्बियार : विरोधी दलों के सभी नेता प्रधान मन्त्री के साथ एक बैठक में भाग लेने के लिए गये हुए हैं।

श्री मधुलिमये ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये पम्पिग सैट आदि को प्राथमिकता देने के लिये कहा है। मैं इससे सहमत हूँ। प्रतिरक्षा सम्बन्धी व्यय की जांच का मामला केवल वित्त मंत्रालय से ही सम्बन्धित नहीं अपितु प्रतिरक्षा मंत्रालय, प्रधान मंत्री और वस्तुतः सारी सरकार से सम्बन्धित है। इसलिये जहां कहीं संभव हो बचत की बात सोची जा सकती है, परन्तु इस समय अधिक कुछ नहीं कह सकता। श्री मधुलिमये ने कुछ अधिकारियों के नाम लिये। उन्हें इस सभा की रूढ़ि का पालन करना चाहिये कि यहां पर अधिकारियों का नाम लेकर उल्लेख नहीं करना चाहिये।

श्री लिमये ने महिलाओं के जूते बनाने वाली एक अमरीकी फर्म द्वारा गंधक के आयात सम्बन्धी अपने कटौती प्रस्ताव के बारे में कहा कि इससे विदेशी मुद्रा की हानि हुई है। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि न तो विदेशी मुद्रा की हानि हुई है और ना ही राज्य व्यापार निगम को कोई हानि हुई है।

Shri K. N. Tiwary (Bettiah) : You have not referred to the famine in Bihar. How much money you are giving to Bihar, what are you doing for relief measures ?

Shrimati Tarkeshwari Sinha : It is a very important question. Bihar requested for Rs. 6 crores. People have no food to eat. You can not imagine the serious situation that may develop there within a fortnight.

श्री कृ० चं० पन्त : मैं यदि इस सवाल के बारे में ब्यौरे में जाऊंगा, तो मुश्किल पड़ेगी। यदि समय रहा तो अवश्य बताऊँगा।

श्रीमती सुशीला गोपालन ने अधिक भूमि में खेती करने की बात कही। इससे कोई इन्कार नहीं करता लेकिन मैं उन्हें यह याद दिला दूं कि भारत में कुल क्षेत्रफल की 41 प्रतिशत भूमि में पहले से ही खेती हो रही है, जो शायद इटली के अतिरिक्त विश्व में सबसे अधिक है। यह सन्तुलित कृषि अर्थ-व्यवस्था में अपेक्षित प्रतिशतता से 8 प्रतिशत अधिक है। घनी आबादी वाले राज्यों में, जहां अनाज की कमी है, खेती योग्य सभी भूमि में खेती होनी चाहिये। उन्होंने शिकायत की कि केन्द्र केरल को चावल की सप्लाई के बारे में अपना वचन नहीं निभा रहा है। देश में खाद्य स्थिति, विदेशी बाजारों में चावल के सीमित मात्रा के मिलने, देश में सूखे की स्थिति, आयात आदि को ध्यान में रखते हुए मैं कह सकता हूँ कि चावल के वितरण में केन्द्र निष्पक्ष रहा है। हमने केरल की कठिनाइयों को समझा है और केन्द्र ने यथासंभव सहायता दी है।

श्री आनन्द नम्बियार : वह पर्याप्त नहीं है। राशन में देने के लिये अनाज नहीं है। वास्तव में लोग भूखे मरने लगेंगे। तुरन्त कुछ सहायता भेजनी चाहिये।

श्री कृ० चं० पन्त : देश के चावल बजट को देखते हुए क्या वे बता सकते हैं कि किस राज्य से वहाँ पर चावल भेजा जाये ? हम बिहार अथवा केरल, किसी से भी उदासीन नहीं हैं। लेकिन इस मामले में केन्द्र की भी कठिनाईयाँ हैं। काजू उद्योग के बारे में मेरे पास विस्तृत जानकारी नहीं है। श्री कोठारी ने आर्थिक नीतियों का व्यापक सर्वेक्षण किया। इस समय मैं इतना ही कह सकता हूँ कि घाटे की अर्थ व्यवस्था के बारे में उनके विचारों से वित्त मंत्री द्वारा पहले कही गई बातों की प्रतिध्वनि ही होती है। इस बात पर विचार विनिमय के लिये हमें अगले पांच वर्षों में काफी अवसर मिलेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी ने कहा कि मँहगाई भत्ता बढ़ाया जाना चाहिये क्योंकि मूल्य सूचकांक बढ़कर 185 हो गया है। गजेन्द्र गडकर आयोग मँहगाई भत्ते के व्यापक प्रश्न पर विचार कर रहा है। यह एक उच्च-शक्ति प्राप्त आयोग है। इसकी सिफारिशें मई में, अर्थात् पांच सप्ताह बाद, हमें मिल जायेंगी। हमें उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी : आयोग के विचारार्थ विषय में मूल्य सूचकांक के 165 होने का उल्लेख है। आयोग मूल्य सूचकांक 185 होने के बारे में विचार नहीं करेगा। मैं सन्तुष्ट हो जाऊँगा यदि आप गजेन्द्रगडकर आयोग से मूल्य सूचकांक के 185 होने पर विचार करने के लिये कहें।

श्री कृ० चं० पन्त : माननीय सदस्य को मालूम है कि सूचकांक के 175 होने का प्रश्न गजेन्द्रगडकर आयोग के विचारार्थ विषयों में नहीं था। लेकिन आयोग जब इस पर विचार कर रहा था, तो यह 175 से अधिक हो गया। उनसे विचार करने के लिये कहा गया और उन्होंने इस पर विचार करके सिफारिश की।

उन्होंने केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को 3½ करोड़ रुपये के वचन की बात कही। मैं सरकार की स्थिति पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि राज्य सरकारें जो भी वचन पूरे कर सकती हैं, वे अपने कर्मचारियों को वे वचन देने के लिये पूर्णतः स्वतन्त्र हैं। पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों के लिये 1958 और 1963 में हम कुछ कर चुके हैं। हम यह समझते हैं कि उन्हें कीमतें बढ़ने से परेशानी हुई है परन्तु हमारे साधन सीमित हैं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

All the cut motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1966-67 के लिए सामान्य आय-व्ययक के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :

The following Demands for Supplementary Grants in respect of Budget (General) for 1966 67 were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	वाणिज्य मन्त्रालय	4,50,000
5	रक्षा सेवाएँ, सक्रिय—स्थल सेना	23,23,64,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
6	रक्षा सेवाएँ, सक्रिय—नौसेना	3,97,61,000
7	रक्षा सेवाएँ, सक्रिय—वायुसेना	6,42,85,000
8	रक्षा सेवाएँ-निष्क्रिय	57,40,000
9	शिक्षा मन्त्रालय	4,49,000
13	वनस्पति सर्वेक्षण	1,48,000
15	शिक्षा मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	35,95,000
16	वैदेशिक-कार्य	75,00,000
18	वित्त मन्त्रालय	12,39,000
19	सीमा-शुल्क	12,50,000
20	केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क	57,90,000
21	निगम कर आदि सहित आयकर	79,15,000
22	स्टाम्प	32,52,000
23	लेखा परीक्षा	90,00,000
24	मुद्रा और सिक्का ढलाई	2,78,20,000
25	टकसाल	24,74,000
26	कोलार की सोने की खानें	15,77,000
27	पेंशनें और सेवानिवृत्ति सम्बन्धी अन्य लाभ	29,61,000
29	अफीम	11,45,000
30	वित्त मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,000
31	राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायक अनुदान	16,50,00,000
34	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय	12,34,000
35	कृषि	4,00,00,000
36	कृषि सम्बन्धी गवेषणा	1,000
37	पशु पालन	2,000
39	वन	1,000
40	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	40,01,000
41	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय	2,25,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
44	गृह-मन्त्रालय	68,41,000
45	मन्त्रि मण्डल	2,20,000
46	क्षेत्रीय परिषदें	11,000
47	न्याय-प्रशासन	13,000
48	पुलिस	1,86,85,000
50	अंक संकलन	7,35,000
51	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते	17,000
52	दिल्ली	2,72,01,000
52क	चण्डीगढ़	7,94,000
53	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	51,89,000
54	आदिम जाति क्षेत्र	2,33,91,000
55	दादरा और नगरहवेली क्षेत्र	4,84,000
57	गृह-मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,000
58	उद्योग मन्त्रालय	3,55,000
61	उद्योग मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	3,83,000
62	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय	1,87,000
63	प्रसारण	1,20,67,000
67	सिंचाई और बिजली मन्त्रालय	4,72,000
68	बहुप्रयोजनी नदी योजनाएँ	26,32,000
69	सिंचाई और बिजली मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,41,78,000
70	श्रम, नियोजन और पुनर्वास मन्त्रालय	6,25,000
73	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	98,55,000
75	विधि मन्त्रालय	59,000
77	विधि मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,44,000
78	खान और धातु मन्त्रालय	1,69,000
80	खान और धातु मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	2,88,00,000
81	पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय	3,09,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
83	सम्भरण और तकनीकी विकास मन्त्रालय	2,19,000
84	सम्भरण और निपटान	19,36,000
85	सम्भरण और तकनीकी विकास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	3,90,000
86	परिवहन और उड्डयन मंत्रालय	2,25,000
87	ऋतु विज्ञान	16,90,000
92	उडडयन	2,12,04,000
93	परिवहन और उड्डयन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,78,89 000
94	निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय	1,94,000
95	लोक निर्माण कार्य	9,00,41,000
102	डाक और तार-कार्य चालन व्यय	6,39,35,000
105	संसद विषयक विभाग	1,44,000
113	वाणिज्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	1,95,92,000
116	इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस पर पूंजी परिव्यय	13,21,000
120	पेंशनों का राशिकृत मूल्य	64,31,000
121	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	25,50,00,000
122	विकास के लिये राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों की सरकारों को दिये जाने वाले अनुदानों पर पूंजी परिव्यय	8,93,46,000
123	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	40,50,00,000
128	गृह मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	1,72,04,000
129	उद्योग मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	1,000
130	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	36,65,000
132	बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	3,60,98,000
136	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	5,86,44,000
140	परिवहन और उड्डयन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	5,60,000
145	डाक और तार पर पूंजी परिव्यय, राजस्व से नहीं	11,82,00,000

विनियोग विधेयक-1966-67
APPROPRIATION BILL 1966-67

वित्त मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री कृ० चं० पन्त) : मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से प्रस्ताव करता हूँ कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1966-67 की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1966-67 की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री कृ० चं० पन्त : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1966-67 की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1966-67 की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

CLAUSES 1 to 3 THE SCHEDULE, THE ENACTING FORMULA AND TITLE WERE ADDED TO THE BILL

श्री कृ० च० पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

*लैफ्टिनेन्ट जनरल कौल की 'दी अन्टोल्ड स्टोरी' नामक पुस्तक के बारे में

Re : 'THE UNTOLD STORY' BY. LT. GEN. KAUL

अध्यक्ष महोदय : अब हम आधे घन्टे की चर्चा आरम्भ करेंगे।

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड़) : यह लेफ्टिनेन्ट जनरल कौल द्वारा लिखित —500 पृष्ठों की–'दी अन्टोल्ड स्टोरी' नामक पुस्तक है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास बहुत से नाम हैं। यदि सब ही बोलना चाहें, तो यह असंभव होगा। मैं समझता हूँ कि सदस्य 15 मिनट लें और मन्त्री महोदय उत्तर के लिए 10 अथवा 15 मिनट लें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : ऐसे मामलों में यह प्रथा रही है कि नाम भेजने वाले प्रत्येक सदस्य को एक प्रश्न पूछने दिया जाता है और भाषण नहीं करने दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सहमत हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि इससे मन्त्री महोदय का समय कम हो जायेगा।

श्री अ० क० गोपालन : मैं प्रतिरक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि अनकही कहानी बता दी जाये और इसके बाद यह एक अनकही कहानी नहीं रहे। जनरल कौल की 'दी अन्टोल्ड स्टोरी' नामक पुस्तक से सारे देश में विवाद की लहर दौड़ गई है क्योंकि इसका सेना के काम करने से और प्रतिरक्षा की हमारी तैयारी से भी सीधा सम्बन्ध है। पुस्तक में भूतपूर्व तथा वर्तमान, दोनों ही श्रेणियों के मंत्रिमंडल के मंत्रियों के विरुद्ध बहुत गंभीर आरोप लगाये गये हैं।

चूंकि यह भारतीय सेना के एक उच्चतम सैनिक अधिकारी द्वारा लिखी गई है, जो 1962 में नेफा में सैनिक कार्यवाही का कमान्डर था और जो, भूतपूर्व प्रधान मंत्री नेहरू के शब्दों में "सेना में हमारे देदीप्यमान और सर्वोत्तम अधिकारियों में से एक" था, यह अत्यन्त आश्चर्यजनक है कि इस विवरण को सरकार की ओर से अब तक कोई चुनौती नहीं दी गई। इस पुस्तक के चार संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं और यह इस देश में तथा विदेशों में भी बहुत अधिक पढ़ी गई है। हमारी प्रतिरक्षा सम्बन्धी तैयारी, हमारे सैनिक अधिकारियों के विरुद्ध इस पुस्तक में अत्यन्त गंभीर आरोप लगाये गये हैं। इसके अतिरिक्त अनेक अन्य विवादास्पद बातें उठाई गई हैं, जिनका मैं इस समय उल्लेख करूँगा। लेकिन अभी तक इनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। यह और भी आश्चर्यजनक बात है कि सरकार जान बूझकर चुप्पी साधे हुए विशेष रूप से जबकि श्री कौल जनता को यह दिखा रहे हैं कि वे ये तथ्य स्वर्गीय पंडित नेहरू की सलाह के अनुसरण में प्रकाशित कर रहे हैं। उन्होंने उल्लेख किया है कि पंडित नेहरू ने 20 सितम्बर, 1963 को उन्हें लिखा:

* आधे घंटे की चर्चा

* Half-on-hour Discussion

"जब उपयुक्त समय आये, तो आप कुछ तथ्यों को प्रकट कर सकते हैं, जो आप आवश्यक समझें; मैं यह समझता हूँ कि वर्तमान वातावरण में आपका ऐसा कोई वक्तव्य अधिक सहायक नहीं होगा।"

प्रधान मंत्री नेहरू ने उन्हें जो लिखा, उससे संकेत लेते हुए जनरल कौल ने अपनी पुस्तक प्रयोजन बताते हुए लिखा है :

"कुछ अप्रिय तथ्यों पर पर्दा डाले रखने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा है कि सच को भविष्य में प्रकट कर दिया जाये ताकि हम अपनी गलतियों से सबक ले सकें।"

यह एक अत्यन्त गंभीर बात है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अवश्य कहना चाहता हूँ कि वे कहते हैं कि कुछ अप्रिय तथ्य हैं और सरकार को शिक्षा लेनी चाहिए, और, इसलिए सच बता देना अच्छा है और, इसलिए सेना के जनरल के रूप में वे सचाई बता रहे हैं और जनता के सामने रख रहे हैं।

अब मैं पुस्तक की मुख्य बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पुस्तक में पहली बात यह प्रकट की गई है कि श्री कौल अपने सेवा काल में विदेशी सरकारों के प्रतिनिधियों से सीधी मुलाकातों और नियमित निजी-पत्रव्यवहार के द्वारा निकट सम्पर्क बनाये हुए थे और भारत में सैनिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा कर रहे थे।

1959 में भारत में भूतपूर्व अमरीकी राजदूत श्री ऐलसवर्थ बन्कर ने एक ऐसी मुलाकात का उल्लेख करते हुए श्री कौल को लिखा :

उस रात्रि को हमारी बातचीत में जो सहानुभूति और विचार-एकता की भावना, जैसा मैं अनुभव करता हूँ, विकसित हो गई है, वह पहली मुलाकात में प्रायः नहीं होती है।"

हमें नहीं मालूम "वह रात्रि" कौन सी है। उस रात बहुत-सी बातें हुई होंगी और वे कहते हैं कि जहां तक उनका और जनरल कौल का सम्बन्ध है उस रात विचारों की एकता हुई और इसलिए वे कहते हैं कि उन्हें वह दिन बहुत अच्छी तरह याद है क्योंकि सहानुभूति और विचारों की एकता की भावना उत्पन्न हुई थी। क्या यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने सरकार से छिपकर एक आपसी समझौते तक हमारे देश की गंभीर सैनिक और राजनीतिक समस्याओं पर विचार-विनिमय किया होगा ? यदि एक सैनिक अधिकारी कहता, तो मैं समझ सकता हूँ लेकिन एक राजनयिक ने उन्हें लिखा है और कहा है कि उनके विचारों में एकता है। वे एक से विचार कौन से हैं ? क्या यह विचार एकता देश की सुरक्षा और राजनीतिक बातों के सम्बन्ध में थी ? यदि हां, तो वे क्या थे ? इसके बारे में अब तक कुछ भी नहीं कहा गया है ?

श्री कौल के साथ एक ऐसी ही मुलाकात का उल्लेख करते हुए भारत में वर्तमान अमरीकी राजदूत ने श्री चैस्टर बाउल्ज ने 1963 में श्री कौल को लिखा :

"मुझे मार्च, 1962 के आरम्भ में हुई हमारी बातचीत अच्छी तरह याद है, जिसमें आपने बिल्कुल ठीक भविष्यवाणी की थी कि चीन उस वर्ष ग्रीष्म ऋतु अथवा वर्षा ऋतु के बाद के महीनों में आक्रमण करेगा।"

मामला इस स्थिति तक पहुँच गया कि कौल ने लैफ्टिनेन्ट जनरल सेन की उपस्थिति में अमरीकी सेना के जनरल एडम्स और ब्रिटिश सेना के जनरल हल से विचार विमर्श करने के बाद ही अधिकारियों को अपना त्याग-पत्र दिया। इसलिए, हमें इसका पता लगाना चाहिए। गुप्त पत्र हैं, विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों के साथ निकट सम्पर्क रहा है और अनेक बातों पर विचार-विमर्श हुआ है। त्याग-पत्र भी जनरल एडम्स और जनरल हल से परामर्श करके दिया गया। पहले भी उनसे परामर्श किया गया था। देश को नहीं मालूम है कि कितने और बड़े सरकारी अधिकारी और विदेशी विशिष्ट व्यक्ति सरकार से छुपकर आपस में सम्पर्क बनाये हुए हैं और पत्र-व्यवहार करते हैं। इससे हमारे देश की सुरक्षा और प्रभुसत्ता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, विशेषरूप से सी० आई० ए० की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, जिसपर इस सभा ने अभी एक दिन चर्चा की थी।

सैनिक अधिकार पर सिविल प्राधिकार की सर्वोपरिता से सम्बन्धित एक अन्य प्रश्न है, जो जनरल कौल की इस स्वीकारोक्ति से उत्पन्न होता है कि वे सरकारी आदेशों के विरुद्ध 1962 की सैनिक कार्यवाही के दौरान अनेक विदेशी पत्रकारों को, जिनमें अमरीकी पत्रिका 'टाइम' के संवाददाता भी थे, अग्रिम क्षेत्रों का दौरा करने की अनुमति देने में सफल हो गये। एक जनरल है, जो कहता है कि सरकार ने कहा था कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए लेकिन मैंने उन आदेशों का उल्लंघन किया और अनेक विदेशी पत्रकारों को आमंत्रित किया और वे, 'टाइम' पत्रिका के तथा अन्य संवाददाता, अग्रिम क्षेत्रों में गये। जब देश की सुरक्षा के मामले में सरकारी आदेशों का उल्लंघन किया जाता है, तो मैं नहीं समझता कि देश की सुरक्षा का क्या होगा। कुछ भी नहीं कहा गया है कि क्या यह सच है और यदि सच है तो क्या कार्यवाही की गई है, किसी को मालूम नहीं है।

वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में जनरल के निम्न वाक्य से सैनिक गुप्त जानकारी का विदेशियों को देने की कार्य प्रणाली का पुस्तक में भण्डाफोड़ हो जाता है।

"वे विभिन्न मद्यपान (कॉकटेल) पार्टियों तथा अन्य स्थानों पर अनुत्तरदायित्वपूर्ण बातें करते हैं।"

ये सैनिक अधिकारी राजनीतिज्ञों के बारे में अनुत्तरदायित्वपूर्ण बातें करते हैं ताकि विदेशियों से सस्ती लोक-प्रियता प्राप्त कर सकें, जिनकी उपस्थिति में वे भारत का उपहास करते हैं।' 'किसी विदेशी विशिष्ट व्यक्ति को किसी मामले में हमारे अधिकारियों से वस्तु-स्थिति बताने के लिये कहने की देर होती है कि प्रायः तुरन्त ही उन्हें वह जानकारी दे दी जाती है।'

"काफी गुप्त जानकारी"………

प्रतिरक्षा मंत्री इस पर ध्यान दें—

"इस तथा अन्य तरीकों से भी अनधिकृत वर्गों और व्यक्तियों के पास पहुँच गई।"

क्या कोई इससे अधिक गंभीर बात कहने को रह जाती है ? सैनिक गोपनीयता क्या है ?

जनरल कौल ने एक विशेष दस्तावेज का उदाहरण दिया है, जो श्री नेहरू के कार्यालय से दिल्ली स्थित एक विदेशी संस्थान के पास पहुँच गया। यद्यपि आरम्भ में श्री नेहरू ने विश्वास नहीं किया, बाद में जब दस्तावेज ढूढने पर नहीं मिला। उन्होंने एक सैनिक अधिकारी का

उदाहरण दिया है, जो राष्ट्र-विरोधी तथा नासमझी की बातें कहने का दोषी पाया गया लेकिन जांच न्यायालय ने उसे दोष-मुक्त कर दिया।

जनरल कौल ने कुछ वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों के अनुत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार का निम्न शब्दों में उल्लेख किया है :

"कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को हमारे राष्ट्रीय नेताओं के विरुद्ध खुले रूप से निहित-उद्देश्य-पूर्ण तथा नासमझ टिप्पणी करने की आदत दी थी और वे भारत के भूतपूर्व ब्रिटिश शासकों को ऊँचा चढ़ाते थे। कभी-कभी तो उन्होंने सुझाव दिया कि जैसी हमारी स्थिति थी, उस गड़बड़ी वाली स्थिति से निकलने के लिये एक प्रकार का तानाशाह शासन ही केवल मात्र रास्ता है।"

राजनीतिक नेताओं, मंत्रियों तथा अन्य व्यक्तियों के बारे में वे अत्यन्त गंभीर बातें किया करते थे। उन्होंने कहा है कि अंग्रेजी शासन अच्छा था और एक प्रकार का तानाशाह शासन होना चाहिये। इसका अर्थ हुआ कि 'हमें इस शासन को बदलना चाहिये।'

जनरल कौल के अनुसार सेना के जनरल भी इस दोष से मुक्त नहीं थे।

"कुछ जनरल ऐसे थे, जो 1952-54 में भी राजनीतिज्ञों तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को प्रसन्न करने में लगे हुए थे तथा कुछ ऐसी गतिविधियों में भाग ले रहे थे, जो सैनिक सेवा की परम्पराओं तथा तरीकों के अनुरूप नहीं थी।"

सार्वजनिक रूप से ये बातें कही जाने पर भी मुझे भारत सरकार की चुप्पी से मुझे आश्चर्य होता है।

जनरल ने सरकार को भी नहीं बख्शा है । अभी तक हमने सेना के बारे में सुना, कैसे सेना के जनरलों से गुप्त जानकारी दूसरे के पास पहुँचती है, वे कैसे गुप्त रूप से विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों के साथ राजनीतिक तथा सैनिक विषयों के बारे में बातचीत, पत्र व्यवहार आदि करते हैं। अब वे सरकार के बारे में कहते हैं ;

जनरल कौल ने नेफा में सैनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में सरकार के आचरण के बारे में भी लिखा है। वास्तव में उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने उच्चतम सैनिक कमान की सलाह के विरुद्ध आदेश जारी किये। 22 सितम्बर, 1962 को हुई प्रतिरक्षा सम्बन्धी एक बैठक की कार्यवाही का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है :

"कुछ विचार-विमर्श के बाद सरकार ने यह निर्णय किया है कि नीति के मामले के रूप में चीनियों को होला से खदेड़ने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। तब सेनाध्यक्ष ने सरकार से एक लिखित निदेश मांगा…जो दे दिया गया। उन्होंने (सेनाध्यक्ष) ने लिखित आदेश मांगा क्योंकि उनसे ऐसे कार्यवाही के परिणाम बताने के बावजूद भी चीनियों को खदेड़ बाहर करने के लिये कहा जा रहा था।"

श्री कौल ने इस बात को दोहराया है कि 2 अक्टूबर, 1962 को जनरल थापर प्रधान मंत्री से मिले और उन्हें बताया :

"यह पहला अवसर है कि हम चीनियों के विरुद्ध शक्ति प्रयोग करने जा रहे हैं, यद्यपि इसके अच्छे कारण हैं, (अब तक हमारे द्वारा अपनाई गई रीति, बिना किसी विरोध के रिक्त स्थान में घुसने के विपरीत) और इसका गंभीर प्रभाव पड़ना निश्चित है। श्री नेहरू ने कहा कि उनके यह विश्वास करने के अच्छे कारण हैं कि चीन हमारे विरुद्ध कड़ी कार्यवाही नहीं करेगा।"

श्रीलंका जाने से पहले 12 अक्टूबर, 1962 की स्वर्गीय प्रधान मंत्री के प्रेस वक्तव्य का उल्लेख करते हुये श्री कौल स्पष्ट शब्दों में स्वर्गीय पंडित नेहरूको दोषी ठहराते है, वे लिखते हैं :

"उन्होंने (नेहरू) ने कहा कि मैंने नेफा राज्यक्षेत्र से चीनियों को खदेड़ बाहर करने के आदेश दे दिये हैं। यह उनके निवासस्थान पर हुये सम्मेलन में 11 अक्टूबर की रात को उनके द्वारा मुझे दिये गये आदेशों के विपरीत था।"

और आगे वे कहते हैं :

"मेरा यह अनुमान है कि श्री नेहरु ने यह जानते हुये भी कि सैनिक दृष्टि से कमजोर हैं इस आशा में यह हिम्मत का भाव प्रदर्शित किया, कि इन साहसपूर्ण वक्तव्यों से (यद्यपि विरोधी) चीन भारत पर आक्रमण करने से रुक जाये।"

यह सब क्या है ? इस पुस्तक में ये सब बातें है और आज भी सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। पुस्तक में उसने यह भी कहा कि सरकार उत्तर नहीं दे सकती, कभी उत्तर नहीं दे सकती क्योंकि यह सच है। जनता विश्वास करती है कि चूंकि सरकार ने अब तक उनकी बातों का उत्तर नहीं दिया है, श्री कौल की 'अनटोल्ड स्टोरी' में जो कुछ कहा गया है, वह सच है।

इस पुस्तक में, जिसके तीन महीने की थोड़ी सी अवधि में चौथा संस्करण बिकने लगा है, श्री कौल ने ये तथा इस प्रकार के अन्य अनेक गंभीर आरोप लगाये हैं और गंभीर बातें कही हैं। मुझे नहीं मालूम कितने और संस्करण प्रकाशित होंगे। इतनी देर हो जाने पर भी 1962 में सैनिक कार्यवाही के प्रश्न पर जांच करने वाली हैण्डरसन समिति के प्रतिवेदन को प्रकाशित नहीं करने का सरकारी आचरण मेरी समझ में नहीं आता।

श्री कौल ने एक अन्य आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि उन्होंने इस समिति के सामने मौखिक साक्ष्य देना चाहा था और आरोप लगाया है कि जनरल चौधरी ने भी उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। इन सब बातों को देखते हुए सरकार क्यों चुप है ?

मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार अपने आचरण से सब प्रकार के निष्कर्ष निकालने का अवसर दे रही है। प्रसिद्ध टिप्पणीकर्त्ता श्री नीरद सी० चौधरी ने 1 फरवरी के 'टाइम्स आफ इंडिया' में निम्न शब्दों में सरकार को खुले रूप से चुनौती दी गई है :

"मैंने बहुत दिन तक प्रतीक्षा की कि उल्लिखित व्यक्तियों तथा सरकार द्वारा खण्डन किया जायेगा। अत्यधिक महत्वपूर्ण पक्ष की ओर से, अर्थात् सैनिक पक्ष, कोई खण्डन नहीं किया गया। जिन तीन लोगों से, श्रीमती गांधी, श्री मेनन और जनरल चौधरी, आरोपों पर तीव्र प्रतिक्रिया की आशा की जाती थी, उन्होंने टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया। न तो श्रीमती गांधी और न ही श्री मेनन ने विवादीय चुनौती को स्वीकार करने तथा छींटाकशी का प्रत्युत्तर देने में कभी सुस्ती दिखाई है, परन्तु वे जानबूझकर चुप रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा है :

"कि जनरल चौधरी ने, जो कि सेवाकाल में एक समाचार पत्र के सैनिक संवाददाता भी थे और पत्र में लेख देते रहे हैं, कुछ कहने के इच्छुक दिखाई नहीं देते यद्यपि यह सैनिक अधिकारियों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है ।"

उन्होंने चार लेख लिखे हैं और कहा है कि यह सरकार कुछ नहीं कहती अथवा उसने कुछ नहीं कहा है क्योंकि वह कुछ कह ही नहीं सकती ।

यदि इस चुनौती के पश्चात भी सरकार कुछ कहना नहीं चाहती तो स्वाभाविक है कि लोग सोचेंगे कि कुछ और भी 'अनकही' कहानी है । यदि श्री कौल ऐसी 'अनकही कहानी' लिखने में स्वतन्त्र हैं तो सभा को यह पूछने का अधिकार है कि वह 'अनकही कहानी' क्या है क्योंकि यदि वह कहानी अनकही है तो अधिक कठिनाई होगी । इसमें देश का प्रभुत्व, एकता और प्रतिरक्षा अन्तर्ग्रस्त है ।

श्री ज्योतिमर्य बसु (डायमण्ड हार्बर) : जनरल कौल ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनका अनेक विदेशियों तथा अमरीका के अधिकारियों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क रहा है । क्या उन्होंने इसके लिये सरकार की अनुमति ली थी और यदि हाँ, तो ऐसी अनुमति दिए जाने के क्या कारण थे ?

श्री० सी० के० चक्रपाणी (पोन्नाणि) : जनरल कौल ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उन्होंने जनरल चौधरी से मिलकर हैंडरसन जांच आयोग के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति ली थी । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आरम्भ में उनको अनुमति दे दी गई थी परन्तु बाद में उनको लिखित वक्तव्य देने को कहा गया था । यह जानने के लिए कि श्री कौल का कहना ठीक है किसी विस्तृत जांच की आवश्यकता है । क्या कारण है कि श्री कौल के आरोपों को समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए तीन महीने हो गये हैं परन्तु प्रतिरक्षा मंत्रालय को, इनको स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने में कठिनाई हो रही है ।

श्री उमानाथ (पुदुकोटै) : पुस्तक में जो कुछ प्रकाशित हुआ है उससे एक बात स्पष्ट है कि सैनिक अधिकारियों को किसी भी पार्टी में व्यक्तिगतरूप से मिलने तथा प्राइवेट पत्र-व्यवहार करने की स्वतन्त्रता है । यदि ऐसा है तो सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए क्योंकि इस प्रकार विदेशी एजन्ट आदि अपना काम कर जाते हैं और क्या सरकार ने सैनिक अधिकारियों के लिए कोई आचरण संहिता बनाई है ताकि ऐसी घटनाएं पुनः न हों ।

श्री बाबूराव पटेल (शाजापुर) : श्री कौल ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ 349 पर समूची स्थिति के लिए तीन व्यक्तियों अर्थात श्री नेहरू, मोरारजी देसाई और कृष्णामेनन को जिम्मेदार ठहराया है । क्या सरकार इस पुस्तक में लगाये गये आरोपों की जाँच के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करेगी ताकि जब देश की रक्षा करनी हो तो ऐसी घटनाएं पुनः न हों ।

श्री इ० के नयानार (पालघाट) : श्री कौल की पुस्तक से ऐसा प्रतीत होता है कि विदेशियों को सम्भवत: सी० आई० ए० के एजन्टों तथा अन्य विदेशी गोपनीय ऐजन्सियों को गोपनीय जामकारी दी गई है । वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों तथा विदेशी प्रतिष्ठापित व्यक्तियों के सम्बन्धों को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री वी० वी० मेनन (एरणाकुलम) : जनरल कौल द्वारा अपनी पुस्तक में लिखी गई कुछ बातों की जाँच की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है । सरकार को उस बारे में केवल हाँ अथवा ना में उत्तर देना है । उसने 12 नवम्बर, 1962 को प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये भाषण की शुद्धता को चुनौती दी है । क्या मैं ऐसे मामलों में भी सरकार द्वारा स्पष्टीकरण जारी करने में विलम्ब के कारण जान सकता हूँ ?

Shri Parkash Vir Shastri (Hapur) : The books written by retired military Generals can prove to be useful as well as harmful also. I do not know the procedure followed in other countries regarding publication of such books by the retired military Generals. May I know whether after the publication of this book or some other such books the Government of India have established a practice for future to allow the publication of such books and allow the bringing of the secrets in open by the retired military Generals.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : May I know whether a circular to the effect that a post may be vacated where the fall is imminent was issued by the military authorities and whether as a result of this circular the military could not give fight at any one place and number of posts fell to the enemy ? I would also like to know whether due to some fear that China is a big country we did not use our airforce against the Chinese as we used our airforce against Portugal in Goa ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : विभिन्न साधनों द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी के निकल जाने के बारे में इस चर्चा में माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है मैं उससे सहमत हूँ । हमें भविष्य को ध्यान में रखकर ही कोई कार्यवाही करनी है तथा इससे भविष्य के लिए शिक्षा लेनी है ।

1963 में श्री चह्वाण ने 9 पृष्ठ का एक वक्तव्य दिया था जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी । 1962 में चीन के आक्रमण से उत्पन्न होने वाली स्थिति की जाँच के फलस्वरूप सरकार ने तथा सशस्त्र सेनाओं ने जो कार्यवाही की थी उसका भी उल्लेख वक्तव्य में किया गया था । देश की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जो भी जानकारी दी जा सकती थी, वह दी गई थी । श्री चव्हाण ने कारण भी बताये थे कि हैंडरसन जांच आयोग की रिपोर्ट को प्रकाशित करना देश की सुरक्षा के हित में क्यों नहीं है । उस रिपोर्ट को प्रकाशित करना अब भी लोक हित में नहीं है ।

सरकार श्री कौल की पुस्तक पर दो पहलुओं से विचार कर रही है । एक यह कि श्री कौल ने राजकीय रहस्य अधिनियम का किस हद तक उल्लंघन किया है । कई स्थानों पर उन्होंने कुछ दस्तावेजों, गोपनीय बातचीत और कुछ अन्य मामलों का उल्लेख किया है । हमें इन सभी मामलों पर सावधानी से विचार करना है कि कहीं-कोई बात राजकीय रहस्य अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत तो नहीं आती । किसी सैनिक अधिकारी को सेवानिवृति के बाद कोई पुस्तक प्रकाशित करने के लिए अनुमति लेनी आवश्यक नहीं होती परन्तु यदि वह कोई ऐसी जानकारी देता है जो सेवाकाल में उसे प्राप्त हुई हो और जिसके प्रकाशन से राजकीय रहस्य अधिनियम के उपबन्धों का उल्लेख होता हो तो वह स्वयं को जोखिम में डालता है और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है । हमारे जैसे स्वतन्त्र देश में किसी भी लेखक को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कोई पुस्तक प्रकाशित करने का अधिकार है परन्तु यदि ऐसा करते समय वह कोई ऐसी जानकारी देता है जो राजकीय रहस्य अधिनियम के अन्तर्गत आती हो, तो, लेखक को परिणाम भुगतने होंगे । स्थिति का पता लगाने के लिए हम पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण पैरों की जाँच कर रहे हैं । यदि ऐसा सिद्ध हुआ कि उसके प्रकाशन से राजकीय रहस्य अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है तो आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

मैं इस बात को भी सुनिश्चित करूंगा कि इस पुस्तक की जांच का कार्य शीघ्रताशीघ्र पूरा हो।

पुस्तक का एक राजनैतिक पहलू भी है कि क्या देश के कुछ नेताओं की आलोचना की गई है। श्री लंका जाते समय जवाहर लाल नेहरू जी ने जो वक्तव्य दिया था उसके बारे में स्वयं उन्होंने इस सभा में व्याख्या कर दी थी। सरकार का हैड होने के नाते उन्होंने यह अनुदेश दिये थे कि आक्रमण को खत्म करना है परन्तु किस प्रकार तथा किस समय खत्म करना है यह कार्य सेना का है।

इ० के० नयानर (पालघाट) : लोग जानना चाहते हैं कि श्री कौल ने अपनी पुस्तक में जो कुछ कहा है उसमें कहां तक सचाई है। मैं जानना चाहता हूँ कि श्री कौल ने जो कुछ कहा वह सच है अथवा झूठ। अथवा क्या मानहानि के लिए कार्यवाही करेगी।

श्री स्वर्ण सिंह : पुस्तक के उन अंशों को जिनमें राजनैतिक नेताओं की आलोचना की गई है दो भागों में व्यक्त किया जा सकता है। एक में उनके द्वारा कार्य को सम्भालने के बारे में मत व्यक्त किया गया है। उसकी छानबीन हम कर रहे हैं। परन्तु जो व्यक्ति अब सरकार में नहीं रहे उनके बारे में हमारी कुछ सीमाएं हैं। यदि श्री कृष्ण मेनन स्वयं कोई स्पष्टीकरण देना चाहें तो दूसरी बात है। इस बारे में हम उनसे कुछ औपचारिक छानबीन कर सकते हैं। सरकार कुछ प्रतिकूल तथ्यों को प्रस्तुत करेगी।

असैनिक तथा सैनिक कर्मचारी कुछ मामलों में पूर्व अनुमति से विशिष्ट विदेशी व्यक्तियों, विदेशी समाचारपत्रों तथा राजदूतों से मिल सकते हैं। परन्तु उनसे यह आशा की जाती है कि वे अपनी बातचीत की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को देंगे। अब तक की जाँच से ऐसा लगता है कि श्री कौल ने विशिष्ट व्यक्तियों से अपनी बातचीत का सारांश तथा रिकार्ड नहीं दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : हमें इस विषय में जानकारी मिलनी चाहिये कि इस पुस्तक में कितना सच तथा कितना झूठ है।

श्री स्व० सि० कोठारी : क्या सरकार किसी गम्भीर विषय पर कभी दृढ़ रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : विदेशी उच्चपदाधिकारियों से बातचीत के दौरान सरकार बरिष्ठ अधिकारियों से सामान्य संहिता के अनुसार आचरण की आशा रखती है, और इस पर जोर दे रही है। इस विषय में हमने एक और निर्णय किया है जिसके अनुसार हमें विश्वास हो जायेगा कि बातचीत के दौरान सामान्य संहिता के अनुसार काम किया गया तथा कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण तैयार किया गया।

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : It does not concern only with one person. It concerns with three—Sarvashri Nehru, Menon and Kaul.

श्री स्वर्ण सिंह : इस विषय में बहुत विस्तार से ब्यौरा मांगा गया है। मेरे लिये इतने कम समय में उसका विस्तार से विवरण देना कठिन है। परन्तु इस विषय में मैं एक या दो बातें कहूँगा। श्री चक्रपाणि से पूछा गया था कि क्या उन्हें आज्ञा दी गई थी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास ऐसी आज्ञा दिये जाने का रेकार्ड नहीं है और ना ही हम उसको ढूंढने में समर्थ हो सके हैं।

विदेशी पदाधिकारियों से बातचीत के सम्बन्ध में मैं वर्तमान स्थिति से आपको पहले ही अवगत करा चुका हूँ अब यह उचित नहीं होगा कि मैं···(बाधाएँ)

श्री० पें० वेंकटासुब्बया : (मंडियाल) व्यवस्था के प्रश्न पर श्री गोपालन ने बहुत से विशेष प्रश्न पूछे थे और 'अनटोल्ड स्टोरी' की घटना तथा जनरल कौल के लेखन कार्य के सम्बन्ध में विशेष जिक्र किया था।

माननीय मन्त्री ने सभा के लगभग 15-20 मिनट ले लिये हैं, परन्तु सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये हैं। उत्तर सीमित तथा तत्संगत होने चाहिये।

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे दुख है कि माननीय सदस्य इस प्रकार सोचते हैं। क्योंकि बहुत से प्रश्न उठाये गये हैं, मैंने उन्हें विभिन्न वर्गों में रखा है और उन उठाये गये प्रश्नों का उत्तर दिया है। हम इन विषयों पर फिर किसी समय विस्तार से चर्चा करेंगे और हमने उस सम्बन्ध में जो कार्यवाही की होगी उसकी सूचना सभा को उचित समय पर दे देंगे।

श्री कंवर लाल गुप्त : 'अनटोल्ड स्टोरी' के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं बतलाया गया है।

श्री श्र० कु० सेन : हम इस विषय में कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब बहुत देरी हो गई है। अब फिर से आप वही प्रश्न नहीं पूछ सकते।

श्री रणधीर सिंह : मैं एक यथार्त प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अब बहुत समय हो गया है। आधे घन्टे की चर्चा एक घन्टे की चर्चा से अधिक नहीं हो सकती।

Shri Randhir Singh : We should have stopped the printing of this book. He has brought politics in the army and has brought bad name for India through it. It is due to him that thousands of Jawans died in NEFA and now by mere writing a book he wants to be innocent. He should have been sent to Jail.

अध्यक्ष महोदय : यदि आप विवरण से सन्तुष्ट नहीं है तो और अधिक जानकारी प्राप्त करने के दूसरे उपाय भी हैं। नियमानुसार आप और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये कह सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। बहुत से अवसर ऐसे आते हैं जैसे राष्ट्रपति का अभिभाषण, और सामान्य बजट इत्यादि जब यह सामान्य प्रश्न उठाये जा सकते हैं। इस विषय पर लगभग एक दर्जन सदस्यों ने प्रश्न पूछे थे और उन्होंने उसका उत्तर दिया।

यदि मैं और प्रश्न पूछने की अनुमति दे दूँगा तो वह उसको समाप्त नहीं कर सकेंगे। मैंने प्रत्येक सदस्य को जिन्होंने मुझे आधे-घन्टे की चर्चा के लिये सूचना दी थी, प्रश्न पूछने की अनुमति दी है। यदि आप इससे सन्तुष्ट नहीं है तो आप अन्य उपायों से काम लें (बाधाएँ)

श्री ज्योतिमय बसु : भारतीय सेना का नैतिक पतन हो रहा है।

श्री रणधीर सिंह : हम माननीय मंत्री से आश्वासन चाहते हैं कि कथित जनरल के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर ध्यान दिलाना (जारी)

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

टेलीग्राफिस्टों द्वारा आरम्भ किया गया 'नियम के अनुसार कार्य' आन्दोलन और तारों का डाक द्वारा भेजा जाना

Shri Atal Bihari Vajpayee : On calling my attention of the hon. Communication Minister, today, in the morning regarding work to rule Compaign by the telegraphists the hon. Minister replied. I want to ask two questions from him. This Compaign was started from the 27th December and during that period notices were served to remove one thousand temporary employees and about two hundred permanent officers were suspended. I want to know whether it is an offence to work according to rules ? If it is not so, why the action have been taken against them. And now when the employee's Union has taken back its compaign, I would like to have an assurance from the hon. Minister whether the actions taken against the employees or the officers of the employee's union during their compaign have taken back and whether the hon Minister will assure the house that no action would be taken against those who did participate in that Compaign.

Parliamentary Affairs and Communication Minister (Dr. Ram Subhag Singh) : No one would be victimised.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The main demand of the employees was that their basic pay which is at present Rs 110 to Rs 240/- should be increased to Rs. 150/- to Rs. 300/- The hon. Minister has furnished the reasons for not admitting their demands. But I came to know that the hon. Minister has agreed to the suggestion of referring the demands of increasing their basic pay to the Arbitration. Am I correct ? Whether matter would be referred to the Arbitration and whether the arbitration would be decided after consulting the union of the employees.

Dr. Ram Subhag Singh : In fact, we are considering to refer the matter to some arbitrator and it would be done according to the rules.

श्री प्रताप केशरी देव (कालाहांडी) : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि पिछले दिनों ज्यादातर तार डाक द्वारा भेजे गये थे ; और भूतपूर्व मन्त्री के मन्त्रण समिति में दिये गये आश्वासन को ध्यान में रखते हुये, जिसके अनुसार डाक द्वारा भेजे गये तारों का खर्च भेजने वाले को लौटा दिया जायेगा, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस दिशा में कोई कार्यवाही की गई है, और डाक द्वारा भेजे गये तारों के पैसे क्या भेजने वाले को लौटाये गये हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : हम यथार्त स्थिति का पता करेंगे । यह सच है कि कुछ तार डाक द्वारा भेजे गये थे । परन्तु जैसा कि मैंने कहा कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचने दिया जायेगा—चाहे वह तार भेजने वाला हो या कर्मचारी ।

श्री प्रताप केसरी देव : मेरा प्रश्न तार भेजने वाले को इस तार भेजने में लगे पैसे लौटाने से है ?

श्री राम सुभग सिंह : जैसा कि मैंने कहा किसी को क्षति नहीं पहुँचने दी जायेगी । इस अभियान के कारण कुछ तारों को मजबूर होकर डाक द्वारा भेजना पड़ा था । अत: मेरे विचार से उन सब मामलों को हमें भूल जाना चाहिये और सब मामलों को नये सिरे से आरम्भ करना चाहिये ।

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : जनता के तारों को तार जैसे न भेजकर डाक द्वारा भेजना क्या जनता के धन का दुरुपयोग तथा जनता के साथ छल नहीं है ?

श्री राम सुभग सिंह : न तो यह जनता के साथ छल ही और न ही रुपये का दुरुपयोग ही है। हम अच्छा वातावरण पैदा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा वातावरण पैदा करने में हम सफल भी हुए हैं और यह आगे भी किया जाता रहेगा।

श्री ई० के० नयानर (पालघाट) : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों को मुअत्तिल करने के नोटिस दिये थे। मुझे कालीकट तथा केरल के बहुत से स्थानों से उन डाक तार कर्मचारियों के तार मिले हैं जिन्होंने नियमानुसार कार्य करने का अभियान आरम्भ किया था। यदि यह सच है तो उन कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है जिन्हें ये नोटिस भेजे गये थे क्या यह भी सच है कि डी० जी० पी० टी० ने श्रेणी तीन के अखिल भारतीय डाक तार संघ के कर्मचारियों को 'कारण बताओ' नोटिस भेजा था जिसमें कहा गया था कि क्यों न इस संघ की मान्यता को समाप्त कर दिया जाये ? इस सम्बन्ध में क्या मैं सरकार का रुख जान सकता हूँ ?

श्री आनन्द नम्बियार : मान्यता के सम्बन्ध में।

डा० राम सुभग सिंह : वास्तव में श्री बाजपेयी द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने इस विषय पर जवाब दे दिया था। यद्यपि वह अनुपूरक प्रश्न इस विषय पर विशेष नहीं था। यह कहा गया था कि लगभग 1000 कर्मचारियों को मुअत्तिल किया गया है। यह ठीक नहीं है क्योंकि लगभग 300 कर्मचारियों को नोटिस भेजे गये थे—यह संख्या इससे कुछ कम और अधिक भी हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम किसी को भी इसका शिकार नहीं होने देंगे और इस सम्बन्ध में भविष्य में कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री उमानाथ (पुद्दकोटै) : इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है जिसमें कहा गया था कि क्या डी० जी० पी० टी ने संघ को 'कारण बताओ' नोटिस भेजा था और जिसमें कहा गया था क्यों न उसकी मान्यता समाप्त कर दी जाये। क्या वह अभी भी है। मन्त्री महोदय ने कहा है कि किसी को भी इसका शिकार नहीं होने दिया जायेगा। मेरे विचार से अब समझौता हो गया है। क्या माननीय मन्त्री यह बतायेंगे, कि क्या वह नोटिस वापिस ले लिया गया है या वापिस लिया जा रहा है ? मैं इस प्रश्न का विशेष तौर से उत्तर चाहता हूँ।

डा० राम सुभग सिंह : अभियान के बिना शर्त वापिस ले लिये जाने के बाद, उस दौरान जो भी कार्य किये गये थे, वे सब वापिस ले लिये जायेंगे।

श्री सी० के० चक्रपाणि (पोन्नाणि) : क्या माननीय मन्त्री यह बतायेंगे कि ए० आई० टी० टी० ई० यू०, श्रेणी तीन के कर्मचारियों द्वारा भेजे गये नोटिस में यह मांग की गई थी कि उनका वेतन मान बढ़ाकर रु० 150-300, जो कि भारत सरकार के अन्य संगठनों जैसे समुद्र पार संचार सेवा, वैदेशिक कार्य मन्त्रालय, गृह मंत्रालय प्रेस इन्फोरमेशन ब्योरो इत्यादि में है, के समान कर दिया जाये ?

श्री राम सुभग सिंह : यह उनकी मांग है। परन्तु सेवा की शर्तें भिन्न हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सब बातें किसी पंच को सौंप दी जायेंगी।

श्री ग्र० क० गोपालन (केसरगोड) : माननीय मंत्री ने कहा है कि समझौते के बाद, जहाँ तक मुअतिल करने के नोटिसो का सम्बन्ध है वे सब वापिस ले लिये जायेंगे। मुझे एक तार मिला है जिसका सम्बन्ध न केवल मुअतिल करने के नोटिस से है बल्कि कालीकट त्रिवेन्द्रम तथा अन्य स्थानों में दूसरे प्रत्यपकारी उपाय करने आवश्यक हैं। यदि कोई समझौता भी किया गया हो और फिर वह वापिस ले लिया गया हो तो भी मुअत्तिल करने के नोटिस नहीं दिये जाने चाहिये थे। उसके लिये दूसरे दन्ड देने वाले बहुत से उपाय हैं जैसे तबादला या इसी प्रकार के अन्य उपाय। इस प्रकार के दण्डात्मक उपाय लिये जाने चाहिये थे। क्या मान्य मन्त्री महोदय सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देंगे कि किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही न की जाये। उन्होंने अपने तार में यह भी कहा है कि यदि ऐसा किया गया तो तार संचार टूट जायेंगे। चाहे जो भी समझौता हुआ हो, वो पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि दण्डात्मक उपाय अपनाये गये थे तथा कर्मचारियों को मुअतिल भी किया गया था।

श्री राम सुभग सिंह : मैं सभा को स्पष्ट आश्वासन देता हूँ कि किसी भी कर्मचारी को इसका शिकार नहीं होने दिया जायेगा। यदि अभियान के दौरान कोई ऐसी बात हुई होगी जिससे कुछ कर्मचारी विपद्ग्रस्त हुये हो तो उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

श्री वी० विश्वनाथ मेनन (एरणाकुलम) : मुझे ऐसी सूचना मिली है कि नियमानुसार काम करने के अभियान के वापिस लेने के पश्चात् भी एरणाकुलम में दस कर्मचारियों को मुअतिल कर दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : माननोय मंत्री पहले ही आश्वासन दे चुके हैं कि ऐसा नहीं किया जायेगा। अत: माननीय सदस्य को इससे सन्तुष्ट हो जाना चाहिये और इस बात को बार-बार दोहराना नहीं चाहिये।

श्री पी० पी० एसथोसे (मुवात्तुपुजा) : क्या यह सच है कि डायरेक्टर जनरल ने स्वयं ही डाक-तार पुस्तिका खण्ड दो के नियम 39 और 40 का हनन किया था और इस बात के निर्देश जारी किये थे कि वो छुट्टी का समय जो अधिकृत चिकित्सा प्रमाण-पत्र से समर्थित होगा, छुट्टी दिवस समझा जाये। इससे कर्मचारियों की जनवरी तथा फरवरी 1967 की सेवाओं तथा वेतन पर इसका प्रभाव पड़ेगा।

डा० राम सुभग सिंह : मध्यस्थ द्वारा इस विषय पर विचार किया जायेगा।

श्री० के एम० अब्राहम (केहियन) : क्या यह सच नहीं है कि विभाग द्वारा यह दण्डात्मक कदम इसलिये उठाये जा रहे हैं क्योंकि अखिल भारतीय तार यातायात कर्मचारी संघ (श्रेणी तीन) ने अपने सदस्यों को निर्देश दिया है कि वह नियमानुसार कार्य करने का अभियान जब तक जारी रखे जब तक कि उनकी वेतन मान की मांग जो कि सरकार के अन्य वर्गों के मुकाबले में है, सरकार स्वीकार नहीं कर लेती। क्या सरकार ने यह कार्य करके जनता के लिए अत्यावश्यक सेवाओं के प्रति जानबूझकर असावधानी नहीं बर्ती है ?

डा० राम सुभग सिंह : मैं यह स्वीकार नहीं करता कि सरकार ने जान बूझकर असावधानी से काम लिया है क्योंकि जो भी कार्यवाही की गयी थी वह विद्यमान नियमानुसार थी। विभिन्न वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का क्रमवार वेतन नियत किया गया था।

फिर भी मैं भरसक प्रयत्न करूंगा ताकि इस अभियान के कारण सरकारी कर्मचारियों का कोई अहित न हो।

कुछ सदस्य उठे.........

अध्यक्ष महोदय : मान्य मन्त्री ने स्पष्टतया आश्वासन दे दिया है कि इस अभियान के कारण किसी को भी विपद् ग्रस्त नहीं होने दिया जायेगा। माननीय सदस्यों को इससे सन्तुष्ट हो जाना चाहिये।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 28 मार्च, 1967 / 7 **चैत्र,** 1889 **(शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित** हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Tuesday, March 28, 1967/**Chaitra** 7, 1889 (**Saka**)

Ttrthraj Press, Allahabad.